



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

राजस्व क्षेत्र  
पर

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए



हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
<b>अध्याय-एक: सामान्य</b>		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
बजट आकलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं	1.2	4
मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत	1.3	5
पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया तथा सकल बकाया से सम्बंधित राजस्व बकायों का विश्लेषण	1.4	6
बकाया निर्धारण	1.5	7
कर अपवंचन	1.6	7
प्रत्यर्पण मामलों का लम्बन	1.7	8
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया	1.8	8
सरकार के हितों की रक्षा करने हेतु उत्तरदायित्व प्रवर्तित करने में विभागाध्यक्षों की असफलता	1.8.1	8
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.8.2	10
प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों से सम्बंधित विभागों की प्रतिक्रिया	1.8.3	10
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति	1.8.4	10
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में अनुपालना	1.8.5	11
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को निपटाने के लिए तन्त्र का विश्लेषण	1.9	11
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.9.1	11
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किए गए मामलों पर विभाग/ सरकार द्वारा दिये गए आश्वासन	1.9.2	12
स्वीकार किए गए मामलों में वसूली		12
लेखापरीक्षा योजना	1.10	13
लेखापरीक्षा परिणाम	1.11	13
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति		
इस प्रतिवेदन की आवृत्ति	1.12	14
<b>अध्याय-दो: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/ वैट</b>		
कर संचालन	2.1	15
लेखापरीक्षा परिणाम	2.2	15
निवेश कर क्रेडिट की अनुमति	2.3	16
सामग्री की लागत की गलत कटौती	2.4	20
कर की गलत दरें लागू करना	2.5	20
ब्याज तथा शास्ति का उद्ग्रहण न करना/ कम करना	2.6	21
कर की रियायती दर की गलत अनुमति	2.7	22
माल के प्रवेश करने पर कर का अनुद्ग्रहण	2.8	23
अवैध डुप्लीकेट तथा दोषपूर्ण 'सी' फार्म स्वीकार करने के कारण कर का अपवंचन	2.9	24
कर का उद्ग्रहण/ मांग न करना	2.10	24
बिक्री का गलत निर्धारण	2.11	25
घोषणा फार्मों 'एफ' का दुरुपयोग करने के कारण कर की गलत छूट	2.12	25

अध्याय-तीन: राज्य आबकारी		
कर संचालन	3.1	27
लेखापरीक्षा परिणाम	3.2	27
राज्य आबकारी शुल्क तथा लाइसेंस फीस की वसूली न करना/ कम करना	3.3	28
अध्याय-चार: स्टॉम्प शुल्क		
कर संचालन	4.1	36
लेखापरीक्षा परिणाम	4.2	36
पटवारियों द्वारा गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करना	4.3	37
सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण	4.4	37
भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली	4.5	38
समाहर्ता/ जिला मूल्यांकन समिति द्वारा सम्पत्ति का मूल्यांकन न करना	4.6	39
पट्टा विलेख पर स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली	4.7	39
अध्याय-पांच: वाहन, माल व यात्री कर		
कर संचालन	5.1	41
लेखापरीक्षा परिणाम	5.2	41
यात्री व माल कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा	5.3	42
विशेष पथ कर/ शास्ति वसूल न करना (हिमाचल पथ परिवहन निगम)	5.4	59
निजी स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर की वसूली न करना/ अल्प-वसूली करना	5.5	59
करों की अवसूली	5.6	61
प्रयोक्ता प्रभारों का जमा न करवाना	5.7	62
अध्याय-छः वन प्राप्तियां		
कर संचालन	6.1	64
लेखापरीक्षा परिणाम	6.2	64
वृक्षों का अवैध कटान	6.3	65
जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के कारण राजस्व का अवरोधन	6.4	64
विभागीय प्रभारों का जमा न करवाना	6.5	65
वन भूमि पर सड़कों के अवैध निर्माण के कारण राजस्व का अनुद्ग्रहण	6.6	67
रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण/ अल्पोद्ग्रहण	6.7	68
रेजिन ब्लेजों का अनियमित विलोपन	6.8	69
अध्याय-सात: अन्य कर एवं गैर कर प्राप्तियां		
कर संचालन	7.1	70
लेखापरीक्षा परिणाम	7.2	70
विद्युत शुल्क को सरकारी खाते में जमा न करवाना	7.3	71
अनिवार्य भाड़ा तथा ब्याज की वसूली न करना/ अल्प वसूली करना	7.4	72
व्यपगत निक्षेपों का सरकारी राजस्व खाते में क्रेडिट न करना	7.5	73

परिशिष्ट

क्रमांक	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ
I	लेखापरीक्षा योजना	1.10	74
II	अमान्य, डुप्लीकेट और त्रुटिपूर्ण 'सी' फार्मों की स्वीकृति के कारण कर का अपवंचन	2.9	75
III	घोषणा फार्मों 'एफ' का दुरुपयोग करने के कारण कर की गलत छूट	2.12	76
IV	रेक्टिफाइड स्पिरिट/ एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और मेच्योर्ड मॉल्ट स्पिरिट का गैर-लेखाकरण	3.3.2.3	77
V	आसवनी/ बंधक माल गोदामों पर तैनात आबकारी स्थापना के वेतनों की वसूली न करना	3.3.6	78
VI	पटवारियों द्वारा गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करना	4.3	79
VII	संपत्तियों के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण	4.4	80
VIII	भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली	4.5	81
IX	अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु फार्मों को प्राधिकृत न करना/ विलम्ब से प्राधिकृत/ पंजीकरण करना	5.3.9.1 (ii)	82

## प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। इस प्रतिवेदन में राज्य के बिक्री, व्यापार आदि पर कर/ मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, स्टॉप शुल्क, मोटर वाहन कर, यात्री व माल कर, तथा अन्य कर व अ-कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत हैं।
3. इस प्रतिवेदन में वर्ष 2012-13 के दौरान लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामले तथा विगत वर्षों में दृष्टिगोचर हुए परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में उन पर आवश्यक कार्रवाई न किए जाने वाले मामले उल्लिखित हैं; जहां आवश्यक था, 2012-13 से तदनंतर अवधि से सम्बंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।
4. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर के अवनिर्धारण, राज्य आबकारी के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण, स्टॉप शुल्क तथा पंजीकरण फीस के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण, यात्री तथा माल कर के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण, रॉयल्टी आदि के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण से सम्बंधित ₹ 781.44 करोड़ से ग्रस्त 'यात्री तथा माल कर का उद्ग्रहण तथा संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 30 परिच्छेद समाविष्ट है कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

### I. सामान्य

वर्ष 2012-13 की सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की ₹14,542.86 करोड़ की तुलना में ₹15,598.14 करोड़ थी। इसमें से 38 प्रतिशत कर राजस्व (₹4,626.17 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹1,376.88 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई थी। शेष 62 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों (₹2,282.02 करोड़) तथा सहायता अनुदानों (₹7,313.07 करोड़) के राज्यांश के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किया गया।

(परिच्छेद 1.1)

वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियां तथा अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों की 241 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 780 मामलों में कुल ₹1023.30 करोड़ का अवनिर्धारण, राजस्व का अल्पोद्ग्रहण उदघाटित हुआ। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 516 मामलों में ₹779.17 करोड़ से अंतर्ग्रस्त अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभागों ने 2012-13 के दौरान विगत वर्ष की लेखापरीक्षा आपत्तियों से सम्बंधित 183 मामलों में ₹266.53 करोड़ का संग्रहण किया।

(परिच्छेद 1.11)

### II. बिक्री, व्यापार, आदि पर कर / वैट

विभिन्न पद्धतियों को लागू करके निर्धारिती प्राधिकारियों ने अंत स्टॉक पर ₹1.41 करोड़ के निवेश कर क्रेडिट की गलत राशि अनुमत करके 119 निर्धारितियों की कर दायिता का स्थगन किया, जोकि अन्यथा निर्धारण की तिथि पर वसूली योग्य थी तथा इसके परिणामस्वरूप ₹72.30 लाख के ब्याज सहित ₹2.13 करोड़ की निवेश कर क्रेडिट की अधिक राशि अनुमत की गई।

(परिच्छेद 2.3.2)

53 मामलों में खरीददारियों की सूचियों के बिना विवरणियां स्वीकार करने तथा 2006-07 से 2010-11 की कर अवधियों की ऐसी अपूर्ण विवरणियों पर चार साहयक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों द्वारा निवेश कर क्रेडिट की गलत अनुमति के फलस्वरूप ₹4.01 करोड़ की अनियमित अनुमति दी गई।

(परिच्छेद 2.3.4)

एक मामले में दो वर्ष पूर्व जल चुके बताए गए बीजकों के मामले में निर्धारिती प्राधिकारी ने कर बीजकों तथा अनिवार्य क्षतिपूर्ति बंधपत्र के बिना ही निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया था। इसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹3.19 करोड़ की राशि के कर निवेश क्रेडिट की अनियमित अनुमति दी गई।

(परिच्छेद 2.3.6)

तीन सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के कार्यालयों में अधिनियम के प्रावधानों/माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु संविदाकारों को संभरित किए गए माल के संदर्भ में सकल बिक्री से ₹28.53 करोड़ की कटौती अनुमत की गई थी, जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹2.25 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 2.4)

दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के कार्यालयों में 10 व्यापारियों के संदर्भ में 12.50 प्रतिशत की सही दर की बजाय चार अथवा पांच प्रतिशत की दर पर ₹16.69 करोड़ की बिक्री का निर्धारण किया गया, जिसके फलस्वरूप 2005-06 से 2010-11 की कर अवधियों के ब्याज सहित ₹2.48 करोड़ कर का कम आकलन किया गया।

(परिच्छेद 2.5.1)

दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित 10 औद्योगिक इकाइयों, जिन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी इकाइयों में 80 प्रतिशत मूल हिमाचलियों को रोजगार प्रदान नहीं किया था, जोकि अनिवार्य था, के लिए ₹279.40 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत के कर की रियायती दर के लिए आवेदन किया था। इसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹11.50 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 2.7)

पांच निर्धारिती प्राधिकारियों द्वारा दोषपूर्ण/अपूर्ण/डुप्लीकेट सांविधिक फार्म 'सी' तथा 'एफ' स्वीकार करने तथा 23 व्यापारियों को कर की छूट/रियायती दर अनुमत करने के फलस्वरूप ब्याज सहित ₹1.95 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 2.9 तथा 2.12)

### III. राज्य आबकारी

एक आसवनी में शीरा से स्पिरिट के कम उत्पादन के फलस्वरूप ₹24.81 लाख के आबकारी शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 3.3.4.2)

पांच सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के कार्यालयों में तीन मद्यनिर्माणशालाओं तथा/बंधक माल-गोदामों में लाइसेंसधारियों में तैनात आबकारी स्टाफ की 2008-09 तथा 2011-12 के मध्य की अवधियों से सम्बंधित वेतनों की ₹1.53 करोड़ की अदायगी नहीं की थी तथा फलस्वरूप उस सीमा तक शुल्कों की अवसूली हुई।

(परिच्छेद 3.3.6)

#### IV. स्टांप शुल्क

22 उप पंजीयकों के कार्यालयों में 355 मामलों में पटवारियों द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदनों को गलत रूप से तैयार करने तथा सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण करने के फलस्वरूप ₹2.56 करोड़ के स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.3 तथा 4.4)

दो उप-पंजीयकों के कार्यालयों में 20 मामलों में समाहर्ता/जिला मूल्यांकन समिति द्वारा सम्पत्ति का मूल्यांकन न करने तथा भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन करने के फलस्वरूप ₹24.12 लाख के स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.5 तथा 4.6)

#### V. वाहन, माल तथा यात्री कर

‘यात्री तथा माल कर का उद्ग्रहण तथा संग्रहण’ पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए जाते हैं:

सभी वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित पंजीयन तथा लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारियों के मध्य समन्वय का अभाव होने के परिणामस्वरूप 2007-08 से 2011-12 की अवधि में 13,314 वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण नहीं हुआ तथा ₹14.52 करोड़ की राशि के यात्री तथा माल कर की वसूली नहीं हो पाई।

(परिच्छेद 5.3.8.2)

हिमाचल प्रदेश यात्री तथा माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत संविदाकारों का पंजीकरण न करने के फलस्वरूप ए0सी0सी0 बरमाना को 4,79,986.75 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर की आपूर्ति पर शास्ति सहित ₹1.01 करोड़ के अतिरिक्त माल कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(परिच्छेद 5.3.9.2)

खनन क्षेत्र तथा विनिर्माण इकाइयों के मध्य नाके/पड़ताल चौकियां स्थापित न करने के फलस्वरूप 50,95,231.45 मीट्रिक टन चूना-पत्थर तथा 1,694.71 मीट्रिक टन बाराइटीज के परिवहन पर ₹6.77 करोड़ के अतिरिक्त माल कर का अपवंचन हुआ।

(परिच्छेद 5.3.9.3)

अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु सीमेंट कंपनियों को प्राधिकृत करने में विलंब के फलस्वरूप सीमेंट का विनिर्माण करने के लिए खनन क्षेत्रों से सीमेंट संयंत्रों को 6,85,26,412.51 मीट्रिक टन चूना-पत्थर तथा 51,86,582.43 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर के परिवहन पर ₹189.08 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(परिच्छेद 5.3.9.4)

451 माल वाहनों का 2001-02 तथा 2008-09 के मध्य की अवधि के दौरान पंजीकरण करने में आबकारी तथा कराधान विभाग द्वारा की गई ढील के फलस्वरूप ₹1.06 करोड़ के माल कर की वसूली नहीं हो पाई।

(परिच्छेद 5.3.10.2 तथा 5.3.10.3)

समयबद्ध ढंग से लंबित बकायों की वसूली करने के लिए कोई प्रणाली विकसित न करने के फलस्वरूप आबकारी विभाग से राज्य परिवहन प्राधिकरण को उनका अंतरण होने के बाद 403 मामलों के संदर्भ में ₹6.49 करोड़ के यात्री कर की वसूली नहीं हो पाई।

(परिच्छेद 5.3.11)

नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के कार्यालयों में विशेष पथ कर की अदायगी न करने के फलस्वरूप ₹14.88 करोड़ के सरकारी देयों की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.4.1 तथा 5.5)

2010-11 तथा 2011-12 वर्षों से सम्बंधित ₹1.70 करोड़ के सांकेतिक कर तथा प्रवेश कर की न तो 4,031 वाहनों के मालिकों द्वारा अदायगी की गई और न ही 19 पंजीयन तथा लाइसेंस प्राधिकरणों तथा नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा इसकी वसूली ही की गई।

(परिच्छेद 5.6)

## VI. वन प्राप्तियां

चार वन मंडलों में क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा समय पर वन अपराधों का पता करने में ढील दिखाने के फलस्वरूप 333.497 घनमीटर खड़े आयतन की इमारती लकड़ी कम जब्त की गई, जिससे ₹94.69 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 6.3)

दो वन मंडलों में 2006-07 से 2011-12 वर्षों के दौरान 14.57 हेक्टेयर वन भूमि पर पर्यावरण तथा वन मंत्रालय/ भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना छः सड़कों का निर्माण किया गया, जिसका वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को पता नहीं चला, जिसके फलस्वरूप पर्यावरणीय हानि, वन भूमि की तोड़-फोड़ तथा बागान का भारी विनाश हुआ/ भारी हानि हुई। यह अपराध निवल वर्तमान मूल्य के संदर्भ में ₹1.23 करोड़ की राजस्व हानि से ग्रस्त था, जोकि अन्यथा गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि के अंतरण के सभी मामलों में तथा विभागीय प्रभारों के मामलों में विभाग को देय थे।

(परिच्छेद 6.6)

**VII. अन्य कर तथा गैर-कर प्राप्तियां**

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ₹493.40 करोड़ का विद्युत शुल्क जमा न करवाने के फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की वसूली नहीं हुई तथा यदि बोर्ड द्वारा देय तिथियों को अदायगियां कर दी गई होती तो सरकार द्वारा जुटाए गए ऋणों पर ₹34.06 करोड़ की न्यूनतम ब्याज देनदारी से बचा जा सकता था।

(परिच्छेद 7.3)

आठ भवन तथा सड़क मंडलों द्वारा ₹1.08 करोड़ की व्यपगत निक्षेपों को सरकारी राजस्व खाते में जमा न करवाने के फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की न्यूनोक्ति हुई।

(परिच्छेद 7.5)

## अध्याय-एक सामान्य

### 1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

**1.1.1** वर्ष 2012-13 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान एवं विगत चार वर्षों के तदनुसूची आंकड़े **तालिका 1.1** में दर्शाए गए हैं:

**तालिका – 1.1**  
**राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

						(₹ करोड़)
क्रमांक	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
<b>1.</b>	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व					
	• कर राजस्व	2,242.49	2,574.52	3,642.38	4,107.92	4,626.17
	• कर-भिन्न राजस्व	1,756.24	1,783.66	1,695.31	1,915.20	1,376.88
	योग	<b>3,998.73</b>	<b>4,358.18</b>	<b>5,337.69</b>	<b>6,023.12</b>	<b>6,003.05</b>
<b>2.</b>	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	837.49	861.63	1,715.35	1,998.37	2,282.02 <sup>1</sup>
	• सहायता अनुदान	4,471.77	5,126.55	5,657.57	6,521.37	7,313.07
	योग	<b>5,309.26</b>	<b>5,988.18</b>	<b>7,372.92</b>	<b>8,519.74</b>	<b>9,595.09</b>
<b>3.</b>	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)	<b>9,307.99</b>	<b>10,346.36</b>	<b>12,710.61</b>	<b>14,542.86</b>	<b>15,598.14</b>
<b>4.</b>	1 से 3 की प्रतिशतता	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>38</b>

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (₹6,003.05 करोड़) का 38 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्तियों का शेष 62 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का ब्यौरा **तालिका 1.2** में दिया गया है:

<sup>1</sup> विवरण के लिए कृपया वर्ष 2012-13 के हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का सविस्तृत विवरण देखें। कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तंकित आंकड़े, मुख्य प्राप्ति शीर्ष-0020-निगम कर, 0021-निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर, 0032-सम्पत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय आबकारी शुल्क, 0044-सेवा कर-0045-पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क, 901-क-कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तंकित राज्य को समनुदेशित निवल आगमों के अंश द्वारा जुटाए गए राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा विभाज्य संघीय करों के राज्यांश में सम्मिलित किए गए हैं।

तालिका 1.2  
जुटाए गए कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़)							
क्रमांक	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 की तुलना में 2012-13 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
1.	भू-राजस्व	20.28	14.54	4.78	17.86	23.60	32
2.	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस						
	स्टाम्प-न्यायिक	4.69	5.95	6.58	8.91	8.85	(-) 1
	स्टाम्प-गैर-न्यायिक	73.53	84.10	101.50	111.21	117.23	5
	पंजीकरण-फीस	20.11	23.34	24.61	34.97	46.53	33
3.	राज्य आबकारी	431.83	500.26	561.53	707.36	809.87	14
4.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,246.31	1,487.40	2,101.10	2,476.78	2,728.22	10
5.	वाहन कर	135.53	133.97	163.02	176.03	196.13	11
6.	माल व यात्री कर	62.39	88.74	93.46	94.36	101.39	7
7.	विद्युत पर कर व शुल्क	78.83	39.08	301.59	185.47	262.63	42
8.	अन्य	168.99	197.14	284.21	294.97	331.72	12
	<b>योग</b>	<b>2,242.49</b>	<b>2,574.52</b>	<b>3,642.38</b>	<b>4,107.92</b>	<b>4,626.17</b>	<b>13</b>

सम्बंधित विभागों ने भिन्नता के निम्नांकित कारण बताए:

**भू-राजस्व:** सरकारी सम्पदायों के पट्टों से प्राप्तियों की अधिक जमा तथा विविध प्राप्तियों के कारण वृद्धि हुई थी।

**स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस:** हस्तांतरण, उपहार, कब्जा सहित रेहन आदि जैसे विभिन्न विलेखों के अधिक पंजीकरण के कारण वृद्धि हुई थी।

**राज्य आबकारी:** प्रति प्रूफ लीटर देशी तथा भारतीय निर्मित विदेशी शराब की लाइसेंस फीस तथा आबकारी शुल्क की दरों में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि हुई। यह वार्षिक न्यूनतम गारंटीड कोटा में वृद्धि तथा बार-लाइसेंसधारियों, क्लबों तथा सशस्त्र सेनाओं को की जाने वाली सप्लाई पर निर्धारित फीस में वृद्धि के कारण भी थी।

**बिक्री, व्यापार आदि पर कर:** अच्छे कर प्रशासन, सिगरेटों/ बीड़ियों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों पर कर में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय/ नाका स्टाफ तथा द्रुतगामी दलों द्वारा बारंबार जांच/निरीक्षण करने के कारण भी वृद्धि हुई।

**वाहन कर:** वाहनों के अधिक पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने, अधिनियम को सख्ती से लागू करने तथा राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अंतर्गत फीस से अधिक आय के कारण वृद्धि हुई।

**माल तथा यात्री कर:** वाहनों की संख्या में वृद्धि तथा विभाग द्वारा वसूली हेतु भरसक प्रयास करने के कारण वृद्धि हुई।

**बिजली पर कर तथा शुल्क:** विगत वर्षों के बिजली शुल्क की प्राप्ति के कारण वृद्धि हुई।

अन्य विभागों ने अनुरोध (सितम्बर 2013) करने के बावजूद विगत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में विभिन्नता के कारण प्रस्तुत नहीं किए (नवम्बर 2013)।

1.1.2 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का ब्यौरा तालिका 1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3  
जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का ब्यौरा

(₹ करोड़)							
क्रमांक	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
1.	विद्युत	1,255.43	1,214.80	1,093.21	1,145.70	637.15	(-) 44
2.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	76.57	85.09	113.84	120.12	147.90	23
3.	ब्याज प्राप्तियां	77.97	76.93	69.95	115.09	69.90	(-) 39
4.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	55.40	72.11	65.44	106.54	63.90	(-) 40
5.	लोक निर्माण कार्य	22.59	30.81	34.66	41.63	39.72	(-) 5
6.	विविध सामान्य सेवाएं	5.25	1.05	2.06	40.01	8.94	(-) 78
7.	अन्य प्रशासकीय सेवाएं	14.07	17.28	31.00	26.23	45.71	74
8.	पुलिस	15.05	11.57	19.10	15.39	20.63	34
9.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8.19	5.81	8.40	8.66	11.21	29
10.	सहकारिता	2.80	3.35	9.59	2.30	3.24	41
11.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	0.17	0.14	6.84	0.36	0.33	(-) 8
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	222.75	264.72	241.22	293.17	328.25 <sup>2</sup>	12
<b>योग</b>		<b>1,756.24</b>	<b>1,783.66</b>	<b>1,695.31</b>	<b>1,915.20</b>	<b>1,376.88</b>	<b>(-) 28</b>

सम्बंधित विभागों ने विभिन्नता के निम्नांकित कारण बताए:

**वानिकी तथा वन्य प्राणी:** प्रतिपूरक वनरोपण के संदर्भ में अन्य विभागों से कम प्राप्तियों के अतिरिक्त इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम तथा अन्य उपभोक्ताओं/संगठनों से कम अदायगी के कारण कमी आई।

**पुलिस:** भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड, रेलवे प्राधिकरण तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा पुलिस गार्डों की सप्लाई करने हेतु बकायों की अदायगी करने तथा निष्प्रयोज्य वस्तुओं की नीलामी करने के कारण वृद्धि हुई।

**सहकारिता:** बिलासपुर तथा हमीरपुर में दो एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के निष्पादन हेतु राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली से अनुदानों की अग्रिम में प्राप्ति के कारण वृद्धि हुई।

**मुख्य तथा मध्यम सिंचाई:** लाभग्राहियों से कम प्राप्तियों के कारण कमी आई।

अन्य विभागों ने अनुरोध (सितम्बर 2013) करने के बावजूद विगत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में विभिन्नता के कारण प्रस्तुत नहीं किए (नवम्बर 2013)।

<sup>2</sup> मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जलापूर्ति तथा स्वच्छता, परिवार कल्याण एवं आवासीय विभागों से प्राप्तियां समाविष्ट हैं।

## 1.2 बजट आकलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं

कर तथा कर-भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के बजट आकलनों व वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं तालिका 1.4 में दी गई हैं:

तालिका 1.4  
बजट आकलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों का विवरण

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियां	(₹ करोड़)	
				विभिन्नताएं आधिक्य ( + ) अथवा ( - ) कमी	विभिन्नता की प्रतिशतता
1.	भू-राजस्व	4.01	23.60	19.59	488.53
2.	स्टाम्प व पंजीकरण फीस	159.05	172.61	13.56	8.53
3.	राज्य आबकारी	800.14	809.87	9.73	1.22
4.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,161.57	2,728.22	(-) 433.35	(-) 13.71
5.	वाहन कर	215.39	196.13	(-) 19.26	(-) 8.94
6.	माल व यात्री कर	118.19	101.39	(-) 16.80	(-) 14.21
7.	विद्युत कर तथा शुल्क	217.03	262.63	45.60	21.01
8.	पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	382.04	331.72	(-) 50.32	(-) 13.17
9.	ब्याज प्राप्तियां	125.56	69.90	(-) 55.66	(-) 44.33
10.	पुलिस	21.03	20.63	(-) 0.40	(-) 1.90
11.	लेखन सामग्री व मुद्रण	7.27	6.16	(-) 1.11	(-) 15.27
12.	लोक निर्माण कार्य	38.89	39.72	0.83	2.13
13.	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	113.33	112.11	(-) 1.22	(-) 1.08
14.	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	7.13	11.21	4.08	57.22
15.	जलापूर्ति व स्वच्छता	30.15	34.15	4.00	13.27
16.	आवास	3.31	3.67	0.36	10.88
17.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5.05	5.76	0.71	14.06
18.	कृषिकर्म (बागवानी सहित)	12.21	6.68	(-) 5.53	(-) 45.29
19.	पशुपालन	0.58	0.83	0.25	43.10
20.	मत्स्य पालन	1.44	1.94	0.50	34.72
21.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	75.31	63.90	(-) 11.41	(-) 15.15
22.	विद्युत	1,243.00	637.15	(-) 605.85	(-) 48.74
23.	उद्योग	5.90	6.17	0.27	4.58
24.	अलौह, खनन तथा धातुकर्म उद्योग	137.94	147.90	9.96	7.22

सम्बन्धित विभागों ने विभिन्नताओं के निम्नांकित कारण बताये:

**राज्य आबकारी:** वार्षिक न्यूनतम गारंटीड कोटा में वृद्धि तथा आर0 लाइसेंसधारियों, क्लबों तथा सशस्त्र सेनाओं को सप्लाय करने पर नियत फीस में वृद्धि के अतिरिक्त देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब पर लाइसेंस फीस तथा प्रति प्रूफ लीटर आबकारी शुल्क की दरें बढ़ने के कारण वृद्धि हुई।

**बिक्री, व्यापार आदि पर कर:** प्रवेश कर से सम्बन्धित प्राप्तियों में कमी तथा निर्माण कार्यों की संविदाएं पूर्ण हो जाने के कारण कमी आई।

**माल तथा यात्री कर:** कर की दरें संशोधित न करने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर से आने वाले वाणिज्यिक वाहनों तथा कंपोजिट फीस/ अखिल भारतीय परमिट फीस को यात्री तथा माल कर की बजाय राष्ट्रीय परमिट नीति के अंतर्गत जमा करने के कारण कमी आई।

**वाहन कर:** हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा विशेष सड़क कर की अदायगी न करने के कारण कमी आई थी।

**पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क:** पड़ोसी राज्यों में खनन प्रचालनों पर प्रतिबंध होने के कारण राज्य में रेत व बजरी न पहुंचने, विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के कारण सीमेंट तथा अन्य निर्माण सामग्री का आयात न होने तथा जम्मू तथा कश्मीर राज्य को पर्यटकों का अपवर्तन होने के कारण कमी आई थी।

**पुलिस:** जिला प्राधिकारियों द्वारा शिमला शहर की प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन चलाने हेतु कम परमिट / सशस्त्र अधिनियम के अंतर्गत कम लाइसेंस जारी करने के कारण कमी आई।

**लोक निर्माण कार्य:** राजस्व शीर्ष के अंतर्गत विभागीय प्रभारों की अधिक वसूली करने के कारण वृद्धि हुई।

**बागवानी सहित कृषि-कर्म:** फलों/फलों के पौधों के कम उत्पादन, कीटनाशकों/बागवानी उपकरणों की कम बिक्री तथा मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण कमी आई थी।

**वानिकी तथा वन्य प्राणी:** भारतीय वन अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत कम प्राप्तियां होने के अतिरिक्त वनों से लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों की हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम तथा अन्य उपभोक्ताओं/संगठनों द्वारा कम अदायगी करने के कारण कमी आई थी।

**पशुपालन:** वृद्धि का कारण पशुधन मालिकों से प्रभारित की जाने वाली निर्धारित फीस में वृद्धि विभागीय भेड़ प्रजनन फार्मों से भेड़ों/एक-वर्षीय भेड़ों की अधिक बिक्री, अचल/चल सम्पत्ति की बिक्री तथा की गई अधिक अदायगियों की वसूली करना था।

**मत्स्य पालन:** वृद्धि का कारण आवासीय भवनों के किरायों की अधिक वसूली, अधिक लाइसेंस जारी करना, गोविन्द सागर तथा पोंग डैमों में अधिक मत्स्य उत्पादन तथा उच्च दरों पर मत्स्य बिक्री करना था।

**जलापूर्ति तथा स्वच्छता:** वृद्धि का कारण सरकार की नीति के अनुसार पानी की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि करना था। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों ने अपने बिलों की अदायगी चालू वर्ष की बजाय तदनंतर वर्ष में की।

### 1.3 मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

वर्ष 2011-12 से सम्बंधित सकल-संग्रहण के प्रति संग्रहण पर व्यय की सम्बंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता सहित, वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण के प्रति ऐसे व्यय की प्रतिशतता को तालिका 1.5 में दिया गया है:

तालिका 1.5  
मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

(₹ करोड़)						
क्रमांक	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2011-12 से सम्बंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	2010-11	132.69	1.04	0.78	1.89
		2011-12	155.09	1.14	0.74	
		2012-13	172.61	1.22	0.71	
2.	राज्य आबकारी	2010-11	561.53	5.84	1.04	2.98
		2011-12	707.36	2.58	0.36	
		2012-13	809.87	2.78	0.34	
3.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2010-11	2,101.10	21.85	1.04	0.83
		2011-12	2,476.78	5.16	0.21	
		2012-13	2,728.22	3.40	0.21	
4.	वाहन माल व यात्री कर	2010-11	256.48	0.97	0.38	2.96
		2011-12	270.39	26.83	9.92	
		2012-13	297.52	3.21	1.08	

उपरोक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि वर्ष 2011-12 में वाहन, माल व यात्री कर के अतिरिक्त सभी राजस्व शीर्षों के अंतर्गत संग्रहण पर लागत अखिल भारतीय औसत से कम थी।

#### 1.4 पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया तथा सकल बकाया से सम्बंधित राजस्व बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व से सम्बंधित कुछ प्रधान शीर्षों का बकाया राजस्व ₹749.28 करोड़ था, जिसमें से ₹236.12 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि तालिका 1.6 में वर्णित है:

तालिका 1.6  
पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया पड़े राजस्व बकाया

(₹ करोड़)				
क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013, को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2013 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग का उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	235.33	124.74	बकाया 1968-69 से संचित पड़े हैं। ₹56.26 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹9.92 करोड़ का प्रस्तावित अपलेखन अभी प्रतीक्षित है, ₹7.15 करोड़ सरकारी विभागों/ उपक्रमों से वसूल किए जाने हे, ₹7.67 करोड़ की राशि की वसूलियों को उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था तथा ₹154.33 करोड़ व्यापारियों से वसूल किए जाने थे।
2.	वानिकी एवं वन्य-प्राणी	55.94	लागू नहीं	संविदाकारों से सम्बंधित अधिकांश मामलों (₹3.52 करोड़) बकाया एवं भू-राजस्व के अंतर्गत वसूली हेतु समाहर्ताओं को भेज दिए गए थे तथा शेष विधि न्यायालयों में अन्वीक्षाधीन थे। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग निगम लि0 तथा अन्य सरकारी विभागों से क्रमशः ₹52.15 करोड़ तथा ₹0.27 करोड़ की बकाया राशियों की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
3.	वाहन कर	211.65	90.37	विभाग से उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
4.	माल व यात्री कर	7.92	7.13	₹3.19 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित की गई, ₹1.82 करोड़ का अपलेखन प्रस्तावित किया गया, ₹1.01 करोड़ के शेष बकाया सरकारी विभागों/ उपक्रमों से वसूल किए जाने हैं, ₹4,400 उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए तथा ₹1.90 करोड़ विभिन्न वाहनों के मालिकों से वसूल किए जाने थे।
5.	पुलिस	22.40	3.88	वसूली के मामले विभागों के पास लंबित पड़े थे।
6.	जलापूर्ति, स्वच्छता व लघु सिंचाई	178.27	लागू नहीं	जलापूर्ति हेतु ₹178.27 करोड़ के कुल बकायों में से ₹161.60 करोड़ नगर निगमों/ नगरपालिकाओं/ आधिसूचित क्षेत्र समितियों, ₹4.93 करोड़ तथा ₹0.51 करोड़ क्रमशः गैर-सरकारी निकायों व सरकारी विभागों, ₹11.17 करोड़ लघु सिंचाई तथा ₹0.05 करोड़ आवास से सम्बंधित थे।
7.	राज्य आबकारी	12.65	5.56	₹5.99 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹93,545 उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए, ₹0.02 करोड़ अपलेखन हेतु प्रस्तावित थे

				तथा ₹6.63 करोड़ का बकाया बोली देने वालों/ लाइसेंसधारियों से वसूल किया जाना था।
8.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	19.84	2.78	₹6.12 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹39,100 उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए, ₹2.02 करोड़ अपलेखन हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹11.70 करोड़ विभिन्न होटल मालिकों से वसूल किए जाने थे।
9.	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.26	0.13	वसूली के मामले विभागीय प्राधिकारियों के पास लंबित पड़े थे।
10.	उद्योग	3.97	0.78	वसूली के मामले विभागीय प्राधिकारियों के पास लंबित पड़े थे।
11.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	0.74	0.50	ड्रिलिंग प्रभारों आदि की वसूली के संदर्भ में खनन अधिकारियों और आहरण तथा संवितरण अधिकारी ( मुख्यालय ) भू-वैज्ञानिक स्कंध से बकाया वसूल किए जाने थे।
12.	लोक निर्माण कार्य	0.31	0.25	बकाया 1954-55 वर्षों तथा इससे आगे से संचित पड़े हुए हैं। ₹0.31 करोड़ के कुल बकायों में से ₹0.07 करोड़ न्यायालयों के पास लंबित थे तथा शेष ₹0.24 करोड़ विभाग के पास लंबित थे।
	योग	749.28	236.12	

तालिका से देख सकते हैं कि ₹236.12 करोड़ की वसूली पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित थी तथा इनकी वसूली हेतु कोई भरसक प्रयास नहीं किए जा रहे थे। ₹652.66 करोड़ के बकाया विभागीय प्राधिकारियों के पास लंबित थे। सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा अपलेखन (₹9.78 करोड़) हेतु भेजे गए मामलों पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी।

### 1.5 बकाया निर्धारण

बिक्री-कर, मोटर स्पिरिट कर, विलास-कर तथा निर्माण कार्य संविदाओं पर करों के संदर्भ में बिक्री कर विभाग द्वारा, प्रस्तुत वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अन्त में अन्तिम रूप देने के लिए लम्बित मामलों की संख्या का विवरण तालिका 1.7 में नीचे दिया गया है:

तालिका 1.7  
बकाया निर्धारण

राजस्व शीर्ष	अथ शेष	2012-13 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये मामले	कुल देय निर्धारण	2012-13 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निपटान की प्रतिशतता ( कालम 5 से 4 )
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	59,701 1,56,062	65,883 58,215	1,25,584 2,14,277	7,982 81,849	1,17,602 1,32,428	26
विलास कर	1,126	2150	3276	404	2872	12
निर्माण कार्य संविदाओं पर कर	1,411	1107	2518	605	1913	24
मोटर स्पिरिट कर	479	2	481	481	0	100

तालिका से यह देखा जाएगा कि मोटर स्पिरिट कर के अतिरिक्त इन राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत निर्धारण मामलों की निपटान प्रतिशतता बहुत कम थी जोकि 12 तथा 26 प्रतिशत के मध्य रही, जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

### 1.6 कर अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अन्तिम रूप दिए गये मामले तथा अतिरिक्त कर के संदर्भ में उठाई गई मांगों के मामलों का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया, तालिका 1.8 में दिया गया है:

तालिका 1.8

							(₹ करोड़)	
क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2012 तक लम्बित मामले	2012-13 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	जिन मामलों में निर्धारण/ छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई	मामलों की संख्या	मांग की गई राशि	31 मार्च 2013 तक अन्तिम रूप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या
1.	राज्य आबकारी	3	1,185	1,188	1,143	1.71	45	
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	113	6,551	6,664	6,562	41.47	102	
3.	यात्री एवं माल कर	293	4,753	5,046	4,860	2.49	186	
4.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	27	1,928	1,955	1,949	2.57	6	
योग		436	14,417	14,853	14,514	48.24	339	

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि वर्ष के अन्त में लम्बित पड़े मामलों की संख्या में वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित पड़े मामलों की संख्या की तुलना में थोड़ी कमी आई है।

### 1.7 प्रत्यर्पण मामलों का लम्बन

विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित वर्ष 2012-13 के प्रारम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण सम्बंधित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रत्यर्पण तथा वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर लम्बित मामलों का विवरण तालिका 1.9 में दिया गया है:

तालिका 1.9

					(₹ करोड़)
क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	53	11.68	02	0.04
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	33	25.61	52	0.47
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	22	8.60	48	0.38
4.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	64	28.69	06	0.13

यदि आदेश की तिथि से 90 दिनों के भीतर व्यापारी को आधिक्य राशि प्रत्यर्पित नहीं की जाती है तो हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर तथा हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियमों में एक प्रतिशत प्रतिमाह तथा उसके पश्चात 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से प्रत्यर्पण किए जाने तक ब्याज के भुगतान का प्रावधान है।

बिक्री कर/ वैट के प्रत्यर्पण मामलों के निपटान की प्रगति प्राप्त दावों की तुलना में बहुत धीमी थी।

### 1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया

#### 1.8.1 सरकार के हितों की रक्षा करने हेतु उत्तरदायित्व प्रवर्तित करने में विभागाध्यक्षों की असफलता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेनदेनों की नमूना जांच करने और महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा अनुसरण किया जाता है जो निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई अनियमितताओं, जिनका मौके पर समायोजन नहीं हो

पाता, से समाविष्ट होते हैं। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों तथा इसकी एक प्रति अगले उच्चतर प्राधिकारी को भेजी जाती है, ताकि अभ्युक्तियों पर तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। कार्यालयाध्यक्षों/ सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना करना तथा चूकों को दूर करना तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी करने की तिथि से एक मास के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से की गई अनुपालना से अवगत करवाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं।

दिसम्बर 2012 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में जून 2013 के अन्त तक 3,269 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित ₹1,476.50 करोड़ से अन्तर्ग्रस्त 8,526 परिच्छेद बकाया पड़े हुए थे, जिन्हें विगत दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों सहित तालिका 1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.10

	जून 2011	जून 2012	जून 2013
निपटान के लिए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,572	3,716	3,269
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	8,608	9,763	8,526
अन्तर्ग्रस्त राजस्व राशि (₹ करोड़)	586.21	995.12	1,476.50

30 जून 2013 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा अन्तर्ग्रस्त राशि का विभागवार विवरण तालिका 1.11 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.11

(₹ करोड़)					
क्रमांक	विभाग का नाम	प्राप्तियों का स्वरूप	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त मौद्रिक मूल्य
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	122	771	204.62
		यात्री व माल कर	207	524	214.29
		पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	286	359	14.94
		मनोरंजन तथा विलास कर आदि	110	224	1.01
2.	आबकारी	राज्य आबकारी	64	184	17.76
3.	राजस्व	भू-राजस्व	237	413	0.86
4.	परिवहन	मोटर वाहन कर	692	2,361	77.64
5.	स्टाम्प एवं पंजीकरण	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	581	1,154	46.44
6.	खनन तथा भू-विज्ञान	अलौह खनन व धातुकर्म उद्योग	44	119	7.82
7.	वन तथा पर्यावरण	वानिकी एवं वन्य प्राणी	581	1,688	541.88
8.	जल स्रोत (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)	जल दरें	93	256	208.66
9.	लोक निर्माण (भवन तथा सड़क)	जमा निर्माण कार्य	136	273	83.63
10.	कृषि कर्म	बागवानी तथा कृषि	82	135	3.50
11.	सहकारिता	लेखापरीक्षा फीस तथा अन्य प्राप्तियां	34	65	53.45
<b>योग</b>			<b>3,269</b>	<b>8,526</b>	<b>1,476.50</b>

2012-13 के दौरान जारी किये गए 164 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को

कार्यालयाध्यक्षों से प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक मास के भीतर प्राप्त होने अपेक्षित थे। उत्तरों के प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह अधिक लंबन इस तथ्य को इंगित करता है कि प्रधान महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित दोषों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने हेतु कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई।

सरकार को लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के शीघ्र तथा उचित उत्तरों हेतु प्रभावशाली पद्धति अपनाने पर विचार करना चाहिए।

### 1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों में परिच्छेदों के अनुश्रवण तथा निपटान की प्रगति में तीव्रता लाने के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया। वर्ष 2012-13 के दौरान की गई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए पैरों का विवरण तालिका 1.12 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12

(₹ करोड़)				
क्रमांक	राजस्व शीर्ष	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	समायोजित किए गए पैरों की संख्या	राशि
1.	राजस्व विभाग	2	52	00.14
2.	राज्य आबकारी विभाग	3	157	15.10
3.	परिवहन विभाग	2	43	00.42
<b>योग</b>		<b>7</b>	<b>252</b>	<b>15.66</b>

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करने के बावजूद परिवहन विभाग तथा राजस्व विभाग से सम्बंधित पैरों के निपटान की प्रगति बड़ी संख्या के निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों के लम्बित होने की तुलना में नगण्य थी।

### 1.8.3 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों से सम्बंधित विभागों की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को प्रधान महालेखाकार द्वारा सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को इस अनुरोध के साथ भेजे जाते हैं कि वे लेखापरीक्षा आपत्तियों की ओर ध्यान दें तथा छः सप्ताह के भीतर इनके उत्तर प्रेषित करें। विभागों/ सरकार से उत्तर प्राप्त न होने से सम्बंधित तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे परिच्छेदों के अंत में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाता है।

फरवरी तथा अगस्त 2013 के मध्य एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित बतीस प्रारूप परिच्छेदों को सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को उनके नाम से भेजे गये थे। विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों ने अनुस्मारक जारी (सितम्बर 2013) करने के बावजूद निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 19 प्रारूप परिच्छेदों के उत्तर नहीं भेजे तथा विभागों की प्रतिक्रिया के बिना उन्हें इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

### 1.8.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति की आन्तरिक कार्यप्रणाली में निर्धारित है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के भीतर सरकार द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां असाधारण रूप से विलंबित की जा रही थीं। 31 मार्च 2008, 2009, 2010 तथा 2011 को समाप्त वर्षों के हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व सैक्टर पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित 159 परिच्छेदों (निष्पादन लेखा-परीक्षा सहित) को 16 दिसम्बर 2008 तथा 6 अप्रैल 2012 के मध्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इनमें से प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में सम्बद्ध विभागों से इन परिच्छेदों पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां क्रमशः नौ, छः, सात तथा 14 मास के औसत विलम्ब से प्राप्त हुई थी। 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संदर्भ में दो विभागों (राजस्व तथा लोक निर्माण विभाग) के तीन परिच्छेदों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (नवम्बर 2013)।

### 1.8.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में अनुपालना

वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर विभागों/ सरकार ने ₹1,208.06 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की, जिनमें से 31 मार्च 2013 तक ₹113.87 करोड़ वसूल किए गए थे, जैसाकि तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13

(₹ करोड़)			
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किया गया मौद्रिक मूल्य	की गई वसूली
2007-08	105.05	24.96	6.61
2008-09	182.02	138.42	94.10
2009-10	1,420.98	839.53	8.83
2010-11	141.27	29.52	2.96
2011-12	722.39	175.63	1.07
योग	2,571.71	1,208.06	113.87

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वसूल की गई राशि स्वीकृत राशि का केवल 9.43 प्रतिशत थी, जबकि सरकार/ विभागों ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों का 47 प्रतिशत स्वीकार किया है।

सरकार को कम से कम स्वीकार किए गए मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक तन्त्र स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।

### 1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को निपटाने के लिए तन्त्र का विश्लेषण

सरकार/ विभागों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किए गए मामलों को निपटाने के लिए अपनाई गई पद्धति का विश्लेषण करने हेतु एक विभाग के पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखा परीक्षाओं पर की गई कार्रवाई के मूल्यांकन को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अनुवर्ती परिच्छेद 1.9.1 से 1.9.2.2 तक राजस्व शीर्ष-0039 के अंतर्गत राज्य आबकारी शुल्कों के संदर्भ में आबकारी तथा कराधान के निष्पादन तथा विगत दस वर्षों के दौरान ध्यान में आए मामलों तथा वर्ष 2002-03 से 2011-12 तक केन्द्रीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों की चर्चा करते हैं।

#### 1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा 31 मार्च, 2012 को उनकी सारांशित स्थिति को नीचे तालिका 1.14 में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 1.14

(₹ करोड़)													
क्रमांक	वर्ष	अथ शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			तिमाही के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य
1.	2002-03	113	293	1.81	11	71	6.21	39	114	5.93	85	250	2.09
2.	2003-04	85	250	2.09	9	39	2.82	33	155	0.63	61	134	1.46
3.	2004-05	61	134	1.46	9	41	7.67	10	30	1.08	60	145	8.05
4.	2005-06	60	145	8.05	13	48	7.28	12	42	1.41	61	151	13.92
5.	2006-07	61	151	13.92	15	44	1.96	7	25	3.56	69	170	12.32
6.	2007-08	69	170	12.32	14	59	2.23	2	16	0.41	81	213	14.14
7.	2008-09	81	213	14.14	6	71	27.47	2	30	1.35	85	254	40.26
8.	2009-10	85	254	40.26	15	95	6.79	21	72	13.48	79	277	33.58
9.	2010-11	79	277	33.58	9	64	3.48	8	149	2.14	60	192	34.76
10.	2011-12	60	192	34.76	8	55	1.41	9	46	24.04	59	201	12.13

सरकार पुराने परिच्छेदों के समायोजन हेतु विभाग तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय के मध्य तदर्थ समिति की बैठकों की व्यवस्था करती है। जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2002-03 के प्रारम्भ में 293 बकाया परिच्छेदों सहित 113 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति 2011-12 के अन्त तक 201 परिच्छेदों सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या गिर कर 59 को गई। यह इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पर्याप्त पग उठाये गए, जिसके परिणामस्वरूप बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों की संख्या में कमी आई।

### 1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किए गए मामलों पर विभाग/ सरकार द्वारा दिये गए आश्वासन

#### स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

इन परिच्छेदों से सम्बन्धित पिछले दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित, विभाग द्वारा स्वीकार किए गए तथा वसूल की गई राशि की स्थिति तालिका 1.15 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.15

(₹ करोड़)						
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित किए गए परिच्छेदों की संख्या	परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	मौद्रिक मूल्य सहित स्वीकार किए गए परिच्छेदों की संख्या	स्वीकार किए गए परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	31-03-2012 को स्वीकृत मामलों की वसूली की संचित स्थिति
2002-03	1	5.07	1	0.33	0.02	0.02
2003-04	3	1.49	2	0.49	0.006	0.10
2004-05	2	1.26	1	0.31	0.16	0.16
2005-06	3	0.12	3	0.49	0.32	0.41
2006-07	1	0.86	0	0	0	0.31
2007-08	3	1.27	2	1.25	48.07	1.04
2008-09	3	10.65	3	6.29	0.17	0.28
2009-10	4	1.47	2	0.07	0.03	0.78
2010-11	4	0.39	1	0.0	0.0	0.08
2011-12	3	0.22	1	0.07	0.0	विभाग ने अभी तक सटिप्पण उत्तर प्रेषित नहीं किए थे।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विगत दस वर्षों के दौरान यहां तक कि स्वीकार्य मामलों में वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी। स्वीकार्य मामलों में वसूली सम्बन्धित पक्षों से वसूली योग्य बकाया राशि के रूप में की जानी थी। विभाग/ सरकार द्वारा स्वीकार्य मामलों के अनुसरण के लिए कोई तन्त्र नहीं बनाया

गया था। इसके अतिरिक्त स्वीकृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों सहित बकाया मामले आयुक्त आबकारी तथा कराधान विभाग के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। उपयुक्त तन्त्र के अभाव में विभाग स्वीकृत मामलों में वसूली का अनुश्रवण नहीं कर सका। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्याय –III में स्थिति को विस्तार से बताया गया है।

विभाग को स्वीकृत मामलों में अंतर्ग्रस्त देयों की तुरन्त वसूली का अनुसरण तथा अनुश्रवण करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

### 1.10 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पूर्व प्रवृत्तियों तथा अन्य प्राचलो के अनुसार उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को जोखिम विश्लेषण के आधार पर जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व तथा कर संचालन के नाजुक मामले शामिल होते हैं जैसा कि बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय के सांख्यिकी विश्लेषण, कर संचालन के कारक, लेखापरीक्षा व्याप्ति तथा विगत पांच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव इत्यादि पर तैयार किया जाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा योग्य 560 इकाइयां थी, जिनमें से 244 इकाइयां योजनागत थी तथा 241 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी, जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का 43 प्रतिशत है। स्टाफ की भारी कमी के कारण तीन योजनागत इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। विवरण परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है।

उपरोक्त उल्लिखित अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त इन प्राप्तियों के कर संचालन की क्षमता की जांच करने के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा को भी सम्मिलित किया गया।

### 1.11 लेखापरीक्षा परिणाम

#### वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियां तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 241 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 780 मामलों में कुल ₹1023.30 करोड़ का अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण/राजस्व हानि उदघाटित हुई। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 516 मामलों में ₹779.17 करोड़ से अंतर्ग्रस्त अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिन्हे वर्ष 2012-13 के लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किया गया था। विभागों ने 2012-13 के दौरान विगत वर्ष की लेखापरीक्षा आपत्तियों से सम्बन्धित 183 मामलों में ₹266.53 करोड़ का संग्रहण किया।

यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2012-13 के दौरान ₹ 3,371.30 करोड़ का ऋण उठाया था, जो विभिन्न निगमों सामान्य/जीवन बीमा निगमों, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम आदि से ₹ 3,239.48 करोड़ के आंतरिक ऋण तथा केन्द्रीय सरकार से ऋणों व अग्रियों के रूप में ₹ 131.82 करोड़ से अंतर्विष्ट था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई वसूलियां सरकार द्वारा 2012-13 के दौरान उधार लिए गए कुल ऋण का लगभग 30 प्रतिशत थी। यदि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई वसूलियों का सरकार/ विभागों द्वारा उद्ग्रहण कर लिया गया होता तो ₹1,023.30 करोड़ की राशि की ऋण देनदारी को कम किया जा सकता था।

## 1.12 इस प्रतिवेदन की आवृत्ति

इस प्रतिवेदन में ₹781.44 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 30 परिच्छेदों (उपरोक्त सन्दर्भित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान तथा विगत वर्षों के दौरान ध्यान में आई आपत्तियों में से चयनित जिन्हें पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका) सहित 'यात्री तथा माल कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा समाविष्ट है।

सरकार/ विभागों ने ₹252.96 करोड़ से अंतर्निहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें से ₹241.07 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013) इनकी अनुवर्ती अध्यायों-II से VII में चर्चा की गई है।

## अध्याय-दो बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/ वैट

### 2.1 कर संचालन

सरकारी स्तर पर बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर कानूनों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का संचालन प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है जिसको एक अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, एक संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आठ उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 14 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा 69 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। उनको सम्बंधित कर कानूनों तथा नियमों का संचालन करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

### 2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2012-13 में मूल्य वर्धित कर/ बिक्री कर निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों से सम्बंधित 12 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 215 मामलों में ₹109.71 करोड़ का कर अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो कि निम्न श्रेणियों में आती हैं जैसा कि तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:

तालिका -2.1

(₹ करोड़)			
क्रमांक	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर का कम निर्धारण	106	25.33
2.	दोषपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकृति	14	55.36
3.	बिक्री/ खरीद को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	06	0.18
4.	निवेश कर क्रेडिट की अनियमित/गलत/अधिक स्वीकृति	53	11.81
5.	अन्य अनियमितताएं	36	17.03
योग		215	109.71

वर्ष के दौरान विभाग ने ₹29.20 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों के 91 मामले स्वीकार किए, जो विगत वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे। वर्ष 2012-13 के दौरान 48 मामलों में ₹13.95 करोड़ की राशि वसूल की गई।

₹33.83 करोड़ से ग्रस्त कुछ निदर्श मामलों की निम्नवत् परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

## 2.3 निवेश कर क्रेडिट की अनुमति

### परिचय

निवेश कर से तात्पर्य ऐसे कर से है, जिसका एक व्यापारी अपने व्यापार निवेशों की स्थानीय खरीदों अर्थात् पुनर्बिक्री हेतु खरीदें, कच्चा माल, पूंजीगत माल तथा अपने व्यापार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले निवेशों पर अदायगी करता है।

संशोधित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 11 (3) के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि एक क्रेता पंजीकृत व्यापारी द्वारा कर अवधि के दौरान की गई कर योग्य बिक्रियों पर अदा किए गए निवेश कर क्रेडिट की अनुमति का निम्नवत् के अनुसार दावा किया जा सकता है:

- i. ऐसे क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रेता पंजीकृत व्यापारी को जो उसके द्वारा कर अवधि के दौरान बेची गई कुल वस्तुओं की बिक्री पर अदा की गई अथवा देय की निवेश कर क्रेडिट राशि, तथा
- ii. इस धारा के अनुसार परिकल्पित तथा अनुमत व निर्धारित की जाने वाली अन्य शर्तों के अनुसार।

जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य 14 आबकारी तथा कराधान अधिकारियों में से उनके अधीनस्थ कार्यरत आठ<sup>1</sup> सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान किए गए निर्धारणों को आवृत्त करते हुए 'निवेश कर क्रेडिट' की अनुमत राशि पर जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य एक लेखापरीक्षा की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या निवेश कर क्रेडिट की अनुमत राशि की पद्धति संतोषप्रद है तथा क्या अधिनियम तथा नियमावलियों के प्रावधानों का विभाग के विभिन्न निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है, अभिलेखों की जांच की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत है:

### 2.3.2 निवेश कर क्रेडिट की अधिक अनुमति

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 11 (3) के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यापारी से क्रेता व्यापारी द्वारा राज्य में खरीदी गई कर योग्य वस्तुओं पर अदा किए गए निवेश कर की राशि की सीमा तक निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया जाएगा। मई 2007 की अधिसूचना के अनुसार, एक व्यापारी से टैक्स अवधि के दौरान उसके द्वारा विक्रय की गई वस्तुओं के खरीद मूल्य पर निवेश कर क्रेडिट राशि स्वीकार्य होगी। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा-19 में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास की अवधि तक देय कर पर एक प्रतिशत की दर पर और उसके उपरांत चूक जारी रहने तक प्रति मास डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज की अदायगी करने हेतु दायी हो जाता है।

आठ सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>2</sup>, के संदर्भ में जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2007-08 तथा 2010-11 के मध्य की अवधियों में 119 व्यापारियों की वार्षिक विवरणियों का निर्धारण करते समय निर्धारित प्राधिकारियों ने विभिन्न विधियां अपनाते हुए निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया। तथापि, कुल खरीदों के प्रति स्थानीय खरीदों के अनुपात के आधार पर उन वर्षों के दौरान जिन पर कोई निवेश कर क्रेडिट अनुमत नहीं था, राज्य में पंजीकृत व्यापारियों से की

<sup>1</sup> बी0बी0एन0 बद्दी, बिलासपुर, चम्बा, कांगडा स्थित धर्मशाला, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन तथा ऊना

<sup>2</sup> सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बी0बी0एन0 बद्दी, बिलासपुर, चम्बा, कांगडा स्थित धर्मशाला, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन तथा ऊना

गई खरीदों में से कर अवधियों के दौरान इन व्यापारियों के कुल अंत बकाया ₹75.50 करोड़ थे। निर्धारित प्राधिकारियों ने अंत स्टॉक पर ₹1.41 करोड़ का निवेश कर क्रेडिट अनुमत करते समय उस सीमा तक निर्धारितियों की कर देयता का भी स्थगन कर दिया था, जो कि अन्यथा निर्धारण की तिथि को कर अवधियों के संदर्भ में वसूल किया जाना अपेक्षित था। इसके फलस्वरूप ₹72.30 लाख के ब्याज सहित ₹2.13 करोड़ की राशि के निवेश कर क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई।

### 2.3.3 प्राप्त की गई कटौतियों/ छूटों/ प्रोत्साहनों पर निवेश कर क्रेडिट की कटौती न करना

हिमालच प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 17 में बिक्री की कुल राशि में से एक पंजीकृत व्यापारी को नकद छूट के रूप में अनुमत की गई राशि की कटौती करने का प्रावधान है, बशर्ते प्रदान की गई ऐसी छूट नियमित व्यापार प्रथा के अनुसार हो। इस उपबंध के अंतर्गत कटौती की मांग तभी की जाएगी, यदि व्यक्ति के पास कर बीजक अथवा परचून बीजक की सभी प्रतियां उपलब्ध हैं। व्यापारी द्वारा प्राप्त की गई छूटों/ कटौतियों/ उत्प्रेरकों से खरीद मूल्य कम हो जाता है। अतः इसे व्यापार लेखा में दर्शाना अपेक्षित होता है तथा स्थानीय खरीदों पर प्राप्त किए गए उत्प्रेरकों से इस संदर्भ में अदा किए जाने वाले कर में कमी आ जाएगी।

जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य आठ सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2005-06 से 2010-11 की अवधियों के संदर्भ में 27 व्यापारियों ने स्थानीय खरीदों पर ₹2.41 करोड़ की राशि की कटौतियां/ छूटें/ प्रोत्साहन प्राप्त किए थे जिन्हें उनके लाभ तथा हानि लेखों में दर्शाया गया था। सम्बंधित निर्धारित प्राधिकारियों को निर्धारण के दौरान इसका पता नहीं चला तथा व्यापारियों को ₹2.41 करोड़ पर आनुपातिक निवेश कर क्रेडिट अनुमत कर दिया। इसके फलस्वरूप ₹30.12 लाख का अधिक निवेश कर क्रेडिट अनुमत कर दिया। इसके अतिरिक्त ₹17.46 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

### 2.3.4 खरीदों की सूची के बिना निवेश कर क्रेडिट की अनुमति देना ( एल0पी0-I )

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 11(2) में यह प्रावधान है कि निवेश कर क्रेडिट प्राप्त करने वाला क्रेता व्यापारी निर्धारित रीति के अनुसार कर बीजकों तथा लेख रजिस्ट्रों व बहियों का अनुरक्षण करेगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 41 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी अपनी विवरणी में फार्म वैट-XV में विवरणी में विनिर्दिष्ट फार्म एल0एस0-1 तथा एल0पी0-1 में बिक्रियों तथा खरीदों की सूचियां संलग्न करेगा।

जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य सभी नमूना-जांचित आठ इकाइयों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि व्यापारियों द्वारा कर वर्षों 2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के लिए फार्म वैट-XV प्रस्तुत कर दिया गया था, किन्तु विवरणियों के साथ खरीदों (एल0पी0-1) को संलग्न नहीं किया गया था। इन में से चार सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>3</sup>, के कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने पाया कि 53 मामलों में निर्धारित प्राधिकारियों ने अपूर्ण विवरणियां अर्थात् एल0पी0-1 के बिना स्वीकार की थी तथा निर्धारणों के दौरान ₹4.01 करोड़ की राशि का निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया था। क्योंकि व्यापारियों द्वारा सूचियों के बिना विवरणियां प्रस्तुत की गई थी, अतः निवेश कर का क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाना चाहिए था, जो निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार विवरण सूचियों/ खरीदी/ बेची गई वस्तुओं के नामों के बिना लेखापरीक्षा में जमा किए गए निवेश कर क्रेडिट अथवा कर

<sup>3</sup>

सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त: कांगडा स्थित धर्मशाला, शिमला, सोलन तथा ऊना

के दावों की अधिप्रामाणिकता को सत्यापित करना बहुत कठिन था। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक निवेश कर क्रेडिट की अनुमत राशि की अनियमित अदायगी हुई, जिससे राजकोष को हानि हुई।

### 2.3.5 शराब पर निवेश कर क्रेडिट की अनियमित अनुमति

मूल्य वर्धित कर एक बहुचरणी कराधान है, जिसमें किसी इकाई द्वारा विनिर्मित वस्तुएं कई चरणों के माध्यम से होकर उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं। तथा पूर्ववर्ती चरणों में अदा किए गए कर को प्रतिशतुलित करने के उपरांत इन वस्तुओं पर कर लगया जाता है। *पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल तथा शराब* जैसी वस्तुओं को मूल्य वर्धित कर के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 6(1) में इन वस्तुओं की प्रथम बार बिक्री करने पर कर के उद्ग्रहण का भी प्रावधान है, जैसाकि अनुसूची 'घ' के दूसरे स्तंभ में उल्लिखित है।

तीन सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>4</sup>, के निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) से प्रकट हुआ कि 2005-06 से 2009-10 तक की अवधियों के चार मामलों में निर्धारिती प्राधिकारियों ने शराब निर्मित करने वाली इकाइयों को ₹44.85 लाख का निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया था। यह तथ्य कि शराब प्रथम चरण में कर योग्य थी और इसे निवेश कर क्रेडिट के क्षेत्र से बाहर रखा गया था ध्यान में नहीं आया। इस प्रकार शराब के विनिर्माण पर निवेश कर क्रेडिट की अनियमित अनुमति के फलस्वरूप ₹47.73 लाख के ब्याज सहित ₹92.58 लाख के राजस्व का अवनिर्धारण हुआ।

### 2.3.6 कर बीजकों के बिना निवेश कर क्रेडिट अनुमत करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 20 तथा 25 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 11(7)(के) में यह प्रावधान है कि पंजीकृत व्यापारी के पास कर बीजक उपलब्ध न हो तो वहां निवेश कर क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाएगा। यदि मूल कर बीजक खो जाए, नष्ट हो जाए अथवा विकृत हो जाए तो पंजीकृत व्यापारी, विक्रेता पंजीकृत व्यापारी द्वारा उसे जारी किए गए कर बीजक की प्रति सहित उपयुक्त निर्धारिती प्राधिकारी को एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे बीजक के अंतर्गत मांगी गई निवेश कर क्रेडिट की राशि के समतुल्य फार्म-VII में एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करेगा। निर्धारिती प्राधिकारी लेनदेन की प्रति-जांच करेगा तथा लेनदेन की वास्तविकता के संदर्भ में संतुष्ट हो जाने पर इस संदर्भ में आदेश जारी करके दावा अनुमत करेगा।

सितम्बर तथा अक्टूबर 2012 के मध्य सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, बी0बी0एन0-बद्दी के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि एक मामले में निर्धारिती प्राधिकारी ने मूल कर बीजकों के बिना 2006-07 से 2007-08 की अवधियों का ₹1.69 करोड़ का निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया (जुलाई 2011)। मूल कर बीजक आग में जल गए बताए गए (जून 2009), जैसाकि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए हलफनामा में कहा गया था। निर्धारिती प्राधिकारी ने पूर्वोक्त नियमावली में निर्धारित उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया था तथा पारिस्थितिक साक्ष्य देने में भी विफल रहा। निर्धारिती प्राधिकारी ने निर्धारण के दौरान मूल बीजक जो दो वर्ष पूर्व जल गए थे के सत्यापन के संदर्भ में परस्पर विरोधी अभ्युक्तियां प्रस्तुत की थी तथा फार्म- VII में प्राप्त किए बिना निवेश कर क्रेडिट अनुमत कर दिया। इस प्रकार निर्धारण न केवल संदिग्ध हुआ, बल्कि इसके फलस्वरूप ₹1.50 करोड़ के ब्याज सहित ₹3.19 करोड़ का निवेश कर क्रेडिट भी अनियमित रूप से अनुमत कर दिया।

<sup>4</sup> सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बी0बी0एन0-बद्दी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला तथा सिरमौर स्थित नाहन

### 2.3.7 कर मुक्त वस्तुओं के विनिर्माण/ बिक्री पर निवेश कर क्रेडिट अनुमत करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 11(7) में प्रावधान है कि क्रेता व्यापारी द्वारा किसी निवेश कर क्रेडिट की मांग नहीं की जाएगी तथा उसे इन कर-मुक्त घोषित वस्तुओं के विनिर्माण अथवा प्रक्रिया अथवा पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं पर संगृहीत किए गए कर के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।

जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य चार सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>5</sup> के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि निर्धारित प्राधिकारियों ने ₹4.67 करोड़ की कर-मुक्त बिक्री सहित ₹27.08 करोड़ की सकल बिक्री पर पांच व्यापारियों के मामलों का निर्धारण किया था तथा 2005-06 तथा 2010-11 के मध्य सभी खरीदों पर ₹52.08 लाख का निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया था। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि कर-मुक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त की गई वस्तुओं पर क्रेडिटों की कटौती करने के उपरांत अनुमत ₹45.94 लाख के प्रति ₹52.08 लाख की अनुमत राशि के फलस्वरूप ₹5.28 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹6.14 लाख का अधिक निवेश कर क्रेडिट हुआ।

### 2.3.8 निवेश कर क्रेडिट के संदर्भ में डाटा बेस का अनुरक्षण न करना

विभाग के पास निवेश कर क्रेडिट की एक विश्वसनीय डाटा बेस का होना न केवल आवश्यक है, बल्कि निर्धारणों तथा अन्य संवीक्षाओं आदि के दौरान वर्षानुवर्ष इसके नियमन पर अच्छे निर्णय लेने तथा प्रभावी नियंत्रण के लिए भी यह महत्वपूर्ण है।

आबकारी तथा कराधान आयुक्त स्तर अथवा जिला स्तरों पर अनुरक्षित निवेश कर क्रेडिट के संदर्भ में कोई डाटा बेस नहीं था। डाटा बेस के अभाव में मूल्य वर्धित कर के प्रारम्भ होने से प्रयुक्त किये गए निवेश कर क्रेडिटों/ व्यापारियों को अनुमत किए गए निवेश कर क्रेडिटों की जांच करना असम्भव था। एक कार्यकुशल तथा पारदर्शी कर प्रशासन प्रणाली का सृजन करने के लिए विभाग को निवेश कर क्रेडिट की धोखाधड़ी/ मिथ्या दावों की जांच करने हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित करना चाहिए।

उपर्युक्त तथ्य जुलाई 2012 तथा मई 2013 के मध्य सरकार तथा विभाग को प्रेषित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

### निष्कर्ष

राज्य के हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रशासन में निवेश कर क्रेडिट की अनुमति एक महत्वपूर्ण संघटक है। निवेश कर क्रेडिट की गणना करने के लिए एक स्पष्ट तथा असंदिग्ध सूत्र के अभाव में निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न पद्धतियां अपना कर क्रेडिट अनुमत किए जा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप निवेश कर क्रेडिट की अधिक राशि की अनुमति दी गई तथा राजस्व की हानि हुई। निवेश कर क्रेडिट अनुमत करते समय भी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का पालन न करने से राजस्व का रिसन हुआ जिसका पता नहीं चल पाया।

<sup>5</sup> सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त कांगडा स्थित धर्मशाला तथा सिरमौर स्थित नाहन, सोलन तथा ऊना

## 2.4 सामग्री की लागत की गलत कटौती

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की उपधारा 2(V) के अनुसार बिक्री में निर्माण कार्यों की संविदाओं के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त वस्तुओं में सम्पत्ति का स्थानान्तरण समाविष्ट है। दिसम्बर 2008 के आबकारी तथा कराधान आयुक्त के अनुदेशों के अनुसार यदि संविदादाता द्वारा सामग्री की पूर्ति आंशिक अथवा पूर्ण रूप से की जाती है तथा उसके मूल्य का संविदाकारों की अदायगी के प्रति प्रतिसंतुलन किया जाता है तो कर के निर्धारणार्थ इस प्रकार आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य की सकल बिक्री से कटौती नहीं की जाएगी जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दो मामलों<sup>6</sup> में ठीक भी ठहराया गया है। इसके अतिरिक्त यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास की अवधि के लिए देय कर पर एक प्रतिशत की दर से तथा इसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज की अदायगी करने का दायी होगा।

जुलाई 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य तीन सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>7</sup> के निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारित प्राधिकारियों ने 2005-06 से 2010-11 वर्षों के 15 संविदाकारों के निर्धारणों को जुलाई 2009 तथा सितम्बर 2012 के मध्य अंतिम रूप दिया। निर्धारित प्राधिकारियों ने विभागीय निर्माण कार्यों के निष्पादन कार्यों के लिए विभागों द्वारा उन्हें संभारित की गई सामग्री के सम्बंध में सकल बिक्री से ₹28.53 करोड़ की राशि की कटौती अनुमत की। इस प्रकार अनुमत की गई कटौती अनियमित थी क्योंकि विभागों द्वारा संविदाकारों को संभारित की गई सामग्री बिक्री मानी जाती है। इसके फलस्वरूप ₹1.41 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जिस पर ₹83.54 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर (अक्तूबर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) आबकारी तथा कराधान आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2013) कि पांच मामलों का पुनर्निर्धारण किया गया था तथा ₹64.65 लाख की अतिरिक्त मांग का सर्जन किया गया, जिसमें से ₹13,100 की वसूली की जा चुकी थी तथा बकाया मामले प्रक्रियाधीन थे। सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों को तुरंत बकाया राशि वसूल करने के भी निर्देश दिए गए थे। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

## 2.5 कर की गलत दरें लागू करना

**2.5.1** हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार धारा 6 के अंतर्गत अनुसूची-क के अनुसार एक व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों पर कर उद्ग्राह्य है। अनुसूची-क में यह भी प्रावधान है कि उसमें उल्लिखित वस्तुओं के संदर्भ में बिक्री की प्रत्येक अवस्था पर निर्धारित दरों पर कर उद्ग्रहण किया जाएगा। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 में यह भी प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास तक देय कर पर एक प्रतिशत की दर से तथा इसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर पर कर की अदायगी करने का दायी होगा।

लेखापरीक्षा ने सितम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>8</sup> के कार्यालयों में पाया कि 10 व्यापारियों ने ₹16.69 करोड़ के मूल्य की अंतर्राज्यीय बिक्रियां की थी जिस

<sup>6</sup> एन0एम0 गोयल तथा कम्पनी बनाम बिक्री कर अधिकारी राजनदगांव तथा अन्य (1988) 72 एस0टी0सी0368 तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1998) 109 एस0टी0सी0 एस0सी0 425

<sup>7</sup> कांगडा: दो संविदाकार, शिमला: 12 संविदाकार तथा सोलन: एक संविदाकार

<sup>8</sup> सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़, बद्दी: सात व्यापारी: ₹1.96 करोड़ तथा नाहन: तीन व्यापारी: ₹52.11 लाख

पर 12.50 प्रतिशत की दर पर कर देय था। निर्धारिती प्राधिकारियों ने अगस्त 2010 तथा फरवरी 2012 के मध्य व्यापारियों के 2005-06 तथा 2010-11 वर्षों के निर्धारणों को अंतिम रूप दिया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारिती प्राधिकारियों ने 12.50 प्रतिशत की सही दर की बजाए चार अथवा पांच प्रतिशत की दर पर ₹16.69 करोड़ की बिक्री का निर्धारण किया। इन चूकों के परिणामस्वरूप ₹1.08 करोड़ के ब्याज सहित ₹2.48 करोड़ के कम कर को अंतिम रूप दिया गया।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2012 तथा अप्रैल 2013 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) की दो व्यापारियों के मामले में ₹20.17 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया गया था जिसमें से ₹7.65 लाख की वसूली की जा चुकी थी तथा शेष मामले या तो प्रक्रियाधीन थे अथवा अपीलाधीन थे। सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

**2.5.2** हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अस्थायी प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विनिर्माता जो हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत आंशिक छूट प्राप्त कर रहा था, वह पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत समाप्त न हुई अवधि के लिए भी आंशिक छूट प्राप्त करना जारी रखेगा। प्रोत्साहन अवधि की समाप्ति के उपरांत अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कर का उद्ग्रहण जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त धारा 19 के अंतर्गत देय कर पर निर्धारित दरों पर चूक जारी रहने तक ब्याज की अदायगी भी उद्ग्रहण है।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2012 तथा सितम्बर 2012 के मध्य दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>9</sup> के कार्यालयों में पाया कि चार व्यापारियों ने 3.125 तथा चार प्रतिशत पर कर योग्य ₹9.66 करोड़ की राशि की अंतर्राज्यीय बिक्री की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारिती प्राधिकारियों ने 2005-06 से 2008-09 वर्षों से सम्बंधित उपरोक्त व्यापारियों के निर्धारणों को अप्रैल 2011 तथा अक्टूबर 2012 में अंतिम रूप दिया। निर्धारिती प्राधिकारियों ने व्यापारियों के निर्धारणों पर लागू 3.125 तथा चार प्रतिशत की बजाय एक प्रतिशत की दर पर बिक्री का गलत निर्धारण किया था, यद्यपि पात्रता की समाप्ति के बाद भी रियायती दर लागू की गई थी। इन चूकों के फलस्वरूप ₹22.37 लाख के ब्याज सहित ₹43.29 लाख के कर की अल्प वसूली हुई।

**2.5.3** इसी प्रकार सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बी0बी0एन0 बद्दी के एक अन्य मामले में निर्धारिती प्राधिकारी ने 'सी' फार्मों पर ₹44.28 करोड़ की निर्धारित राशि के बजाय ₹44.63 करोड़ की कर योग्य कुल बिक्री पर एक प्रतिशत की रियायती दर प्रभावि की थी। इस प्रकार ₹34.79 लाख की कुल बिक्री एक प्रतिशत की बजाय कर की सामान्य दर पर कर लगने से बच गई थी। कर की गलत दरें प्राचारित करने के फलस्वरूप ₹3.99 लाख के ब्याज सहित ₹8.34 लाख के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 तथा अक्टूबर 2012 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि दो मामलों में ₹2.85 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया गया था, जिसमें से ₹0.23 लाख की वसूली की जा चुकी थी तथा शेष मामले प्रक्रियाधीन थे। सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

## 2.6 ब्याज तथा शास्ति का उद्ग्रहण न करना/ कम करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अंतर्गत यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास की अवधि तक देय कर पर एक

<sup>9</sup> सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बिलासपुर: एक व्यापारी: ₹1.99 लाख तथा सोलन: तीन व्यापारी: ₹41.54 लाख

प्रतिशत की दर पर तथा उसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज की अदायगी करने का दायी हो जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत कर की अदत्त राशि पर निर्धारित दरों पर ब्याज भी उद्ग्रहण है।

सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों कांगड़ा तथा नाहन के निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य पाया कि अप्रैल 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य सात व्यापारियों के 2005-06 से 2010-11 वर्षों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय निर्धारिती प्राधिकारियों ने ₹10.01 लाख की अतिरिक्त मांगों का सृजन किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन मामलों में निर्धारिती प्राधिकारियों ने निर्धारण की तिथि तक सृजित अतिरिक्त मांग पर ₹4.18 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त नाहन ने ₹10.44 लाख की राशि के कर का निर्धारण किया तथा मार्च 2012 तक प्रभार्य ₹11.06 लाख के प्रभार्य ब्याज की बजाय ₹9.71 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इसके फलस्वरूप ₹1.35 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। चूकों के फलस्वरूप ₹5.54 लाख की राशि के ब्याज की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर (मार्च तथा अप्रैल 2013 के मध्य) आबकारी तथा कराधान आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2013) कि मामलों का पुनर्निर्धारण किया गया था तथा ₹13,067 की अतिरिक्त मांग का सर्जन तथा इसकी वसूली की गई थी। सम्बंधित सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों को शेष मामलों का निपटारा करने तथा राशि वसूल करने के निदेश भी दिए गए थे। सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

**2.6.2** हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 (8) के अंतर्गत यदि कोई व्यापारी अपनी बिक्री, खरीदों अथवा माल के स्टॉक को छिपाने के उद्देश्य से मिथ्या अथवा गलत लेखों का अनुरक्षण करता है तो धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आयुक्त अथवा उसे सहयोग प्रदान करने हेतु कोई अन्य व्यक्ति उस व्यापारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद कर के अतिरिक्त निर्धारण किए गए कर अथवा निर्धारण के लिए देय कर की दोगुणा राशि के समतुल्य शास्ति की अदायगी करने का निदेश दे सकता है।

दिसम्बर 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, कांगड़ा के निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से इंगित हुआ कि एक व्यापारी ने ₹51.66 लाख की खरीदों को छिपाया था तथा निर्धारिती प्राधिकारी ने 2010-11 के मामले का पुनर्निर्धारण करते समय (अक्टूबर 2011) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹2.84 लाख की अतिरिक्त मांग उठाई थी तथा ₹5.68 लाख की बजाय ₹42,621 की शास्ति का उद्ग्रहण किया था। इसके फलस्वरूप ₹5.26 लाख की शास्ति का कम उद्ग्रहण हुआ तथा उस सीमा तक राजस्व परित्यक्त किया गया।

विभाग तथा सरकार को लेखापरीक्षा ने मार्च 2013 में मामला प्रेषित किया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

## 2.7 कर की रियायती दर की गलत अनुमति

आबकारी तथा कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक जुलाई 1999 तथा जून 2009 की अधिसूचनाओं के द्वारा उन व्यापारियों को जो हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां चला रहे थे तथा वे इकाइयां हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी तथा कराधान विभाग के पास पंजीकृत थी को अंतर्राज्यीय बिक्री/व्यापार के लिए विनिर्मित वस्तुओं की कर योग्य बिक्री पर एक प्रतिशत पर केन्द्रीय बिक्री कर की रियायती दर अनुमत थी। रियायती दर प्राप्त करने के लिए अन्य शर्तों के साथ एक शर्त यह भी थी कि

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थित इकाई में कुल जन शक्ति का 80 प्रतिशत हिमाचल के मूल निवासियों में से नियोजित किया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>10</sup> के कार्यालयों के निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि 2005-06 से 2009-10 के वर्षों के लिए कुल बिक्री विभिन्न विनिर्माण इन इकाइयों के निर्धारणों को जुलाई 2010 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य अंतिम रूप देने समय निर्धारित प्राधिकारियों ने इकाइयों का ₹279.40 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत की रियायती दर लागू की थी। तथापि, इन इकाइयों ने औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों में स्थित अपनी औद्योगिक इकाइयों में अनिवार्य रूप से 80 प्रतिशत मूल हिमाचली नियोजित करने के प्रति 70 और 78.6 प्रतिशत के मध्य मूल हिमाचली नियोजित किए थे। इस प्रकार पूर्वोक्त शर्त को पूरी किए बिना इन इकाइयों को 2 से 4 प्रतिशत की लागू होने वाली दरों की बजाय एक प्रतिशत की रियायती दर देना अनियमित था। इसके फलस्वरूप ₹5.53 करोड़ के ब्याज सहित ₹11.50 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग तथा सरकार को अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) की सभी मामले प्रक्रियाधीन थे। सरकार का आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

## 2.8 माल के प्रवेश करने पर कर का अनुद्ग्रहण

स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश होने पर हिमाचल प्रदेश कर अधिनियम, 2010 की धारा-3 में जल-विद्युत परियोजनाओं की निर्माण संविदाओं अर्थात् निजी निकायों, आदि के द्वारा निष्पादित उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के लिए किसी व्यापारी के व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले सीमेंट तथा अन्य वस्तुओं जो अधिनियम की अनुसूची -II में उल्लिखित राज्य के बाहर के स्थानों से हिमाचल प्रदेश के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, की लागत के पांच प्रतिशत की दर पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने रिकांग-पीओ स्थित आबकारी तथा कराधान अधिकारी किन्नौर के कार्यालय से सम्बंधित निर्धारण अभिलेखों से पाया कि निर्धारित प्राधिकारी ने जून तथा अक्टूबर 2012 के मध्य एक व्यापारी के 2010-11 तथा 2011-12 वर्षों के निर्धारणों को अंतिम रूप दिया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारित विद्युत का उत्पादन करने के लिए 1000 एम0डब्ल्यू0 करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना का निष्पादन करने के लिए मध्य प्रदेश से 'एफ' फार्मों पर हिमाचल प्रदेश में ₹25.73 करोड़ मूल्य की भारी मशीनरी लाया था। तथापि, विभाग ने इन वस्तुओं के मूल्य पर उद्ग्राह्य 5 प्रतिशत की दर पर ₹1.29 करोड़ के प्रवेश कर का उद्ग्रहण नहीं किया था। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक देय कर पर उद्ग्राह्य ब्याज के अतिरिक्त कर की वसूली नहीं हो पाई।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर आबकारी तथा कराधान अधिकारी (मार्च 2013) ने बताया कि मामले की जांच करने के बाद अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

विभाग/ सरकार को मामला अप्रैल 2013 में प्रेषित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

<sup>10</sup> सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त: कांगडा स्थित धर्मशाला तथा ऊना

## 2.9 अवैध, डुप्लीकेट तथा दोषपूर्ण 'सी' फार्म स्वीकार करने के कारण कर का अपवंचन

क्रेता व्यापारी द्वारा 'सी' फार्म को दो प्रतियों में जारी किया जाता है। 'मूल' चिन्हित प्रति को विक्रेता व्यापारी द्वारा अपनी विवरणी के साथ संलग्न किया जाता है तथा 'डुप्लीकेट' चिन्हित प्रति को क्रेता व्यापारी द्वारा अपने अभिलेखों में रखा जाता है। इसे न्यायिक रूप से भी सही ठहराया गया है<sup>11</sup> कि कर की अदायगी का अपवंचन करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी तथा सांठ-गांठ करने के लिए फार्म का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए कर की रियायती दर की मांग करने के लिए फार्म 'सी' की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

चार सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>12</sup> के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) से उद्घाटित हुआ कि 2006-07 से 2009-10 वर्षों के निर्धारण वर्षों के लिए अगस्त 2010 तथा जुलाई 2012 के मध्य 15 व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय लेनदेनों के समर्थन में प्रस्तुत उद्घोषणा फार्मों, जो या तो डुप्लीकेट/अपूर्ण थे अथवा **परिशिष्ट-II** में उल्लिखित 'सी'-फार्मों की दोषपूर्ण प्रतियां थी, की जांच किए बिना निर्धारिती प्राधिकारियों ने ₹10.19 करोड़ के मूल्य की अंतर्राज्यीय बिक्रियों पर अनियमित रूप से कर की रियायती दर अनुमत की। नियमानुसार सम्बंधित निर्धारिती प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण के समय इन फार्मों को अस्वीकृत करना चाहिए था। इसके फलस्वरूप ₹31.55 लाख के ब्याज सहित ₹78.56 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि छः मामलों में पुनर्निर्धारण पूर्ण किया जा चुका था तथा ₹3.19 लाख की सकल अतिरिक्त मांगों का सृजन किया गया/वसूली की गई (मई तथा अगस्त 2013) तथा जबकि नौ मामले प्रक्रियाधीन थे। क्योंकि पुनर्निर्धारण के छः मामलों में निर्धारण आदेश अथवा आवश्यक प्रलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए, अतः किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। सरकार का आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

## 2.10 कर का उद्ग्रहण/ मांग न करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 69 तथा 70 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 21 के अनुसार कर के निर्धारण तथा शास्ति आदि अधिरोपित करने के बाद व्यापारी को नोटिस की सर्विस की तिथि से पन्द्रह दिन से कम दिन से नहीं तथा तीस दिन से अधिक नहीं, से तिथि का उल्लेख करते हुए, व्यापारी को नोटिस जारी किया जाएगा तथा व्यापारी को ऐसी अदायगी के लिए प्रमाण के रूप में निर्धारिती प्राधिकारी को उसमें उल्लिखित समय के भीतर दिनांकित चालान प्रस्तुत करने होंगे। यदि व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो चूक जारी रहने तक उपरोक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत देय कर पर निर्धारित दरों पर ब्याज भी उद्ग्रहण है।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेखों से सितम्बर तथा अक्टूबर 2012 के मध्य पाया कि सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, बी०बी०एन०-बद्दी ने एक व्यापारी के वर्ष 2009-10 के निर्धारणों को अंतिम रूप दे दिया था (जुलाई 2011) तथा ₹24.67 करोड़ की राशि की बिना बुनी हुई फैब्रिक (पोलीप्रोपीलीन)

<sup>11</sup> आयुक्त बिक्री कर बनाम मैसर्स प्रभुदयाल प्रेम नारायण (1988)71 एस०टी०सी० (एस०सी०) तथा दिल्ली ओटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त, बिक्री कर (1997)104 एस०टी०सी० 75 (एस०सी०)

<sup>12</sup> सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बी०बी०एन०-बद्दी (11 व्यापारी: ₹46.61 लाख), नाहन स्थित सिरमौर (एक व्यापारी: ₹3.93 लाख), सोलन (दो व्यापारी: ₹26.77 लाख) तथा ऊना (एक व्यापारी: ₹1.25 लाख)

की बिक्री को कर-मुक्त माना गया, जबकि ₹1.46 करोड़ का कर 4 प्रतिशत के कर की न्यूनतम दर पर प्रभार्य था। इसके फलस्वरूप ₹46.88 लाख के ब्याज सहित ₹1.46 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रेषित किया। उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

## 2.11 बिक्री का गलत निर्धारण

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 (v) (जैड0डी0) के अनुसार 'बिक्री' से तात्पर्य व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों क्रयों तथा बिक्रियों व क्रयों के अंशों की सकल राशि तथा भाड़ा, भंडारण, विलंब शुल्क, बीमा तथा वस्तुओं के वितरण के समय अथवा वितरण से पूर्व व्यापारी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए प्रभारित की गई राशि सम्मिलित है। धारा-6 की अनुसूची-क के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के संदर्भ में बिक्री की प्रत्येक अवस्था पर निर्धारित दरों पर कर का उद्ग्रहण किया जाएगा। इस के अतिरिक्त धारा 19 में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह चूक जारी रहने तक निर्धारित दरों पर कर की अदायगी करने का दायी होगा।

तीन सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>13</sup> के निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि निर्धारित प्राधिकारियों ने 2006-07 से 2009-10 के वर्षों के लिए पांच व्यापारियों के निर्धारणों को फरवरी तथा दिसम्बर 2011 के मध्य अंतिम रूप दिया था तथा ₹89.27 करोड़ की सकल बिक्री के प्रति ₹71.10 करोड़ की सकल बिक्री का निर्धारण किया था। आगे लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारित प्राधिकारी ने निर्धारितियों द्वारा कम निर्धारित की गई सकल प्राप्तियों/ निर्धारित की गई बिक्रियों अथवा प्रामाणित प्राप्तियों की तुलना में निम्न निर्धारणों का संज्ञान नहीं लिया। इस प्रकार ₹18.18 करोड़ सकल बिक्री के अल्प निर्धारण के फलस्वरूप ₹58.94 लाख के ब्याज सहित ₹1.44 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर (जुलाई तथा मार्च 2013 के मध्य) आबकारी तथा कराधान आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2013) कि एक मामले में पुनर्निर्धारण के उपरांत ₹15.29 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया गया था। शेष मामले प्रक्रियाधीन थे तथा सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों को भी राशि की तत्काल वसूली करने के निदेश दिए गए थे। सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

## 2.12 घोषणा फार्मों 'एफ' का दुरुपयोग करने के कारण कर की गलत छूट

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण तथा बिक्री) नियमावली के नियम 12(5) के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6-क के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी को शाखा स्थानान्तरण/प्रेषित माल की बिक्री के मामले में कर की छूट प्रदान की जाती है, बशर्ते इनके समर्थन में घोषणा फार्म 'एफ' संलग्न हो। प्रत्येक व्यापारी जो अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान क्रेता व्यापारी के पंजीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट श्रेणियों की वस्तुएं किसी पंजीकृत व्यापारी को बेचता है, तो वह 10 प्रतिशत की दर पर अथवा सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत राज्य में लागू दर पर, जो भी मार्च 2007 तक अधिक हो तथा केन्द्रीय बिक्री कर पंजीकरण तथा बिक्री के नियम 12 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम

<sup>13</sup> सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बी0बी0एन0-बददी (एक व्यापारी: ₹98.10 लाख), चम्बा (दो व्यापारी: ₹0.12 करोड़), तथा सोलन (दो व्यापारी: ₹0.35 करोड़)

की धारा 8 के अंतर्गत एक अप्रैल 2007 से राज्य में लागू दर पर कर की अदायगी करने का दायी होगा। इसके अतिरिक्त कर की अदत्त राशि पर चूक जारी रहने तक निर्धारित दरों पर ब्याज भी उद्ग्राह्य है।

जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य चार सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>14</sup> के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2005-06 से 2009-10 के निर्धारण वर्षों के दौरान मई 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य आठ व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय 'एफ' फार्मों के प्रति जो या तो डुप्लीकेट, अपूर्ण, एक कैलेंडर मास/वर्ष से अधिक के लेनदेनों को आवृत्त करने वाले अथवा अन्य शाखाओं, जो पंजीकरण प्रमाण पत्रों में उल्लिखित नहीं थी, को संबोधित थे, के प्रति निर्धारिती प्राधिकारियों ने ₹10.27 करोड़ की राशि के स्टॉक के अंतरण पर गलत छूट अनुमत की थी। निर्धारण के समय ऐसे फार्मों को अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था, किन्तु सम्बंधित निर्धारिती प्राधिकारियों ने उनकी समुचित रूप से छानबीन नहीं की और छूट प्रदान कर दी। इसके फलस्वरूप ₹0.52 करोड़ के ब्याज सहित ₹1.16 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट-III** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

<sup>14</sup> बी0बी0एन0-बद्दी, कांगडा, सोलन तथा ऊना

## अध्याय-तीन राज्य आबकारी

### 3.1 कर संचालन

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभाग का अध्यक्ष होता है। विभाग को तीन अंचलों<sup>1</sup> में विभाजित किया गया है, जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण अंचल) उत्तरी अंचल एवं केन्द्रीय अंचल के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त सम्बंधित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 22 आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों की तैनाती आबकारी शुल्कों एवं सम्बंधित करों के उद्ग्रहण/ संग्रहण का अनुश्रवण तथा नियमन करने के लिए की जाती है।

### 3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2012-13 में आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस प्राप्तियों आदि से सम्बंधित सात इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से ₹4.24 करोड़ से निहित 48 मामलों में आबकारी शुल्क/ लाइसेंस फीस/ ब्याज/ शास्ति की अवसूली/ अल्पवसूली एवं अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुईं जो नीचे तालिका 3.1 के अंतर्गत आती हैं:

तालिका-3.1

क्रमांक	श्रेणियां	₹ करोड़)	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	• आबकारी शुल्क की अवसूली/ कम वसूली • लाइसेंस फीस/ ब्याज/शास्ति की अवसूली/कम वसूली	9	1.04
		21	0.86
2.	अन्य अनियमितताएं	18	2.34
योग		48	4.24

वर्ष के दौरान विभाग ने 51 मामलों में ₹4.50 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियां स्वीकार की जिन्हें विगत वर्षों में इंगित किया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान 27 मामलों में ₹3.08 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

₹3.57 करोड़ से अन्तर्ग्रस्त कुछ निदर्शी मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

<sup>1</sup> दक्षिण अंचल (शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर तथा स्पिति क्षेत्र), उत्तर अंचल (चम्बा, कांगडा तथा ऊना) तथा केन्द्रीय अंचल (बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल क्षेत्र तथा मण्डी)

### 3.3 राज्य आबकारी शुल्क तथा लाइसेंस फीस की वसूली न करना/ कम करना

#### परिचय

आसवनियों/ मद्यनिर्माणशालाओं, बंधक माल गोदामों, बोतलीकरण संयंत्रों द्वारा शराब के उत्पादन, विनिर्माण, अधिपत्य, भंडारण, परिवहन, क्रय तथा बिक्री पर उद्ग्रहण एवं शुल्क संग्रहण तथा शुल्कों का संचालन हिमाचल प्रदेश में संशोधनों सहित लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के द्वारा किया जाता है। आबकारी तथा कराधान विभाग, आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस, ब्रांड फीस, आयात/ निर्यात फीस, समयोपरि फीस, ब्याज तथा शास्ति का संग्रहण करने हेतु उत्तरदायी हैं। आबकारी तथा कराधान आयुक्त-सह-वित्तीय आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के पास आबंटन अथवा नीलामी अथवा निजी संविदा अथवा निविदाएं आमन्त्रण के द्वारा अथवा बातचीत के द्वारा अथवा भाग्यों की लॉटरी के द्वारा अथवा नवीकरण के द्वारा अथवा किसी भी व्यवस्था जिसे वह राजस्व के हित में उचित समझे, के द्वारा सभी अथवा किसी भी लाइसेंस को बेचने का अधिकार सुरक्षित है। इस प्रयोजन हेतु विभाग प्रतिवर्ष लाइसेंस देने तथा लाइसेंस फीस निर्धारित करते हुए आबकारी आबंटन/ नवीकरण आदि के लिए संविदाएं तथा शर्तें निर्धारित करके आवश्यक आख्यापन करता है।

आबकारी तथा कराधान अधिकारी किन्नौर तथा ग्यारह सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों में से सात<sup>2</sup> के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच के द्वारा 2010-11 से 2011-12 की अवधि के लिए राज्य आबकारी शुल्क तथा लाइसेंस फीस की वसूली न करने/कम करने पर मई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य एक लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है:

#### 3.3.2 राज्य आबकारी शुल्क तथा लाइसेंस फीस का उद्ग्रहण न करना

##### 3.3.2.1 न्यूनतम गारंटीड कोटा के कम उठाने पर अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण न करना

आबकारी घोषणा 2011-12 के परिच्छेद 4.3 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को प्रत्येक विक्रेता के लिए निर्धारित न्यूनतम गारंटीड कोटा उठाना अपेक्षित होगा। ऐसा न करने पर उसे न्यूनतम गारंटीड कोटे पर आधारित लाइसेंस फीस की अदायगी भी करनी होगी। इसके अतिरिक्त न्यूनतम गारंटीड कोटा के 80 प्रतिशत से कम शराब की मात्रा को उठाने पर लाइसेंसधारी द्वारा शेष मात्रा पर ₹20 प्रति पूफ लीटर की अतिरिक्त फीस की अदायगी की जाएगी। सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त/आबकारी तथा कराधान अधिकारी प्रत्येक मास न्यूनतम गारंटीड कोटे की स्थिति की समीक्षा करेगा और यदि लाइसेंसधारी 15 मार्च तक न्यूनतम गारंटीड कोटे का 80 प्रतिशत उठाने में असमर्थ है, तो वह अतिरिक्त लाइसेंस फीस की वसूली करना प्रारम्भ करेगा।

लेखापरीक्षा ने मई 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य तीन सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के एम-2 रजिस्ट्रों<sup>3</sup> की नमूना जांच की तथा पाया कि 27 लाइसेंसधारियों<sup>4</sup> ने 5,62,090.002 पूफ लीटर के न्यूनतम गारंटीड कोटे के प्रति 3,98,720.405 पूफ लीटर शराब उठाई थी, जो 2011-12 के दौरान विभाग के द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम गारंटीड कोटे 80 प्रतिशत (4,49,672.002 पूफ लीटर) से कम थी। इसके फलस्वरूप 50,951.597 पूफ लीटर कम उठाई, जिसके लिए ₹10.19 लाख यद्यपि देय थे, किन्तु सम्बंधित सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों द्वारा नहीं मांगे गए। यह त्रुटि आबकारी तथा

<sup>2</sup> बी0बी0एन0 स्थित बद्दी, कांगडा, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

<sup>3</sup> मास के दौरान बिक्री के लिए जारी भारत में बनाई गई विदेशी शराब तथा देशी शराब सहित विदेशी स्पिरिट की मात्रा, देय अतिरिक्त लाइसेंस फीस की राशि तथा वसूल की गई अतिरिक्त लाइसेंस फीस की राशि दर्शाता हुआ रजिस्टर।

<sup>4</sup> मण्डी: 13 लाइसेंसधारी, शिमला: सात लाइसेंसधारी तथा ऊना: सात लाइसेंसधारी

कराधान आयुक्त जिसे विवरणियों के साथ 'वार्षिक उठाई गई शराब तथा उपयोग की गई शराब के विवरण' प्रस्तुत किए गए थे, के भी ध्यान में नहीं आई।

इसे इंगित करने पर (मई 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य), संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त, शिमला ने सूचित किया (मई 2013) कि सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, ऊना के द्वारा सात लाइसेंसधारियों से ₹1.01 लाख की वसूली की जा चुकी थी, जिसे सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया था। वसूली की आगामी रिपोर्ट प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

### 3.3.2.2 बंधपत्र के प्रावधान लागू न करने के कारण आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण न करना

हिमाचल प्रदेश बंधक मालगोदाम नियमावली, 1987 के नियम 21 से 23 के अनुसार एक मालगोदाम से (1) बंधपत्र के अंतर्गत तथा (2) राज्य में अथवा राज्य के बाहर शुल्क की अदायगी करके शराब उठाई जा सकती है। यदि बंधपत्र के अंतर्गत शराब जारी की जाती है तो लाइसेंसधारी एक विशेष स्थान अथवा गंतव्य पर स्पिरिट का वितरण करने के लिए फार्म एल-37 में एक बंधपत्र निष्पादित करेगा तथा बंधपत्र को विमुक्त करने से पूर्व ऐसा करने का एक प्रमाण फार्म एल-38 में प्रस्तुत करेगा। विभाग द्वारा नवम्बर 1965 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जब तक चूक के संदर्भ में सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता, तो यदि विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् उपयुक्त अवधि जो दो मास से अधिक न हो, यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो समाहर्ता प्रबन्धक को प्रेषित माल के संदर्भ में उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र में उल्लिखित राशि जमा करवाने के लिए कहेगा।

जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य तीन सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>6</sup> के एल-38 रजिस्ट्रों<sup>5</sup> की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि फार्म एल-37 में एक बंधपत्र का निष्पादन करने पर दो आसवनियों तथा एक मद्यनिर्माणशाला<sup>7</sup> के पक्ष में भारत में बनाई गई विदेशी शराब की 43,537.50 पूफ लीटर के निर्यात की मद्यनिर्माणशाला संस्वीकृतियां, बीयर की 5,62,353 बल्क लीटर की 76 संस्वीकृतियां, तथा अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल की 40,000 बल्क लीटर की दो संस्वीकृतियां प्रदान की गईं। लाइसेंसधारी को विनिर्दिष्ट समय सीमा में विनिर्दिष्ट गंतव्य पर भारत में बनाई गई विदेशी शराब/बीयर/ अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल के पहुंचने पर एल-38 फार्म में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित थे, जो जून 2011 तथा मई 2012 में कालातीत हो चुकी थी। उपार्जन प्रमाण पत्र प्राप्त करने से सम्बंधित समय सीमा यद्यपि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी एल-38 फार्म में प्रमाण पत्र प्रतीक्षित थे तथा मार्च 2013 तक बंधपत्र के प्रावधान लागू नहीं किए गए थे। नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समाहर्ता बंधपत्र में उल्लिखित आबकारी शुल्क की राशि का संग्रहण करने के लिए आबद्ध था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप ₹99.24 लाख की राशि के आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हो पाई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर (जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने सूचित किया कि मामलों की समीक्षा करने के बाद, अधिनियम/ नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली के संदर्भ में आगामी सूचना तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

<sup>6</sup> मण्डी, सिरमौर तथा ऊना

<sup>5</sup> एल-38 एक निर्धारित समय सीमा में निर्धारित गंतव्य पर भारत में बनाई गई विदेश शराब/बीयर पहुंचने से सम्बंधित प्रमाण का प्रमाणपत्र है।

<sup>7</sup> मैसर्ज कालबर्ग ब्रूरी टोकिओ, गोवर्धन बॉटलिंग प्लांट, गलू तथा रेंजर ब्रूरी लिमिटेड मैहतरपुर

### 3.3.2.3 परिशोधित स्ट्रिट/ अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल तथा परिपक्व यवरस स्ट्रिट का लेखांकन न करना

हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 में परमिट रजिस्टर (डी-13) तथा स्पिरिट प्राप्ति रजिस्टर डी-13ए का अनुरक्षण करने का प्रावधान है, जिसके माध्यम से विभाग स्ट्रिट तथा शराब की प्राप्ति व निपटान पर विभिन्न नियंत्रण लगा सकता है।

लेखापरीक्षा ने दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>8</sup> के कार्यालयों में अनुरक्षित परमिट रजिस्ट्रों की स्ट्रिट प्राप्ति रजिस्ट्रों (डी-13ए) के साथ प्रति जांच की (जनवरी तथा मार्च 2013 के मध्य) तथा पाया कि दो बंधक मालगोदामों<sup>9</sup>, में 81,860 प्रूफ लीटर परिशोधित स्ट्रिट/ अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल तथा परिपक्व यवरस स्ट्रिट से अंतर्विष्ट (परिशिष्ट-IV) चार परमितों का न तो परमित रजिस्टर में निरस्त किया गया और न ही स्ट्रिट प्राप्ति रजिस्टर में इसका लेखांकन ही किया गया। इस प्रकार ₹19.26 लाख आबकारी शुल्क से अंतर्ग्रस्त 81,860 प्रूफ लीटर स्ट्रिट की वसूली नहीं की गई, जिसके लिए कोई भी कारण अभिलिखित नहीं थे।

इसे इंगित करने पर (जनवरी तथा मार्च 2013 के मध्य) सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने सूचित किया था कि मामले की समीक्षा करने के बाद अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली की आगामी सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

### 3.3.3 राज्य आबकारी शुल्क तथा लाइसेंस फीस की वसूली न करना

#### एल-13 बिक्री केन्द्र न खोलने के कारण निर्धारित फीस की वसूली न करना

2010-11 तथा 2011-12 वर्षों की आबकारी घोषणा के परिच्छेद 6.10 के अनुसार देसी शराब के संभरकों को निर्धारित लाइसेंस फीस की अदायगी करके प्रत्येक जिला में उन्हें आबंटित किए गए एल-13 बिक्री केन्द्र (थोक बिक्री केन्द्र) खोलने अपेक्षित थे। नियमों में आगे प्रावधान है कि 2010-11 तथा 2011-12 वर्षों के एल-13 की वार्षिक लाइसेंस फीस क्रमशः ₹80,000 तथा ₹1,00,000 निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा ने दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>10</sup> के कार्यालयों के एल-13 के अभिलेखों की जुलाई 2012 तथा अक्टूबर 2012 के मध्य नमूना जांच की तथा पाया कि देशी शराब के विनिर्माण में जुटे तीन लाइसेंसधारियों<sup>11</sup> ने उनको आबंटित किए गए जिलों में एल-13 बिक्री केन्द्र नहीं खोले थे। अतः 2010-11 (दो बिक्री केन्द्र) तथा 2011-12 (सात बिक्री केन्द्र) वर्षों में बिक्री केन्द्र न खोलने के कारण लाइसेंसधारियों से ₹8.60 लाख की नियत फीस की वसूली की जानी थी। इसकी विभाग द्वारा न तो मांग की गई और न ही संभरकों द्वारा इसे जमा करवाया गया, जिसके फलस्वरूप ₹8.60 लाख की निर्धारित फीस की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित करने (जुलाई 2012 तथा अक्टूबर 2012 के मध्य) पर आबकारी तथा कराधान आयुक्त ने बताया (अगस्त 2013) कि दो लाइसेंसधारियों से ₹ 8.60 लाख की राशि में से ₹5.60 लाख की वसूली की जा चुकी थी तथा बी0बी0एन0 बद्दी के आबकारी तथा कराधान निरीक्षक प्रभारी को लाइसेंसधारी से

<sup>8</sup> कांगडा तथा मण्डी

<sup>9</sup> मैसर्ज बिंदल ऐसोसियेट, छैन्नी तथा गोबर्धन बॉटलिंग प्लांट, गलू

<sup>10</sup> बी0बी0एन0 बद्दी तथा सिरमौर

<sup>11</sup> बी0बी0एन0 बद्दी: दो लाइसेंसधारी तथा सिरमौर: एक लाइसेंसधारी

निर्धारित फीस की बकाया राशि जमा करवाने के लिए निदेश दिए गए थे। वसूली की आगामी सूचना तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

### 3.3.4 राज्य आबकारी शुल्क तथा लाइसेंस फीस की अल्प वसूली

#### 3.3.4.1 बोतलीकरण लाइसेंस फीस की अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब आसवनी (पंजाब आसवनी नियमावली) नियमावली, 1932 के नियम 9.5 में यह व्यवस्था की गई है कि लाइसेंसधारी उनके द्वारा बोतलीकृत देशी शराब/भारत में बनाई गई विदेशी शराब की 750 मिलीलीटर की इकाइयों पर निर्धारित दरों पर लाइसेंस फीस की अदायगी करेगा। पंजाब आसवनी नियमावली के अंतर्गत जारी की गई मार्च 2011 की अधिसूचना में यह प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश में आसवनियों तथा संयंत्रों के लाइसेंसधारी हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर स्थित आसवनियों तथा बोतलीकरण संयंत्रों के भारत में बनाई गई विदेशी स्पिरिट के ब्रांडों के बोतलीकरण पर विशेष विक्रय-अधिकार की फीस की भी अदायगी करेंगे। लाइसेंसधारियों द्वारा इन फीसों की अदायगी त्रैमासिक रूप से प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात दिन के भीतर की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>12</sup> के अभिलेखों की जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य नमूना जांच की तथा पाया कि 2010-11 तथा 2011-12 के मध्य तीन लाइसेंसधारियों<sup>13</sup> से बोतलीकरण लाइसेंस फीस के संदर्भ में वसूल की जाने वाली ₹37.15 लाख की राशि के प्रति केवल ₹21.69 लाख की वसूली की गई थी। बकाया लाइसेंस फीस की वसूली करने के लिए विभाग द्वारा पग नहीं उठाए गए। इसके फलस्वरूप ₹15.46 लाख की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

इसे जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य इंगित करने पर आबकारी तथा कराधान आयुक्त ने सूचित (अगस्त 2013) किया कि सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, सिरमौर के संदर्भ में ₹13.25 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी थी तथा बकाया राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2013)।

#### 3.3.4.2 शीरा से सिट्ट का कम उत्पादन

हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 35 के साथ पठित नियम 37 के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार 0.373 क्विंटल शीरा से 15.391 प्रूफ लीटर देसी सिट्ट उत्पादित किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर तथा दिसम्बर 2012 के मध्य शीरा प्राप्ति एवं निर्गम रजिस्टर तथा सिट्ट निर्गम रजिस्टर से पाया कि ऊना की एक आसवनी<sup>14</sup> ने 2011-12 के दौरान परिशोधित स्पिरिट के विनिर्माण के लिए 52,095 क्विंटल शीरा प्रयुक्त किया। निर्धारित मानकों के अनुसार 21,49,582.16 प्रूफ लीटर परिशोधित सिट्ट के उत्पादन के प्रति वास्तविक उत्पादन 19,01,468 प्रूफ लीटर दर्शाया गया। इस प्रकार 2,48,114.16 प्रूफ लीटर परिशोधित सिट्ट कम उत्पादित की गई, जिसके लिए कोई कारण अभिलिखित नहीं थे। इसके फलस्वरूप परिशोधित सिट्ट के कम उत्पादन पर ₹24.81 लाख के राजस्व की हानि हुई।

<sup>12</sup> सहायक आबकारी मण्डी तथा सिरमौर

<sup>13</sup> मैसर्ज गोवर्धन बॉटलिंग प्लांट, गलू, हिल व्यू डिस्टिलरी, शम्भूवाल तथा तिलोकसन बूरी एंड डिस्टिलरी, मंथापाल

<sup>14</sup> मैसर्ज रेंजर बूरी लि0. महेतपुर

इसे इंगित करने पर (दिसम्बर 2012) विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि मामले की समीक्षा करने के उपरान्त अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली पर आगामी सूचना तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

### 3.3.5 लाइसेंस फीस/ अतिरिक्त लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना

आबकारी घोषणा 2011-12 के पैरा 4.4 (घ) के अनुसार प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए निर्धारित शराब के न्यूनतम गारंटीड कोटे पर आधारित लाइसेंस फीस की सभी मासिक किशतों की प्रत्येक मास के अंतिम दिन तक अदायगी की जानी अपेक्षित है तथा मार्च मास की अंतिम किशत की पूर्ण रूप से अदायगी दिनांक 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। शराब का परिवहन करने के लिए परिमित/ पास प्राप्त करने से पूर्व देशी शराब तथा भारत में बनाई गई विदेशी शराब पर लाइसेंसधारी से 750 मिलीलीटर के प्रति क्वार्टर पर ₹ 2 अतिरिक्त लाइसेंस फीस प्रभार्य होगी। पैरा 4.5 (क) के अनुसार यदि लाइसेंसधारी निर्धारित तिथियों को लाइसेंस फीस की राशि की अदायगी करने में विफल रहता है तो एक मास तक 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से तथा उसके बाद 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का उद्ग्रहण किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने मई 2012 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>15</sup> के एम-2 रजिस्ट्रों की नमूना जांच की तथा पाया कि 251 लाइसेंसधारियों में से, 23 लाइसेंसधारियों ने वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 की, ₹11.51 करोड़ की लाइसेंस फीस विलंब से (अप्रैल 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य) जमा करवाई। यह विलंब तीन से 180 दिन का था। उन्हें विलंबित अदायगियों पर ₹9.19 लाख की ब्याज की अदायगी करनी अपेक्षित थी। तथापि सम्बंधित सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने इसका उद्ग्रहण नहीं किया। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक ब्याज की अदायगी नहीं हुई।

(ii) इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, शिमला के लाइसेंस फीस रजिस्ट्रों से पाया कि सब्जी मंडी बिक्री केन्द्र के एक लाइसेंसधारी ने वर्ष 2011-12 के लिए प्रभार्य ₹4.96 लाख की बजाय ₹3.09 लाख की अतिरिक्त लाइसेंस फीस की अदायगी की थी। इसके फलस्वरूप ₹1.87 लाख की राशि के सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई।

सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, ऊना ने मामले इंगित करने पर (मई 2012 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य) लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा बताया (जून 2013) कि लाइसेंसधारियों से ₹2.35 लाख की वसूली हो चुकी थी। सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, ऊना के संदर्भ में ब्याज की बकाया राशि की सूचना तथा सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, शिमला से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

#### 3.3.5.1 बोटलीकरण लाइसेंस/ विशेषाधिकार फीस पर ब्याज की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.5 में निर्धारित है कि लाइसेंसधारी द्वारा बोटलीकृत देशी शराब/ भारत में बनाई गई विदेशी शराब की 750 मिलीलीटर की इकाइयों पर लाइसेंसधारी निर्धारित दरों पर लाइसेंस फीस की अदायगी करेगा। पंजाब आसवनी नियमावली के अंतर्गत जारी की गई मार्च, 2011 की अधिसूचना में आगे प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश के आसवनी तथा बोटलीकरण संयंत्रों के लाइसेंसधारी हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर स्थित आसवनी तथा बोटलीकरण संयंत्रों के भारत में बनाई गई विदेशी स्पिरिट ब्रांडों के बोटलीकरण पर विशेषाधिकार फीस की अदायगी करेंगे। लाइसेंसधारियों द्वारा इन फीसों की अदायगी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात दिन के भीतर

<sup>15</sup> शिमला: 18 मामले ( 2010-11=4, 2011-12=14) तथा ऊना: 5 मामले

त्रैमासिक रूप से की जाएगी। निर्धारित तिथि तक फीस की अदायगी करने में विफल रहने पर एक मास तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज की अदायगी की जाएगी और यदि अदायगी में चूक एक मास से अधिक समय तक जारी रहती है तो विलंब की पूर्ण अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज की अदायगी देय होगी।

लेखापरीक्षा ने आगे देसी शराब के विनिर्माण में जुटे हुए चार सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>17</sup> के डी-15ए रजिस्टर<sup>16</sup> की नमूना जांच की तथा पाया कि 2008-09 तथा 2011-12 के मध्य के वर्षों की ₹3.34 करोड़ की बोटलीकरण लाइसेंस फीस तथा विशेषाधिकार फीस 7 अप्रैल 2009 तथा 7 अप्रैल 2012 के मध्य देय थी, किन्तु यह 7 जुलाई 2009 तथा 8 अक्टूबर 2012 के मध्य विलंब से जमा करवाई गई। विलंब 10 तथा 616 दिन के मध्य का था, जिस पर ₹14.46 लाख<sup>18</sup> का ब्याज उद्ग्राह्य था, किन्तु विभाग द्वारा इसका उद्ग्रहण/वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार विभाग द्वारा कार्रवाई न करने के फलस्वरूप उपरोक्त सीमा तक सरकारी देयों की वसूली नहीं हो पाई।

इसे इंगित करने पर (जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य), सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, बी0बी0एन0 बद्दी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2013) कि लाइसेंसधारी से ₹5.47 लाख की ब्याज की राशि की वसूली की जा चुकी थी। शेष सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने बताया कि मामलों का पुनरीक्षण करने के बाद अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली के संदर्भ में आगामी सूचना तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

### 3.3.6 आसवनी/ बंधक मालगोदामों में तैनात आबकारी विभाग के स्टाफ के वेतनों की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब आसवनी नियमावली के नियम 9.13 तथा 9.16 के अनुसार लाइसेंसधारी अपनी आसवनी में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा कार्य पर आबकारी विभाग द्वारा निगरानी रखने के लिए सरकारी आबकारी स्टाफ की तैनाती करने के लिए सहमत होगा। यदि आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो, तो लाइसेंसधारी आसवनी में तैनात आबकारी स्टाफ के वेतनों के संदर्भ में मांगी गई राशि सरकारी खजाने में जमा कराएगा, किन्तु वह स्टाफ के किसी कर्मचारी को सीधे अदायगी नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा ने जून 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य पांच सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>19</sup> के कार्यालयों के अभिलेखों के साथ एक आसवनी, तीन मद्यनिर्माणशालाओं तथा 10 बंधक मालगोदामों के अभिलेखों के साथ प्रति जांच की तथा पाया कि लाइसेंसधारियों ने मद्यनिर्माणशालाओं/बंधक मालगोदामों में तैनात आबकारी स्टाफ की 2008-09 तथा 2011-12 के मध्य की अवधियों से सम्बंधित वेतनों की ₹1.53 करोड़ की राशि की अदायगी नहीं की गई थी, यद्यपि आहरण तथा संवितरण अधिकारी होने के नाते सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों को इन तैनातियों का पता था। उन्होंने मांग उठाने तथा सरकारी देयों का संग्रहण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार लाइसेंसधारियों से आबकारी स्टाफ के वेतनों की मांग न करने से सरकार ₹1.53 करोड़ की वसूली से सम्बंधित देयों से वंचित रही, जिसका विवरण परिशिष्ट-V में दिया गया है।

<sup>17</sup> बी0बी0एन0 बद्दी, कांगडा, मण्डी तथा ऊना

<sup>16</sup> रजिस्टर जिसमें बोटलीकृत देसी शराब/ भारत में बनाई गई विदेशी शराब की 750 मिलीलीटर की इकड़ियों पर निर्धारित दरों पर लाइसेंस फीस के विवरण का अनुरक्षण किया जाता है।

<sup>18</sup> बोटलीकरण लाइसेंस फीस: ₹9.20 लाख तथा विशेषाधिकार फीस: ₹5.26 लाख

<sup>19</sup> बी0बी0एन0 बद्दी, कांगडा, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

जून 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य इसे इंगित करने पर सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, बी0बी0एन0 बद्दी ने बताया (फरवरी 2013) कि सभी सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारियों आसवनियों के प्रभारी आबकारी तथा कराधान निरीक्षकों को सम्बंधित लाइसेंसधारियों से आसवनी/ बंधक मालगोदाम में तैनात आबकारी स्टाफ के वेतनों की राशियों की वसूलियां करने तथा इन्हें सरकारी खजाने में जमा करवाने से सम्बंधित निदेश जारी किए गए थे। शेष सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने सूचित किया कि मामलों का पुनरीक्षण करने के बाद अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली से सम्बंधित आगामी सूचना तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

### 3.3.7 आबकारी शुल्क के बकायों की वसूली न करना

आबकारी विभाग अपने विभाग से सम्बंधित चूककर्ता लाइसेंसधारियों से अपने देयों की वसूली करने के लिए उत्तरदायी है। यदि विभाग के पास उपलब्ध साधनों से सरकारी देयों की वसूली नहीं की जा सकती हो तो ऐसे बकायों को हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 की अधिनियम संख्या 6) के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित किया जाता है, जिनका संचालन राज्य के सम्बंधित जिलों के समाहर्ताओं द्वारा किया जाता है। दिसम्बर 1990 तथा जनवरी 1993 में समाहर्ताओं की शक्तियों का प्रत्यायोजन आबकारी तथा कराधान विभाग के विभागीय अधिकारियों को किया गया। राज्य के अथवा राज्य के बाहर के अन्य जिलों से सम्बंधित भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली के इन मामलों को सम्बंधित जिला के समाहर्ताओं (आबकारी) अथवा उस राज्य के सम्बंधित जिला के समाहर्ता को संदर्भित किया जाता है।

विभाग द्वारा संभरित की गई सूचना (मई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से इंगित हुआ कि ₹5.62 करोड़ से अंतर्ग्रस्त छः सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों<sup>20</sup> से सम्बंधित 1977-78 से 2011-12 के वर्षों के बकाया राजस्व के 34 मामलों में लाइसेंसधारियों से वसूली अपेक्षित थी, जिसमें से 23 मामलों में ₹4.68 करोड़ मार्च 2012 तक भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली के लिए लंबित थे तथा ₹94.26 लाख की राशि से अंतर्ग्रस्त अन्य 11 मामले विभागीय प्राधिकारियों के पास कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं पर थे। 20 से 37 वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग ने समयबद्ध ढंग से लंबित बकायों की वसूली हेतु कोई पद्धति विकसित नहीं की थी।

इसे इंगित करने (मई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) पर सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, बी0बी0एन0 बद्दी ने बताया (फरवरी 2013) कि ₹4.00 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी थी। शेष सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने सूचित किया था कि मामलों का पुनरीक्षण करने के बाद अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली से सम्बंधित आगामी सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

उपर्युक्त तथ्यों को सरकार को 4 जुलाई 2013 को प्रेषित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2013)।

### निष्कर्ष

आबकारी प्राप्ति राज्य सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उपर्युक्त लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से प्रतीत होता है कि विभाग का लाइसेंसधारियों से वैद्य देयों की मांग करने के लिए आसवनियों/ मद्यनिर्माणशालाओं/ बंधक मालगोदामों की कार्यप्रणाली पर समुचित नियंत्रण नहीं था। आबकारी राजस्व

<sup>20</sup>

बी0बी0एन0 बद्दी, कांगडा, मण्डी, शिमला, सोलन तथा ऊना

का संग्रहण विशेष बंधपत्र पर प्रेषित माल को नियमित करने के लिए अनुश्रवण तंत्र प्रभावशाली नहीं था तथा इसका उपयुक्त सुदृढीकरण किया जाना अपेक्षित है।

## अध्याय-चार

### स्टाम्प शुल्क

#### 4.1 कर संचालन

स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस से प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश में लागू होने वाले भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है, जिन्हें सरकार के स्तर पर प्रधान सचिव (राजस्व) द्वारा प्रशासित किया जाता है। पंजीकरण महानिरीक्षक राजस्व विभाग का अध्यक्ष है जिसे पंजीकरण कार्य अधीक्षण तथा प्रशासन के कार्य की शक्तियां प्राप्त हैं। उसे 12 उपायुक्तों तथा क्रमशः पंजीयक व उप पंजीयक के रूप में कार्य करने वाले 117 तहसीलदारों/ नायब तहसीलदारों द्वारा सहयोग प्राप्त होता है।

#### 4.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2012-13 में राजस्व विभाग की 62 इकाइयों की नमूना जांच से 112 मामलों में ₹3.32 करोड़ की राशि के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस आदि के अनुद्ग्रहण/ अल्पोद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो निम्नवत् तालिका 4.1 में दी गई श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

तालिका 4.1

क्रमांक	श्रेणियां	(₹ करोड़)	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण एवं गृह निर्माण ऋण पर अनियमित छूट	22	0.46
2.	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण	60	2.67
3.	अन्य अनियमितताएं	30	0.19
योग		112	3.32

वर्ष के दौरान विभाग ने 35 मामलों में ₹2.97 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की थी जिन्हें विगत वर्षों में इंगित किया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान 24 मामलों में ₹39.20 लाख की राशि की वसूली की गई थी।

₹2.83 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कुछ निदर्शी मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 4.3 पटवारियों द्वारा गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करना

महानिरीक्षक पंजीकरण द्वारा जुलाई 1997, जून 1998 तथा अक्टूबर 2004 में जारी किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, भूमि के बाजारी मूल्य का परिकलन विगत 12 मासों के दौरान किये गये नामान्तरणों के आधार पर किया जाना है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण हेतु भूमि के बाजारी मूल्य का निर्धारण भूमि के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है तथा इसकी गणना हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व नियमावली, 1992 के परिशिष्ट-XXI में दी गई प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। पंजीकरण अधिकारी द्वारा विक्रय विलेखों में दर्शाए गए प्रतिफल का सम्बंधित पटवारी द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन प्रतिवेदनों के साथ सत्यापन करना भी अपेक्षित है। महानिरीक्षक पंजीकरण ने अक्टूबर 2004 में यह भी स्पष्ट किया की औसत मूल्य प्रतिफल राशि अथवा बाजारी मूल्य जो भी अधिक हो, पर आधारित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2012 तथा फरवरी 2013 में 21 उप पंजीयकों<sup>1</sup> के बिक्री विलेखों से सम्बंधित प्रलेखों की नमूना-जांच की तथा पाया कि मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करते समय पटवारियों ने विगत 12 मासों के दौरान किए गए नामान्तरणों में उल्लिखित उच्च मूल्य की बजाय भूमि का गलत/ कम मूल्य लिया था। परिणामतः 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान 331 प्रलेखों को कम दरों पर ₹48.92 करोड़ पर पंजीकृत किया गया, जबकि इन प्रलेखों का वास्तविक बाजारी मूल्य ₹91.38 करोड़ था। इसके फलस्वरूप ₹2.18 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट-VI में दिया गया है।

इन मामलों को जुलाई 2012 तथा फरवरी 2013 में इंगित करने पर महानिरीक्षक पंजीकरण ने अगस्त 2013 में बताया की छः उप पंजीयकों<sup>2</sup> के संदर्भ में ₹21.74 लाख में से ₹3.28 लाख की वसूली की जा चुकी थी तथा बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। शेष उप पंजीयकों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2013)।

अगस्त, 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य मामला सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

### 4.4 सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण

महानिरीक्षक पंजीकरण द्वारा जुलाई 1997, जून 1998 तथा अक्टूबर 2004 में जारी किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, भूमि के बाजारी मूल्य का परिकलन विगत 12 मासों के दौरान किये गये नामान्तरणों के आधार पर किया जाना है। पंजीकरण अधिकारी द्वारा विक्रय विलेखों में दर्शाये गए प्रतिफल का सम्बंधित पटवारी द्वारा तैयार किये गये मूल्यांकन प्रतिवेदनों के साथ सत्यापन करना भी अपेक्षित है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत, पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये गये प्रलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण बाजारी मूल्य अथवा प्रतिफल राशि, जो भी अधिक हो, पर किया जाना है। हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली 1992 (परिशिष्ट-XXI) के अंतर्गत भूमि का मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए पटवारी उत्तरदायी हैं।

<sup>1</sup> बड़सर, बन्जार, भरवाई,बिलासपुर, फतेहपुर, घुमारवीं, हमीरपुर, झण्डुता, केलांग, कुल्लू, कुपवी, मोरंग, नालागढ़, निहरी, पधर, सरकाघाट, शिमला (ग्रामीण), सोलन, सुन्दरनगर, सुन्नी, तथा ऊना

<sup>2</sup> बन्जार: ₹1.16 लाख, झण्डुता: ₹38,250, कुल्लू: ₹1.03 लाख, मोरंग: ₹21,000, सरकाघाट: ₹5,565 तथा सुन्नी: ₹43,290

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य सात उप पंजीयकों<sup>3</sup> के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि 2010 तथा 2011 के मध्य पंजीकृत किए गए 24 प्रलेखों में उल्लिखित संपत्तियों की प्रतिफल राशि ₹5.44 करोड़ थी, जो सम्बंधित पटवारियों द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन प्रतिवेदनों में दर्शाए गए ₹12.89 करोड़ के बाजारी मूल्य से बहुत कम थी। इन प्रलेखों को पंजीकृत करते समय पंजीयन अधिकारियों द्वारा स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण के लिए संपत्तियों के ₹12.89 करोड़ के उच्च मूल्य को लिया जाना था। इसके फलस्वरूप परिशिष्ट-VII में दिए गए विवरण के अनुसार ₹37.97 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई।

उप पंजीयकों ने मामले इंगित (अगस्त 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य) करने पर बताया कि मामलों की पुनः जांच की जाएगी तथा तदनुसार अनुपालना सूचित की जाएगी। उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

सरकार को मामला सितम्बर 2012 तथा मार्च 2013 को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)

#### 4.5 भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली

महानिरीक्षक पंजीकरण द्वारा जुलाई 1997, जून 1998 तथा अक्टूबर 2004 में जारी किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, भूमि के बाजारी मूल्य का परिकलन विगत 12 मासों के दौरान किये गये नामान्तरणों के आधार पर किया जाना है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण हेतु भूमि के बाजारी मूल्य का निर्धारण भूमि के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है तथा इसकी गणना हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व नियमावली, 1992 के परिशिष्ट-XXI में दी गई प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। पंजीकरण अधिकारी द्वारा विक्रय विलेखों में दर्शाए गए प्रतिफल का सम्बंधित पटवारी द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन प्रतिवेदनों के साथ सत्यापन करना भी अपेक्षित है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु प्रस्तुत प्रलेखों पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण प्रतिफल राशि अथवा बाजारी मूल्य, जो भी अधिक हो, पर किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने जुलाई तथा अगस्त 2012 के मध्य के दो उप पंजीयकों<sup>4</sup> के अभिलेखों की जांच की तथा पाया कि 2011 के दौरान ₹1.95 करोड़, की प्रतिफल राशि के 12 प्रलेख पंजीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने इन प्रलेखों की सम्बंधित पटवारियों द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन प्रतिवेदनों के साथ प्रति जांच की तथा पाया कि मूल्यांकन प्रतिवेदन भूमि के वर्गीकरण के आधार पर तैयार नहीं किए गए थे तथा ये प्रभार्य उच्च मूल्य की बजाय भूमि के निम्न मूल्य पर आधारित थे। भूमि का बाजारी मूल्य प्रतिवेदनों में अभिलिखित ₹1.95 करोड़ के प्रति ₹4.43 करोड़ होना चाहिए था। पंजीयन अधिकारियों ने प्रलेखों का पंजीकरण करते समय इनकी प्रतिफल राशियों की मूल्यांकन प्रतिवेदनों के साथ शुद्धता सुनिश्चित नहीं की। इसके फलस्वरूप परिशिष्ट-VIII में दिए गए विवरण के अनुसार ₹12.98 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई।

इसे अगस्त 2012 तथा सितम्बर 2012 के मध्य इंगित करने पर उप पंजीयक नाहन ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों की पुनः जांच की जाएगी तथा धारा 47-क के अंतर्गत इन्हें समाहर्ता को मूल्यांकन हेतु भेजा जाएगा, जबकि उप पंजीयक, सोलन ने बताया कि सभी मामलों का पुनरीक्षण करने के उपरांत लेखापरीक्षा को परिणामों से तदनुसार अवगत करवाया जाएगा।

<sup>3</sup> बिलासपुर, हमीरपुर, इन्दौर, कुल्लू, निहरी, नालागढ़ तथा ऊना

<sup>4</sup> नाहन तथा सोलन

सरकार तथा विभाग को मामला अगस्त तथा सितम्बर 2012 को प्रेषित किया गया । उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे ( नवम्बर 2013 ) ।

#### 4.6 समाहर्ता/ जिला मूल्यांकन समिति द्वारा सम्पत्ति का मूल्यांकन न करना

पंजीकरण महानिरीक्षक ने सितम्बर 2003 में स्पष्ट किया कि शहरी/ औद्योगिक क्षेत्रों सड़कों/ उच्च मार्गों के साथ सटे क्षेत्रों, जहां पर कृषि/ वाणिज्यिक कार्यकलापों हेतु भूमि का लेनदेन होता है, में बाजारी मूल्य का मूल्यांकन करने हेतु पंजीयन अधिकारी ऐसे लेखपत्रों का पंजीकरण करने के उपरांत बाजारी मूल्य का निर्धारण करने हेतु मामला समाहर्ता को भेजेगा। सरकार ने दिसम्बर 2005 में एक समुचित तथा समरूप प्रणाली विकसित करने के लिए प्रत्येक जिला में नामोद्दिष्ट अधिकारियों की जिला मूल्यांकन समिति बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि मूल्यांकन की विद्यमान प्रणाली में शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय/ उच्च मार्गों के निकट के क्षेत्रों में भूमि का उचित मूल्यांकन करने हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में उप पंजीयक, नाहन के पंजीकरण अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि *जरजा मोहाल* में अप्रैल तथा दिसम्बर 2011 के मध्य ₹30.76 लाख की प्रतिफल राशि के आठ भूखंड (113 बिस्वा) बेचे तथा पंजीकृत किए गए थे। इन भूखंडों को शहरी तथा ग्राम योजना द्वारा आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु अनुमोदित किया गया था, किन्तु इन्हें जिला मूल्यांकन समितियों/ समाहर्ता को मूल्यांकन हेतु अग्रेषित नहीं किया गया, जैसाकि अधिनियम की धारा 47-क के अंतर्गत अपेक्षित था। इन प्रलेखों का पंजीकरण करते समय पंजीयन अधिकारियों को इस गलती का पता नहीं चला। तथापि, वर्ष 2011 के लिए *पटवारियों* द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर लेखापरीक्षा में भूमि के बाजारी मूल्य की ₹2.03 करोड़ की गणना की गई। इसके फलस्वरूप ₹11.14 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई।

उप पंजीयक, नाहन ने अगस्त 2012 में मामले इंगित करने पर बताया कि ऐसे सभी मामलों की पुनः जांच की जाएगी तथा धारा 47-क के अंतर्गत इन्हें मूल्यांकन हेतु समाहर्ता को भेजा जाएगा।

सरकार तथा विभाग को मामला सितम्बर 2012 को प्रेषित किया गया । उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे ( नवम्बर 2013 ) ।

#### 4.7 पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 35 के अनुसार जहां जुर्माना अथवा प्रीमियम अथवा भाड़ा के अतिरिक्त अग्रिम धन दिया जाता है, वहां हस्तांतरण (संख्या 23) पर लागू होने वाला शुल्क ही प्रभार्य है। भारतीय स्टॉम्प अधिनियम (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970 के अनुसार जहां पट्टावधि 30 वर्ष से अधिक है तथा 100 वर्ष से अधिक नहीं है, वहां तीन *प्रतिशत* की दर पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग की दिनांक 18 मार्च 2002 की अधिसूचना के अनुसार दो *प्रतिशत* की दर पर पंजीकरण फीस, बशर्ते अधिकतम राशि ₹25,000 हो, भी प्रभार्य है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश औद्योगिक इकाइयों को अनुदत्त उत्प्रेरक, रियायत तथा सुविधा नियमावली, 2004 का नियम 6.8 (ड) अपेक्षा करता है कि जहां प्लॉट के आबंटन की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर विभाग/ सरकार तथा आबंटित के मध्य नियमित पट्टा विलेख निष्पादित किया जाता है तो ऐसा नियमित पट्टा विलेख निष्पादित किए जाने के समय विद्यमान आबंटन दरों पर विभाग द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा। उद्योग विभाग ने राज्य में सम्बंधित जिलों के औद्योगिक क्षेत्र में पड़ने वाले प्लॉटों के प्रीमियम की दरें (प्रति वर्ग मीटर) निर्धारित की थी (जून 2009 तथा अप्रैल 2011)।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य दो उप पंजीयकों<sup>5</sup> के प्रलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि पांच मामलों में शिमला तथा ऊना औद्योगिक क्षेत्रों में पड़ने वाली 19,511 वर्ग मीटर माप की भूमि को फरवरी 2010 तथा अप्रैल 2011 के मध्य पार्टियों को 45 से 95 वर्षों की अवधि के लिए आबंटित किया गया/ पट्टे पर दिया गया। इसके अतिरिक्त संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि दोनों उप पंजीयकों ने प्रलेखों का पंजीकरण करते समय जिन वर्षों में पट्टे निष्पादित किए गए थे, उनके लिए उद्योग विभाग द्वारा नियत प्रीमियम की प्रतिफल राशि पर स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं किया, क्योंकि पट्टे दो वर्ष से अधिक पुराने थे। परिणामतः फरवरी 2010 तथा अप्रैल 2011 के मध्य निष्पादित किए गए पांच पट्टा विलेख ₹3.13 करोड़ की बजाय ₹2.21 करोड़ के प्रीमियम के प्रतिफल पर पंजीकृत किए गए। इसके फलस्वरूप ₹3.17 लाख के स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई।

इसे इंगित करने पर (सितम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) उप पंजीयकों ने सूचित किया कि मामलों का पुनरीक्षण किया जाएगा तथा तदनुसार की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। वसूली पर आगामी प्रतिवेदन तथा पूर्वोक्त उप पंजीयकों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2013)।

<sup>5</sup> उप पंजीयक शिमला (ग्रामीण) तथा उप पंजीयक ऊना

## अध्याय-पांच वाहन, माल व यात्री कर

### 5.1 कर संचालन

परिवहन विभाग से प्राप्तियों को केन्द्र तथा राज्य मोटर वाहन अधिनियमों एवं उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है तथा ये निदेशक परिवहन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होती हैं। माल व यात्री कर से प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है जिनका संचालन राज्य के आबकारी एवं कर अधिनियम द्वारा किया जाता है।

### 5.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2012-13 में राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अंतर्गत सांकेतिक कर, विशेष पथ कर, पंजीकरण फीस, परमिट फीस, चालक लाइसेंस फीस, परिचालक लाइसेंस फीस, शास्तियों एवं समेकित फीस से सम्बंधित 47 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 212 मामलों में ₹313.21 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो तालिका 5.1 में निम्नवत वर्गों के अंतर्गत आती है:

**तालिका 5.1**

			(₹ करोड़)
क्रमांक	वर्ग	मामलों की संख्या	राशि
1.	'यात्री व माल कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	01	225.82
2.	अवसूली/ अल्पवसूली <ul style="list-style-type: none"> <li>● सांकेतिक कर व समेकित फीस</li> <li>● यात्री व माल कर</li> </ul>	141 03	20.43 2.25
3.	अपवंचन <ul style="list-style-type: none"> <li>● सांकेतिक कर</li> <li>● यात्री व माल कर</li> </ul>	21 02	1.71 52.26
4.	अन्य अनियमितताएं <ul style="list-style-type: none"> <li>● वाहन कर</li> </ul>	44	10.74
<b>योग</b>		<b>212</b>	<b>313.21</b>

वर्ष के दौरान विभाग ने 193 मामलों में ₹230.80 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित की गई थी। वर्ष 2012-13 के दौरान 64 मामलों में ₹5.63 करोड़ की राशि की वसूली की गई।

₹225.82 करोड़ धन राशि से अंतर्निहित "यात्री व माल कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹16.70 करोड़ से अंतर्निहित कुछ उदाहरणार्थ मामलों की विवेचना निम्नवत् परिच्छेदों में की गई है।

### 5.3 'यात्री व माल कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

#### मुख्य बातें

- सम्बंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास सभी वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए उनके मध्य समन्वय की कमी के फलस्वरूप 2007-08 से 2011-12 की अवधि से सम्बंधित 13,314 वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण नहीं हो पाया तथा ₹14.52 करोड़ की राशि के यात्री व माल कर की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.3.8.2)

- हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम के अंतर्गत संविदाकारों का पंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप ए0सी0सी0 बरमाणा को 4,79,986.75 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर की आपूर्ति पर ₹1.01 करोड़ के अतिरिक्त माल कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 5.3.9.2)

- खनन क्षेत्र तथा विनिर्माण इकाइयों के मध्य नाका चौकी/जांच चौकियां स्थापित न करने के परिणामस्वरूप 50,95,231.45 मीट्रिक टन चूने के पत्थर तथा 1,694.71 मीट्रिक टन बराइटीज के परिवहन पर ₹6.77 करोड़ के अतिरिक्त माल कर का अपवंचन हुआ।

(परिच्छेद 5.3.9.3)

- अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु सीमेंट कम्पनियों को प्राधिकृत करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 6,85,26,412.51 मीट्रिक टन चूने के पत्थर तथा 51,86,582.43 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर का सीमेंट के विनिर्माण हेतु खनन क्षेत्रों से सीमेंट प्लांट तक परिवहन करने पर ₹189.08 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 5.3.9.4)

- 2001-02 तथा 2008-09 के मध्य की अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से 451 माल वाहनों के पंजीकरण करने में लापरवाही के परिणामस्वरूप ₹1.06 करोड़ के माल कर की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.3.10.2 तथा 5.3.10.3)

- समयबद्ध तरीके से लम्बित बकायों को वसूल करने के लिए कोई उपाय न करने के परिणामस्वरूप ₹6.49 करोड़ के यात्री कर की 403 मामलों के सम्बन्ध में आबकारी विभाग से उनको राज्य परिवहन प्राधिकरण को अंतरित करने के पश्चात वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.3.11)

#### परिचय

यात्री व माल कर से प्राप्तियों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा हिमाचल प्रदेश यात्री व माल नियमावली, 1957 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। प्राप्ति शीर्ष "0042-यात्री व माल कर" के अंतर्गत मोटर वाहनों से प्राप्तियों में यात्री कर, माल कर, अतिरिक्त माल कर तथा अन्य प्राप्तियों का समावेश होता है।

मोटर वाहनों पर उद्ग्रहण योग्य यात्री व माल कर का भुगतान हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर नियमावली के नियम 9 के अनुसार अग्रिम रूप से या तो त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से सरकार द्वारा

समय-समय पर निर्धारित की गई दरों पर किया जाता है। 12 व्यक्तियों तक के बैठने की क्षमता वाली टैक्सियों के सम्बन्ध में यात्री कर का भुगतान उनके बैठने की क्षमता के अनुसार एकमुश्त किया जाता है तथा बारह सीटों से अधिक क्षमता वाली टैक्सियों के संदर्भ में यात्री कर का निर्धारण तथा भुगतान एक निर्धारित फार्मूला के अनुसार किया जाता है। स्टेज कैरिजों द्वारा भुगतान किये गये यात्री कर को विशेष पथ कर के रूप में पुनः नामित किया गया है जिसे सम्बंधित कार्य को पहली जनवरी 2000 से परिवहन विभाग को अंतरित कर दिया गया है। माल कर का भुगतान वाहन की भारण क्षमता के अनुसार किया जाता है।

### 5.3.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग का विभागाध्यक्ष होता है जिन्हें अधीक्षण एवं प्रशासन के कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है। उनको दो अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, एवं संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, छः उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 14 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, तथा 69 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सम्बद्ध स्टाफ द्वारा उन्हें सहयोग दिया जाता है। आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों<sup>1</sup> के नियंत्रणाधीन आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा प्रबन्धित प्रवेश द्वारों पर 42 नाका चौकियाँ<sup>2</sup> हैं। राज्य को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है अर्थात् दक्षिण क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र तथा उत्तर क्षेत्र जिनकी अध्यक्षता क्रमशः एक अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा दो उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की जाती है। विभाग हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण कराने तथा यात्री व माल कर का संग्रहण करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

### 5.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि:

- हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम, 1955, हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर नियमावली 1957 एवं मोटर वाहन कर अधिनियम, 1988 का कार्यान्वयन करने में व्यवस्था यात्री व माल कर का निर्धारण, उद्ग्रहण व संग्रहण करने हेतु सफल एवं प्रभावी थी;
- परिवहन विभाग तथा आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के मध्य समन्वयन था तथा यात्री व माल कराधान हेतु सभी वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण करने के लिए प्रभावकारी था; तथा
- त्रुटि का पता लगाने तथा राजस्व की वसूली करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावकारी थी।

### 5.3.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा प्रणाली

<sup>1</sup> सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त वददी, बिलासपुर, चम्बा, कांगडा स्थित धर्मशाला, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन, तथा ऊना

<sup>2</sup> चम्बा: एक (तुनू हट्टी), सोलन: दस: (परवाणू, बरोटीवाला, धरीवाल, बद्दी, बागेरी, नवगांव, धवोटा, दाडलाघाट, घुलारवाला तथा परवाणू), सिरमौर: आठ (काला अम्ब, बेहरल, कोलर, गोविन्दघाट, राजवन, हरी-खोल, सुकेति तथा मीरपुर कोटला, बिलासपुर: चार: (स्वारघाट, गोलथाई, बरमाणा तथा श्री नैना देवी जी), कांगडा: छः (कण्डवाल, संसारपूर टैरिस, इन्दौरा, कन्दरौरी, चक्की तथा टौकी) शिमला: दो (कुड्डू तथा रेलवे स्टेशन), ऊना: 11 (महेतपुर, गगरेट, बथारी, पंडोगा, मारवारी, अन्जोली, पोलेन, भटोली, बस्डेहरा, संतोषगढ तथा गोंधपुर)

लेखापरीक्षा में 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि हेतु आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय तथा 11 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से आठ<sup>3</sup> के कार्यालयों एवं आबाकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के कार्यालय में अनुरक्षित किये गये अभिलेख की नमूना जांच अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य की गई। इकाइयों का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक अंतर्क्रिया डाटा निष्कर्षण तथा विश्लेषण के द्वारा किया गया।

### 5.3.5 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा आबकारी एवं कराधान विभाग का नमूना जांच हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध करवाने में सहयोग देने के लिए आभार प्रकट करता है। प्रधान सचिव, आबाकारी एवं कराधान, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ अक्टूबर 2012 में आरम्भिक वार्तालाप किया गया जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिए उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र एवं कार्य विधि के बारे में विवेचना की गई। निष्पादन लेखा परीक्षा अगस्त 2013 में विभाग तथा सरकार को अग्रेषित की गई तथा सितम्बर 2013 में समापन वार्तालाप किया गया। उप सचिव (आबकारी एवं कराधान) ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया जबकि आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया। सरकार के दृष्टिकोण को सम्बद्ध परिच्छेदों में समुचित रूप में शामिल किया गया है।

### 5.3.6 राजस्व की प्रवृत्ति

यात्री एवं माल कर के सम्बन्ध में वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान बजट आकलनों एवं वास्तविक प्राप्तियों की तुलना तालिका 5.2 में की गई है।

तालिका 5.2  
राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक	अन्तर आधिक्य (+) और कमी (-)	(₹ करोड़)
				बजट आकलन की तुलना में अंतर की प्रतिशतता
2007-08	46.35	55.12	8.77	19
2008-09	68.67	62.39	(-) 6.28	(-) 9
2009-10	75.54	88.74	13.20	17
2010-11	82.55	93.46	10.91	13
2011-12	117.36	94.36	(-) 23.00	(-) 20

यह देखा जा सकता है कि 2007-08, 2009-10 तथा 2010-11 वर्षों के दौरान बजट आकलनों की तुलना में अधिक प्राप्तियां थी जो 13 तथा 19 प्रतिशत के मध्य थी जबकि 2008-09 तथा 2011-12 वर्षों के दौरान क्रमशः 9 तथा 20 प्रतिशत की कमी थी। यह स्पष्ट है कि बजट आकलन अवास्तविक आधार पर बनाये गये थे। आबकारी एवं कराधान आयुक्त से वृद्धि/ कमी हेतु कारणों की पूछताछ की गई है जो अभी तक प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2013)।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

<sup>3</sup> सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी, बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन एवं ऊना

### 5.3.7 केन्द्रीयकृत आंकड़ों का अनुरक्षण न करना

राजस्व की समुचित वसूली हेतु राज्य में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास पंजीकृत किये गये वाणिज्यिक वाहनों की कुल संख्या के केन्द्रीयकृत आंकड़े शिखर स्तर पर अनुरक्षित किये जाने हैं जिनमें यात्री, माल, शिक्षा एवं सांस्थानिक संविदा कैरिज तथा राज्य में पंजीकृत निजी सेवा वाहनों की संख्या प्रभावी नियंत्रण तथा करों के उद्ग्रहण, प्रभार एवं संग्रहण एवं अन्य देयों के लिए प्रदर्शित की जानी है।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला, सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) में यह पाया गया कि शिखर स्तर पर ऐसे आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। पंजीकृत किये गये वाणिज्यिक वाहनों त्रैमासिक/वर्षवार/जिलावार आदि के केन्द्रीयकृत आंकड़ों की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा में राजस्व देय तथा ऐसे वाहनों के सम्बन्ध में वसूले गये राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला से समेकित सूचना मांगी गई (जुलाई 2012) थी जो प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2013) सरकार ने समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2013)।

### 5.3.8 अधिनियमों में कमियों/ अभाव के कारण पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य समन्वयन की कमी

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम, 1955 की धारा 8(1) तथा 9(3) में प्रावधान है कि यात्री व माल कर हेतु किसी भी वाहन को पंजीकृत नहीं किया जाएगा बशर्ते पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत इसे पंजीकृत किया जा चुका है तथा मालिक के पास मान्य पंजीकरण प्रमाण पत्र है। उन मामलों में जहां पंजीकरण प्रमाण पत्रों को स्थानांतरण, समाप्त करने, व्यवसाय बन्द करने आदि, के कारण रद्द कर दिया गया हो, पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा वाणिज्यिक वाहन मालिकों को सभी देयों को चुकता करने के उपरान्त ही अनापित्त प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त उपयुक्तता प्रमाण पत्र की वैधता केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा इनके मालिकों को नये वाहन के मामले में दो वर्षों की अवधि तथा उसके पश्चात प्रतिवर्ष के लिए जारी किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में अधिनियमों अर्थात् हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1988 एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों के दो वर्गों (सेटों) में कुछ अभाव/कमियां पाई गईं। आबकारी एवं कराधान विभाग के मोटर वाहन कराधान अधिनियम में निम्नवत् मामलों को सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के साथ सांझे किये जाने सम्बंधित ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो कि हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण न करने का मार्ग प्रशस्त करता था।

- (i) नये वाहन का पंजीकरण
- (ii) पंजीकरण प्रमाण पत्रों का निरसन
- (iii) उपयुक्तता प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना/नवीकरण तथा

(iv) स्थानांतरण आदि के मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना

दिसम्बर 1984 में जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों में अनुबद्ध किया गया है कि आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा तथा उस प्रयोजन हेतु पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के साथ नजदीकी समन्वयन बनाये रखेगा जिसकी पालना बहुत कम की गई। पंजीकरण लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सम्बद्ध सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के अपेक्षित निकट समन्वयन एवं समाप्त अनिवार्य सूचना को सांझा करने के अधिनियमों के अनिवार्य प्रावधानों की अनुपस्थिति में यात्री व माल कराधान, करों का अनुद्ग्रहण/ अवसूली/ शास्ति, आदि हेतु वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण न किये जाने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

### 5.3.8.1 विभागीय अधिकारियों एवं उड़न दस्तों द्वारा छापे/ निरीक्षण

वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों द्वारा यात्री व माल कर के अपवंचन की जांच हेतु छापेमारी एवं निरीक्षण करने के उद्देश्य से क्रमशः एक अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, दो उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की अध्यक्षता में दक्षिण, उत्तर तथा केन्द्रीय जोनों में आबकारी एवं कराधान अधिकारी के प्रभार के अंतर्गत एक उड़न दस्ते का गठन किया गया।

अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों<sup>4</sup> तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत 47,512 यात्री, माल तथा संविदा कैरिज वाहनों में से 13,314 वाहनों को सम्बद्ध सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पास पंजीकृत नहीं किया गया था। अपने स्तर पर कार्रवाई करने या पता लगाने या जब्त करने अथवा वसूली आदि के लिए न तो सम्बद्ध सहायक एवं आबकारी एवं कराधान आयुक्तों और न ही उड़न दस्तों ने पंजीकरण लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों से इन वाहनों के विवरण कर हेतु एकत्रित किये। इससे वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों की ओर से सार्थक ढील इंगित हुई।

### 5.3.8.2 आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के पास माल व यात्री वाहनों का पंजीकरण कराना

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम 1955 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत स्टेज/ संविदा कैरिज तथा माल कैरिज मालिकों से उनके वाहनों का पंजीकरण सम्बद्ध आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास कराया जाना तथा निर्धारित दरों पर यात्री कर व माल कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी की गई आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना दिनांक 5 मई 2004 के अनुसार, शैक्षणिक संस्थान बस के मामले में यात्री कर की एकमुश्त राशि जैसाकि उप-नियम 9(8) की धारा (क) की उप-धारा (i), (ii) तथा (iii) में विनिर्दिष्ट है, तिमाही जिससे यह सम्बंधित है, के आरम्भ होने से 30 दिनों के अन्दर बराबर त्रैमासिक किशतों में भुगतान योग्य होगी। यात्री कर<sup>5</sup> की वसूली वाहन की सीटों की क्षमता के आधार पर की जानी है। पंजीकरण कराने में विफलता के लिए शास्ति जो इस प्रकार निर्धारित की गई कर की राशि के पांच गुणा से अधिक न हो तथा न्यूनतम ₹500 हो, भी उद्ग्राह्य होगी।

<sup>4</sup> बद्दी, बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, नाहन स्थित सिरमौर, सोलन तथा ऊना

<sup>5</sup> 30 सीटों तक की क्षमता वाली मिनी बस, 30 से अधिक सीटों की क्षमता वाली बड़ी बस

लेखापरीक्षा ने (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) 11 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पंजीकरण के अभिलेखों के साथ आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के अभिलेखों की प्रति जांच की तथा यह पाया गया कि नमूना जांच किये गये 47,512 वाणिज्यिक वाहनों जो 2007-08 तथा 2011-12 के मध्य सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत किये गये थे में से 13,314 वाहन<sup>6</sup> आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के पास पंजीकृत नहीं पाये गये जैसाकि हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने इसके आगे पाया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के सम्बंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के साथ अथवा उसके विपरीत आबकारी विभाग के पास सभी वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई समन्वयन नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि हेतु ₹14.53 करोड़ की राशि का यात्री व माल कर इन वाहन मालिकों से वसूल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त ₹66.56 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी जैसाकि तालिका 5.3 में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.3

क्रमांक	वाहन का प्रकार	मध्य अवधि	आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत न पाये गये वाहनों की कुल संख्या/नमूना जांच किये गये वाहन	वसूलनीय राशि (₹ लाख)			
				यात्री कर	माल कर	वसूलनीय कुल राशि	न्यूनतम शास्ति @ ₹500 प्रति वाहन
1	यात्री वाहन (मैक्सी कैच/टैक्सी)	2007-08 और 2011-12	2,110 / 10,585	146.70	--	146.70	10.54
2	यात्री वाहन (शैक्षणिक संस्थान बसें)	2007-08 और 2011-12	268 / 659	56.00	--	56.00	1.34
3	माल वाहन (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	2007-08 और 2011-12	10,936 / 36,268	--	1,249.79	1,249.79	54.68
योग			13,314 / 47,512	202.70	1,249.79	1,452.49	66.56

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) सरकार ने समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को माना तथा बताया कि सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को प्रत्येक वाहन मालिकों के सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास उपलब्ध मूल पंजीकरण अभिलेख से उनके पते खोजकर उनके प्रति कार्रवाई करने तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई बकाया राशि को वसूल करने के निदेश दे दिये गये हैं। वसूली पर आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

### 5.3.8.3 संविदा केरिजों/ हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के मालिकों द्वारा यात्री कर का अपवंचन

<sup>6</sup> माल वाहन: बद्दी: 3,417: ₹3.73 करोड़; बिलासपुर: 756: ₹1.11 करोड़; कांगडा 531: ₹50.01 लाख; कुल्लू: 616: ₹69.32 लाख; शिमला: 1,423: ₹1.95 करोड़; सिरमौर: 1,020: ₹1.01 करोड़; सोलन: 1,937: ₹3.12 करोड़; ऊना: 1,055: ₹78.46 लाख तथा आबकारी तथा कराधान अधिकारी किन्नौर: 181: ₹15.40 लाख यात्री वाहन: बिलासपुर: 129: ₹4.96 लाख; कांगडा: 663: ₹51.75 लाख; कुल्लू: 344: ₹27.36 लाख; शिमला: 554: ₹34.21 लाख; सिरमौर: 24: ₹2.80 लाख; सोलन: 322: ₹27.22 लाख; ऊना: 74: ₹8.93 लाख; शैक्षणिक संस्थान बसें: बद्दी: 134: ₹34.18 लाख; बिलासपुर: 20: ₹3.78 लाख; शिमला: 23: ₹3.62 लाख; सिरमौर: 50: ₹7.86 लाख; सोलन: 20: ₹2.57 लाख; तथा ऊना: 21 वाहन: ₹5.32 लाख;

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 की धारा 8 के अनुसार राज्य में कोई भी वाहन मालिक अपने वाहन नहीं चलाएगा बशर्ते उसके पास मान्य पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (स्टेज कैरिज के अतिरिक्त) को यात्री कर के प्रयोजन हेतु हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत कराया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 के नियम 9 में प्रावधान है कि स्टेज कैरिज एवं संविदा कैरिज के मालिक इस नियम के उप-नियमों (1-क) तथा 8 में निर्दिष्ट के अतिरिक्त, राज्य सरकार को कर का एकमुश्त भुगतान करेंगे जैसाकि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सूत्र<sup>7</sup> के आधार पर निर्धारित किया गया है।

दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के वाहन पंजीकरण अभिलेख की लेखापरीक्षा जांच (अक्टूबर 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य) से पाया गया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 2007-08 के दौरान पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत 367 संविदा कैरिज वाहन<sup>8</sup> विभाग के पास पंजीकृत नहीं पाये गये जैसा हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अपेक्षित है यद्यपि इन वाहनों के मालिक नियमित रूप से अपने वाहन चला रहे थे तथा संकेतिक कर का भुगतान कर रहे थे। अधिनियम के अंतर्गत न तो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों और न ही उड़नदस्तों ने इन वाहनों का पता करने तथा उन्हें पंजीकृत करने के लिए कोई ठोस पग उठाये। इसलिए ये वाहन मालिक यात्री कर का भुगतान करने से बच रहे थे।

इसे इंगित किये जाने पर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने बताया (अक्टूबर 2012) कि 200 बसों में से 12 बसें शिमला जिले से सम्बंधित हैं जिनके लिए हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत अपने वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए वाहन मालिकों को नोटिस जारी किये जा चुके थे। शेष वाहनों की सूची भी सभी जिलों/ प्रभारी को इन वाहनों के पंजीकरण की स्थिति को सूचित करने के निदेशों सहित परिचालित कर दी गई थी।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने समापन वार्तालाप में बताया (सितम्बर 2013) कि मामले की छानबीन करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी तथा तदनुसार पर्यटन विकास निगम से वसूली की जाएगी। इस मामले में आगामी प्रगति प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित था (नवम्बर 2013)।

#### 5.3.8.4 माल व यात्री कर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत वाहन मालिकों से निर्धारित दरों पर या तो मासिक रूप में अथवा त्रैमासिक रूप से कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के कार्यालयों में अनुरक्षित किये गये मांग एवं संग्रहण रजिस्ट्रों की अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य की गई लेखापरीक्षा नमूना जांच से पाया गया कि 9,022 वाहनों में से 5,485 वाहनों<sup>9</sup> के सम्बन्ध में

<sup>7</sup> सीटों की संख्या X अनुसूचित किलोमीटर संख्या X औसतन अधिभोग अर्थात् (33) प्रतिशत X यात्री कर की दर X प्रतिकिलोमीटर कराया

<sup>8</sup> शिमला- 200 वाहन तथा सोलन-167 वाहन

<sup>9</sup> यात्री वाहन: बद्दी: 32 वाहन: ₹3.17 लाख, बिलासपुर: 51 वाहन: ₹7.45 लाख, कांगडा: 1,699 वाहन: ₹1.37 करोड़, कुल्लू: 131 वाहन: ₹26.86 लाख, शिमला: 193 वाहन: ₹25.43 लाख, सोलन: 71 वाहन: ₹14.50 लाख, ऊना: 19 वाहन: ₹3.94 लाख, तथा किन्नौर: 48 वाहन: ₹11.54 लाख, शैक्षणिक संस्थान बसें: बद्दी: 18 वाहन: ₹3.01 लाख, कांगडा: 86 वाहन: ₹23.41 लाख, कुल्लू: चार वाहन: ₹1.18 लाख, शिमला: चार वाहन: ₹1.13 लाख,

2007-08 तथा 2011-12 के मध्य की अवधि के लिए ₹6.77 करोड़ का यात्री व माल कर इन वाहनों के मालिकों द्वारा अदा नहीं किया गया था। वाहन मालिकों द्वारा न तो पंजीकरण प्रमाण पत्रों को पंजीकरण प्राधिकारियों के पास जमा कराया है न ही कार्यालय में प्रविष्टियां दर्ज कराई हुई पाई गई है। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने उन्हें मांग नोटिस जारी नहीं किये जिसके परिणामस्वरूप ₹6.77 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई, इसके अतिरिक्त ₹27.43 लाख की न्यूनतम शास्ति भी यात्री व माल कर का भुगतान न करने के लिए उद्ग्राह्य थी। जैसाकि तालिका 5.4 में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.4

क्रमांक	वाहन का प्रकार	अवधि	वाहनों की कुल संख्या जिनके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया/नमूना जांच किये गये वाहन	वसूलनीय राशि			
				यात्री कर	माल कर	वसूलनीय कुल राशि	न्यूनतम शास्ति @ ₹500 प्रति वाहन
1	यात्री वाहन (मैक्सी कैच/टैक्सी)	2007-08 और 2011-12	2,244 / 3,522	218.20	--	218.20	11.22
2	यात्री वाहन (शैक्षणिक संस्थान बसें)	2007-08 और 2011-12	205 / 205	44.42	--	44.42	1.03
3	माल वाहन (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	2007-08 और 2011-12	3,036 / 5,295	--	414.73	414.73	15.18
योग			5,485 / 9,022	262.62	414.73	677.35	27.43

इसे इंगित किये (जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) जाने पर सरकार ने समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को माना तथा बताया कि सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को प्रत्येक वाहन मालिकों के सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास उपलब्ध मूल पंजीकरण अभिलेख से उनके पते ढूँड कर उनके प्रति कार्रवाई करने तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई बकाया राशि को वसूल करने के निदेश दे दिये गये हैं। वसूली पर आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

### 5.3.9 अतिरिक्त माल कर ( ए0जी0टी0 )

#### 5.3.9.1 अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु फर्मों को प्राधिकृत न करना/ विलम्ब से प्राधिकृत/ पंजीकरण करना

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1996 (01 अक्टूबर 1996 से शामिल) की धारा 3-ख में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को राज्य के भीतर प्रत्येक दो सौ पचास किलोमीटरों अथवा उसके किसी भाग जो सड़क द्वारा आवृत्त/अथवा आवृत्त किया जाना है, के लिए निर्धारित दरों पर जो अनुसूची- 11 की धारा (2) में निर्दिष्ट है, माल के परिवहन पर अतिरिक्त माल कर उद्ग्रहित, प्रभारित तथा भुगतान किया जाएगा। अतिरिक्त माल कर का भुगतान प्रभार वाले व्यक्ति अथवा वाहन के चालक द्वारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 (24 नवम्बर 2006 से शामिल) के नियम-9-घ में आगे प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की

सोलन: 54 वाहन: ₹8.54 लाख, तथा ऊना: 39 वाहन: ₹8.18 लाख, माल वाहन: बद्दी: 180 वाहन: ₹18.60 लाख, बिलासपुर: 394 वाहन: ₹44.07 लाख, कांगडा: 929 वाहन: ₹79.01 लाख, कुल्लू: 108 वाहन: ₹24.42 लाख, शिमला: 222 वाहन: ₹43.99 लाख, सिरमौर: 294 वाहन: ₹60.41 लाख, सोलन: 345 वाहन: ₹70.90 लाख, ऊना: 400 वाहन: ₹71.47 लाख, एवं किन्नौर: 164 वाहन: ₹17.04 लाख

अनुसूची- 11 में विनिर्दिष्ट माल परिवहन हेतु प्रेषण के लिए विक्रय या प्रेषण प्राधिकृत करता है तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया जाता है तो सम्बद्ध जिला कार्यालय में हिमाचल प्रदेश माल व बिक्री कर अधिनियम, 1968 हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जिले के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त अथवा प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पंजीकृत किया जाएगा। प्राधिकृत व्यक्ति मोटर वाहन जिसमें या जिस पर माल का परिवहन किया जाना है, जैसा भी मामला हो, के प्रभारी व्यक्ति अथवा चालक से अतिरिक्त माल कर की राशि एकत्रित करेगा तथा इस प्रकार एकत्रित राशि की प्राप्ति दर्शाते हुए पी0जी0टी0 21-क प्रपत्र में प्रमाणपत्र जारी करेगा तथा सरकारी कोष में जमा कराएगा। हिमाचल प्रदेश माल विक्रय कराधान अधिनियम, 1955 की धारा-4क(3) में आगे प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण एवं भुगतान के सम्बन्ध में प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो निर्धारण प्राधिकारी उसे सुने जाने का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को शास्ति के द्वारा राशि का भुगतान करने का निदेश देगा जो देय कर की राशि से दोगुणा से अधिक न हो।

अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा में अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण करने तथा संग्रहण करने में निम्नवत् कमियां पाई गईं:

- (i) बिक्री कर/वैट हेतु व्यापारियों का पंजीकरण करने की तरह हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त माल कर हेतु करदाताओं का पंजीकरण करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा इस प्रकार अनेक फर्मों सामान्य बिक्री कर/वैट या अतिरिक्त माल कर हेतु पंजीकृत व्यापारी न होने के नाते अतिरिक्त माल कर का अपवंचन करती है। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन के अंतर्गत आठ फर्मों<sup>10</sup> अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु प्राधिकृत (सितम्बर 2011) की गई थी तथा फरवरी 2013 तक पंजीकृत नहीं की गई थी।
- (ii) अधिनियम 01 अक्टूबर 1996 से लागू किया गया परन्तु सरकार ने अनुसूची- 11 के अंतर्गत आने वाली मदों के परिवहन पर अतिरिक्त माल कर एकत्रित करने के लिए 2007 तथा 2012 के मध्य 144 फर्मों को प्राधिकार देने के लिए अधिसूचना जारी की जैसाकि **परिशिष्ट-IX** में दिया गया है। अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त माल कर का भुगतान चालक अथवा मोटर वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा बैरियर पर किया जा रहा था परन्तु अंतर्राज्य (राज्य के भीतर) बिक्री/ ऐसी मदों के परिवहन के मामले में बैरियरों/ नाका चौकियों तथा प्राधिकृत व्यक्तियों/ फर्मों को अधिनियम लागू करने के उपरान्त शीघ्र अधिसूचना जारी न करने के कारण उनके द्वारा अदा नहीं किया जा रहा था।
- (iii) आबकारी एवं कराधान अधिकारी, नालागढ़ ने 13 फर्मों की पहचान की थी जो हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की अनुसूची- 11 के अंतर्गत 2006 तथा 2010 के मध्य बिक्री/ माल का परिवहन कर रही थी, तथा जो बिक्री कर/ वैट के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत थी परन्तु अतिरिक्त माल कर के दायरे में नहीं लाई गई थी।
- (iv) विभाग में फर्मों/ कम्पनियों, संविदाकारों/ पट्टाधारियों जो माल के परिवहन आदि का कार्य कर रहे थे की संख्या जो अधिनियम की अनुसूची- 11 में शामिल थी, के सम्बन्ध में न तो डाटाबेसों का अनुरक्षण किया गया था और न ही अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण एवं वसूली हेतु हिमाचल

<sup>10</sup> मैसर्स कैमिप्लास्ट इंडस्ट्रीज, परवाणू; नू-लाइन प्राईवेट लिमिटेड इंडस्ट्रीज, परवाणू; स्वाति स्ट्रोवेल प्राईवेट लिमिटेड परवाणू; प्लेटो इंडस्ट्रीज, परवाणू; प्रेंटोज लिमिटेड परवाणू; सुपर प्लेटेक प्राईवेट लिमिटेड, परवाणू; स्टर्डी लिमिटेड इंडस्ट्रीज, परवाणू एवं हिमालयन पाइप इंडस्ट्रीज, सोलन

प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की सीमा के अंतर्गत सभी फर्मों को लाने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई थी।

प्राधिकार न करने/ विलम्ब से करने, वैट/अतिरिक्त माल कर हेतु पंजीकरण न होने, राज्य के भीतर उपयुक्त स्थानों पर नाका/ पड़ताल चौकियों के अभाव का लाभ उठाते हुए अधिनियम की अनुसूची- 11 के अंतर्गत आने वाले माल के परिवहन में कार्यरत फर्मों, कम्पनियां, संविदाकार आदि अतिरिक्त माल कर का भुगतान करने का अपवंचन कर रहे थे जैसाकि निम्नवत है:

### 5.3.9.2 संविदाकारों पर अतिरिक्त माल कर का अनुद्ग्रहण

लेखापरीक्षा ने खनन अधिकारी, बिलासपुर के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत तीन<sup>11</sup> संविदाकारों (दो निजी एवं एक सरकारी संविदाकार) को देलग खनन क्षेत्र में ए0सी0सी0 सीमेंट प्लांट बरमाणा को स्लेटी पत्थर की खुदाई एवं आपूर्ति हेतु पट्टे प्रदान किये गये। निजी संविदाकारों ने फरवरी 2007 से दिसम्बर 2012 के मध्य ए0सी0सी0 बरमाणा सीमेंट प्लांट को 4,79,986.75 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर की आपूर्ति की जिस पर वे ₹33.60 लाख के अतिरिक्त माल कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। परन्तु अतिरिक्त माल कर का भुगतान न तो संविदाकारों द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गई जबकि सरकारी संविदाकार ने स्लेटी पत्थर की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त माल कर का भुगतान कर दिया था। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त माल कर का भुगतान न करने के लिए ₹67.20 लाख (कर का 200 प्रतिशत) शास्ति भी उद्ग्रहण थी।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि सीमेंट संयंत्र तक पट्टा क्षेत्र से खनिजों के परिवहन पर अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु विभाग द्वारा कोई भी आबकारी नाका चौकी स्थापित नहीं की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व से वंचित होना पड़ा।

मामला अगस्त 2013 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) तथा बताया कि वर्तमान में अतिरिक्त माल कर का संग्रहण करने के लिए 203 फर्मों का पंजीकरण पहले ही कर दिया गया है तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई वसूली के लिए सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ आबकारी एवं कराधान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं। वसूली सम्बन्धी आगामी प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

### 5.3.9.3 चूना पत्थर खान पट्टेदारों को अनुचित लाभ

खनन अधिकारी, सिरमौर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि 38 पट्टेदारों ने 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान 50,95,231.45 मीट्रिक टन चूने के पत्थर तथा 1,694.71 मीट्रिक टन बैरिट निकाला जिस पर ₹14.53 करोड़ का अतिरिक्त माल कर उद्ग्रहण था। इसके आगे यह पाया गया कि कुछ पट्टेदार चूने का पत्थर उन इकाइयों को बेच रहे थे जो खनन क्षेत्रों के निकट (सतौन क्षेत्र) अथवा राजबन आबकारी बैरियर से बिलकुल पहले स्थापित की गई थी तथा चूने के पाउडर एवं कुक्कुट चारे का विनिर्माण कर रही थी। तथापि, चूने का पत्थर तथा बैरिट जो बैरियर से परिवहन किया गया उस पर ₹7.76 करोड़ का अतिरिक्त माल कर प्रभारित किया गया तथा शेष ₹6.77 करोड़ की राशि का अपवंचन हुआ।

<sup>11</sup> एच0पी0जी0आई0सी0, श्री जोध सिंह एवं सुभाष ठाकुर

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्तालान में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा बताया कि वास्तविक स्थिति की छानवीन करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी तथा तदनुसार वसूली की जाएगी। वसूली सम्बन्धी आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013)।

### 5.3.9.4 अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु प्राधिकार में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

चार सीमेंट कम्पनियों<sup>12</sup> 1980 से सीमेंट का विनिर्माण करने के लिए चूने के पत्थर एवं स्लेटी पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में कर रही थी, सरकार ने केवल दो कम्पनियों को अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु जनवरी 2012 की अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया तथा अन्य दो कम्पनियों को अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया था। जिले के सम्बद्ध खनन अधिकारी के अभिलेख/संग्रहित डाटा की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि सीमेंट कम्पनियों<sup>13</sup> ने अप्रैल 2007 तथा मार्च 2012 के मध्य सीमेंट के विनिर्माण हेतु खनन क्षेत्रों से सीमेंट संयंत्रों तक 6,85,26,412.51 मीट्रिक टन चूने के पत्थर तथा 51,86,582.43 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर का प्रेषण/परिवहन किया जिसके लिए उद्योग ₹189.08 करोड़ का अतिरिक्त माल कर अदा करने के लिए उत्तरदायी था। तथापि, इसका भुगतान न तो इन उद्योगों द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का अपवंचन हुआ तथा उस सीमा तक की हानि उठानी पड़ी।

(ii) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी एवं ऊना के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत सात फर्मों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि ये फर्मों अप्रैल 2003 तथा सितम्बर 2009 के मध्य माल का संप्रेषण एवं विनिर्माण कर रही थी जैसाकि अनुसूची-II में निर्दिष्ट है, परन्तु अतिरिक्त माल कर का संग्रहण करने के लिए केवल सितम्बर 2011 में अधिसूचित की गई थी। इन फर्मों द्वारा अगस्त 2012 (3 फर्मों), सितम्बर 2012, अक्टूबर 2012 (प्रत्येक माह एक फर्म) तथा दिसम्बर 2012 (2 फर्मों) प्रस्तुत की गई मासिक विवरणियों की जांच से पाया गया कि इन फर्मों ने माल के अंतर्राज्यीय प्रेषण हेतु एकल मास में ₹12.61 लाख के अतिरिक्त माल कर का भुगतान किया क्योंकि फर्मों कर के संग्रहण/प्रेषण हेतु प्राधिकृत नहीं थी तथा विगत 18 तथा 100 माह की अवधि के मध्य अनेक महीनों हेतु राज्य के भीतर परिवहन के मार्ग में बैरियरों के अभाव में उनके द्वारा अतिरिक्त माल कर का संग्रहण/भुगतान नहीं किया गया। जैसाकि 144 फर्मों के सम्बन्ध में अधिसूचना 2007 में की गई तथा बहुत अन्य फर्मों भी जो पहचान न होने के कारण अभी तक बच गई थी विभाग द्वारा किसी भी डाटाबेस का अनुरक्षण न किये जाने के अभाव में हानि की प्रमात्रा का पता नहीं लगाया जा सका।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्ता (सितम्बर 2013) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आश्वासन दिया कि सीमेंट कम्पनियों जो खनन क्षेत्रों से सीमेंट विनिर्माण हेतु सामान के परिवहन के कार्य में कार्यरत हैं उन को शीघ्र ही अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु अधिसूचित किया जाएगा। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013)।

### 5.3.9.5 जांच चौकियों अथवा बैरियरों का निर्माण न करना

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की धारा 14-ख में प्रावधान है कि कर के अपवंचन को रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग को जांच चौकियों अथवा

<sup>12</sup> ए0सी0सी0 बरमाणा: 1984, अम्बूजा सीमेंट: 1996 से पूर्व, सी0सी0आई0 राजबन: 1980 एवं जे0पी0 सीमेंट: 2010

<sup>13</sup> ए0सी0सी0 बरमाणा: ₹59.32 करोड़, अम्बूजा सीमेंट: ₹120.63 करोड़ भारतीय सीमेंट निगम: ₹3.23 करोड़, एवं जे0पी0 सीमेंट: ₹20.21 करोड़

बैरियरों अथवा दोनों का निर्माण करने के लिए ऐसे रास्तों या सड़कों पर जो अधिसूचित किये गये हो, निदेश कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2011-12 हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के 'वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन' से पाया कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने अन्य राज्यों के साथ 42 प्रवेश द्वारों पर करों के संग्रहण हेतु जांच चौकियों/ बैरियरों का निर्माण किया था। अन्य स्थानों जहाँ पर राज्य के भीतर ऐसी जांच चौकियों अथवा बैरियरों का निर्माण वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण के बिना माल व यात्रियों का परिवहन तथा/ अथवा करों का न्यायसंगत भुगतान करने की जांच हेतु किया जा सकता था उससे सम्बंधित सूचना जब मांगी (जुलाई 2012) गई तो विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

यह इंगित किये जाने पर (मार्च 2013) सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को माना (सितम्बर 2013) तथा आश्वासन दिया कि शीघ्र ही मामले पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। इस सम्बन्ध में आगामी प्रगति प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित है।

### 5.3.10 वाहनों के पंजीकरण के पश्चात कर का अवनिर्धारण/अवसूली

#### 5.3.10.1 मांग एवं संग्रहण रजिस्टर/ दैनिक कर संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण न करना

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 की धारा 19 (क) एवं (ख) में समाविष्ट प्रावधान के अनुसार प्रत्येक जिले के आबकारी एवं कराधान कार्यालय में प्रपत्र यात्री तथा माल कर-23 में दैनिक संग्रहण रजिस्टर तथा प्रपत्र यात्री तथा माल कर-24 में संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा जिसमें अधिनियम के अंतर्गत कर, अधिकर अथवा शास्ति अथवा अन्य देय राशि के प्रमाण में प्राप्त प्रत्येक चालान का विवरण जो मोटर वाहन मालिकों द्वारा दिये गये हैं, को दर्ज किया जाएगा। अधिनियम के नियम 20 में प्रावधान है कि चालान चार प्रतियों में भरे जाएंगे, एक प्रति कोषागार द्वारा रखी जाएगी, एक प्रति निर्धारण प्राधिकारी को भेजी जाएगी तथा अन्य दो प्रतियां वाहन मालिकों को किये गये भुगतान के प्रमाण के रूप में वापिस की जाएगी जिस में से एक प्रति मासिक विवरण के साथ संलग्न की जाएगी तथा दूसरी प्रति वाहन मालिक द्वारा अपने अभिलेख हेतु रखी जाएगी।

लेखापरीक्षा में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी नालागढ़ के पंजीकरण अभिलेखों की प्रति जांच की गई तथा पाया गया कि आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी से माल कर की वसूली हेतु (2008-09 तथा 2011-12 के मध्य) अंतरित किये गये 415 वाहनों के सम्बन्ध में संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया था। इसके आगे लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आबकारी एवं कराधान अधिकारी, नालागढ़ ने कर जमा कराने के लिए वाहन मालिकों को कोई भी नोटिस जारी नहीं किये। संग्रहण रजिस्टर की अनुपस्थिति में उपरोक्त अवधि हेतु ₹78.24 लाख की राशि के वसूलनीय माल कर का भुगतान किया गया अथवा नहीं, लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

(ii) आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों<sup>14</sup> के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि उनके कार्यालयों में दैनिक संग्रहण रजिस्ट्रों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था जिनकी अनुपस्थिति में 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान वसूल किये गये राजस्व का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक वाहन मालिकों द्वारा जमा करवाए गये कर के प्रमाण में चालानों की प्रतियां सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, बद्दी, सोलन तथा शिमला द्वारा कोषागारों से प्राप्त नहीं की गई थी जैसाकि नियम के अंतर्गत अपेक्षित था जिसके परिणामस्वरूप

<sup>14</sup> बद्दी, बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन एवं ऊना

करदाताओं के लेखों को अद्यतन नहीं किया गया था। इससे सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा अनुश्रवण किये जाने की कमी प्रदर्शित हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को माना (सितम्बर 2013) तथा बताया कि स्टाफ की कमी के कारण यह नहीं किया जा सका। तथापि, सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को अपने स्तर पर मामले की जांच करने के लिए तथा तदनुसार लेखापरीक्षा को निष्कर्ष सूचित किये जाने के लिए आवश्यक निदेश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में आगामी प्रगति प्रतिवेदन अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

### 5.3.10.2 कर का भुगतान न करना

चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों<sup>15</sup> के कार्यालयों में अनुरक्षित किये गये संग्रहण रजिस्ट्रों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि 2003-04 तथा 2011-12 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग के पास 244 माल एवं यात्री वाहन<sup>16</sup> पंजीकृत किये गये। इन वाहनों के मालिकों ने आबकारी विभाग के पास अपने वाहनों के पंजीकरण की तिथि से माल/यात्री कर की एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया था। विभाग ने न तो इन वाहन मालिकों को कोई मांग नोटिस जारी किया और न ही वाहन मालिक कर का भुगतान करने आये। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की ओर से इस ढील के परिणामस्वरूप ₹ 49.71 लाख के कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों<sup>17</sup> में 2007-08 तथा 2011-12 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग के पास 170 वाहन मालिकों ने अपने वाहन पंजीकृत किये तथा पंजीकरण के समय कर की केवल एक ही किश्त का भुगतान किया, विभाग द्वारा न तो ₹42.22 लाख के प्रोद्भूत करों के लिए मांग नोटिस जारी किये और न ही वाहन मालिकों द्वारा उनका भुगतान किया गया। विभाग की ओर से कार्रवाई न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹91.93 लाख के कर की वसूली नहीं हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समाप्ति वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को माना (सितम्बर 2013) तथा बताया कि वास्तविक स्थिति की जांच करने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी तथा तदनुसार वसूली की जाएगी। वसूली के सम्बन्ध में आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (नवम्बर 2013)।

### 5.3.10.3 संविदाकार से माल कर की अवसूली

आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के पंजीकरण एवं मांग व संग्रहण रजिस्टर के अभिलेख की लेखापरीक्षा नमूना जांच (मार्च 2013) में की गई तथा पाया गया कि एक संविदाकार जो एक परियोजना के कार्य का निष्पादन कर रहा था के पास 37 माल वाहनों का एक बेडा था जिन्हें हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर कराधान अधिनियम के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के पास पंजीकृत (अप्रैल 1998 एवं मार्च 2005 के मध्य) कराया गया था। माल कर के भुगतान का निर्धारण 1998 से 2005 तक निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया तथा उसका मार्च 2005 तक का भुगतान किया गया। उसके पश्चात माल कर का निर्धारण न तो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया और न ही संविदाकार द्वारा उसका भुगतान किया गया। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे यह प्रदर्शित होता कि माल कर की वसूली करने के लिए आबकारी एवं कराधान अधिकारी, किन्नौर द्वारा कभी संविदाकार को मांग नोटिस

<sup>15</sup> बद्दी स्थित बी0बी0एन0, सोलन, शिमला एवं ऊना

<sup>16</sup> बद्दी: 56 वाहन: ₹6.96 लाख, शिमला 119 वाहन: ₹30.79 लाख, एवं ऊना: 50 वाहन: ₹7.33 लाख,

<sup>17</sup> बिलासपुर: 119 वाहन: ₹21.65 लाख, शिमला: 39 वाहन: ₹16.17 लाख, एवं सोलन: 51 वाहन: ₹9.02 लाख

जारी किये गये थे। इसलिए निर्धारण प्राधिकारी की ओर से कार्रवाई न करने के कारण संविदाकार ने अप्रैल 2005 से मार्च 2012 तक ₹13.61 लाख के माल कर के भुगतान का अपवंचन किया।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्तालाप में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (सितम्बर 2013) तथा बताया कि आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर को संविदाकार जो परियोजना कार्य में कार्यरत था तथा जिसके पास 37 माल वाहनों का बेडा था, उसका पता लगाने के लिए तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई वसूली को करने के लिए आवश्यक निदेश जारी किये जाएंगे। इस सम्बन्ध में आगामी प्रगति तथा वसूली पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013)।

### 5.3.11 बकायों का अनुश्रवण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 1999 के अनुसार हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 3-क के अंतर्गत, आवृत स्टेज कैरिजों के मालिकों को जनवरी 2000 से हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 3-क में समाविष्ट प्रावधानों के प्रचालन से छूट दी गई है। इन वाहनों के सम्बन्ध में यात्री कर के उद्ग्रहण, प्रभार एवं संग्रहण से सम्बंधित कार्य को जनवरी 2000 से राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। यदि सरकारी देयों को विभाग के पास उपलब्ध साधनों से वसूल नहीं किया जा सकता तो ऐसे बकायों को राज्य के सम्बंधित जिलों के समाहर्ताओं द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 के अधिनियम संख्या 6) के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित किया जाता है। समाहर्ताओं की शक्तियों को दिसम्बर 1990 तथा जनवरी 1993 में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभागीय अधिकारियों को प्रदान किया गया था।

आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों<sup>18</sup> से अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य संग्रहित सूचना की लेखापरीक्षा जांच की गई तथा पाया गया कि 478 स्टेज कैरिजों के मालिकों ने 1969-70 से 2011-12 तक की अवधि हेतु ₹8.56 करोड़ के यात्री कर का भुगतान नहीं किया जो संग्रहण हेतु लम्बित था। 478 मामलों में से ₹2.07 करोड़ के 75 मामले छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों<sup>19</sup> द्वारा समाहर्ताओं को भू-राजस्व बकायों के रूप में वसूली करने के लिए सूचित किये गये थे। शेष 403 मामलों में ₹6.49 करोड़ की वसूली को न तो स्वयं आबकारी विभाग द्वारा किया गया और न ही भू-राजस्व के बकाया के रूप में समाहर्ताओं को सूचित किया गया तथा न ही क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को सूचित किया गया जिनके पास वर्तमान में ऐसे मामलों का निपटान किया जा रहा था। विभाग की ओर से कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप ₹6.49 करोड़ के यात्री कर की वसूली नहीं हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्ता (सितम्बर 2013) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा बताया कि चूककर्ता मालिकों से वसूली करने के लिए सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को आवश्यक निदेश जारी कर दिये गये थे। वसूली के सम्बन्ध में आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2013)।

### 5.3.12 विवरणियां प्रस्तुत न करना

<sup>18</sup> बद्दी: 22 मामले: ₹19.65 लाख, बिलासपुर: 12 मामले: ₹23.45 लाख, कांगड़ा स्थित धर्मशाला: 108 मामले: ₹1.43 करोड़, कुल्लू: 22 मामले: ₹1.38 करोड़, शिमला: 24 मामले: ₹36.82 लाख, सिरमौर: 10 मामले: ₹45.24 लाख, सोलन: 234 मामले: ₹4.13 करोड़, एवं ऊना: 46 मामले: ₹35.76 लाख

<sup>19</sup> बद्दी: दो मामले: ₹0.13 लाख, बिलासपुर: सात मामले: ₹16.90 लाख, कांगड़ा: 23 मामले: ₹48.94 लाख, कुल्लू: 20 मामले: ₹105.33 करोड़, सोलन: 14 मामले: ₹24.17 लाख, एवं ऊना: नौ मामले: ₹10.85 लाख,

### 5.3.12.1 जांच चौकियों/ बैरियरों के प्रभारी

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 के नियम 19 (2,3 एवं 4) के प्रावधानों के अनुसार वाहन का प्रभारी व्यक्ति सम्बद्ध जिले के कर निर्धारण प्राधिकरण के कार्यालय अथवा निर्धारित किये गये प्राधिकारी अथवा जांच चौकी/बैरियर के कार्यालय प्रभारी को कर का नकद भुगतान करेगा। जांच चौकी/ बैरियर के प्रभारी व्यक्ति से जिले के कर निर्धारण प्राधिकारी जिसने पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया था, को आगामी मास की सातवीं तारीख से पहले प्रपत्र यात्री एवं माल कर-22 में विवरणी भेजी जानी अपेक्षित होती है।

लेखापरीक्षा में जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य सात सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों<sup>20</sup> के अभिलेखों की नमूना जांच की गई तथा पाया कि बैरियरों/ जांच चौकियों के प्रभारियों ने 2007-08 से 2011-12 के मध्य वाहन मालिकों द्वारा उनके पास जमा कराये गये यात्री कर अथवा माल कर की विवरणी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को जिनके पास वाहन पंजीकृत किये गये थे, नहीं भेजी थी। इन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने भी ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए न तो सम्बद्ध बैरियरों/ जांच चौकी प्रभारियों के साथ और न ही आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला के साथ इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए मामला उठाया।

इसके आगे यह पाया गया कि इन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 28 बैरियरों के सम्बन्ध में (कुल्लू के अतिरिक्त) प्रभारियों ने 2007-08 से 2011-12 के मध्य ₹71.31 करोड़ राशि की केवल आय विवरणियां वाहन व माल कर शीर्ष के अंतर्गत प्रस्तुत की थी परन्तु वाहनवार विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे जिनकी अनुपस्थिति में इन वाहन मालिकों के यात्री व माल कर के लेखाओं को अद्यतन/ पूर्ण नहीं किया गया।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया था। सरकार ने लेखापरीक्षा समापन वार्ता में (सितम्बर 2013) बताया कि स्टाफ की कमी के कारण इसे नहीं किया जा सका। तथापि, सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को अपने स्तर पर मामले की जांच करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये थे। इस सम्बन्ध में आगामी प्रगति की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

### 5.3.12.2 संविदा कैरिज

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 के नियम 17 क के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक संविदा कैरिज के मालिक को आगामी मास जिससे कर का भुगतान सम्बंधित है, की 7वीं तारीख अथवा पहले खजाना प्राप्ति सहित प्रपत्र यात्री एवं माल कर 8-क एवं 8-ग में एक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी जिसमें कर की राशि जो वाहन मालिक द्वारा खजाने में अदा की गई है, दर्शाई गई हो।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के अभिलेख की लेखापरीक्षा जांच (अक्टूबर 2012) में पाया गया कि 2002-03 की अवधि के दौरान सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के पास 12 संविदा कैरिजों का पंजीकरण किया गया। इन वाहनों के मालिकों ने वाहन का पंजीकरण कराते समय कर की केवल एक ही किश्त का भुगतान किया; 10 वर्षों से अधिक अवधि बीत जाने के पश्चात भी, न इन वाहनों के मालिकों ने कर का भुगतान/ मासिक विवरणियों को निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया और न ही निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गई। इससे प्रदर्शित हुआ कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त नियम की अपेक्षा तथा कर के संग्रहण हेतु चौकस नहीं थे।

<sup>20</sup>

बद्दी, बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन एवं ऊना

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2013 में सूचित किया गया। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने लेखापरीक्षा समापन वार्ता (सितम्बर 2013) में बताया कि मामले की छानबीन की जाएगी तथा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस सम्बन्ध में आगामी प्रगति सूचना अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

### 5.3.13 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रण एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए अपने कार्यकलापों को संचालित करता है। अनस्थ आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया तथा संहिताओं एवं नियमावली की कड़ी अनुपालना, लागू नियमों, वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता प्राप्त करने, इसके प्रचालन में प्रभावकारिता एवं दक्षता के बारे में विभाग के लिए पर्याप्त आश्वासन प्रदान करती है।

आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि हेतु की गई लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त उल्लिखित विभिन्न कमियों के परिणामस्वरूप कोई भी आंतरिक नियंत्रण विद्यमान नहीं था तथा कोई भी विभागीय निरीक्षण नहीं किये गये थे।

#### 5.3.13.1 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

किसी भी संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा इसकी कार्य प्रणाली के अनुश्रवण हेतु एक अनिवार्य शाखा होती है। यह सुधारात्मक कार्रवाई करने में जहां यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हो कि व्यवस्था सही रूप से कार्य कर रही है तथा घोषित उद्देश्य प्राप्त किये गये हैं, विशेष रूप से मामलों के निर्धारण की प्रक्रिया में, राजस्व संग्रहण में तेजी, जालसाजी/ अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने में प्रबन्धन का सहयोग करती है। आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा वित्त विभाग के अधीन स्थापित की गई है जो राज्य में विभिन्न विभागों में आंतरिक लेखापरीक्षा करती है।

आठ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों<sup>21</sup> तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से प्रदर्शित हुआ कि वित्त विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा इन क्षेत्रीय इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की थी। आबकारी विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना भी नहीं की गई थी तथा समीक्षा के अंतर्गत आने वाली अवधि के दौरान अपेक्षित आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के 207 निरीक्षण प्रतिवेदनों में मार्च 2013 तक ₹214.35 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 524 परिच्छेद समायोजन हेतु बकाया/ लम्बित थे जैसाकि विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है:

तालिका 5.5

वर्ष	1972-73 से 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	176	7	12	6	6	207
सम्भावित ड्राफ्ट परिच्छेदों की संख्या	124	5	29	27	65	250
परिच्छेदों की संख्या	352	12	56	24	80	524*
अंतर्निहित राजस्व राशि (₹ लाख)	528.21	22.33	68.04	97.53	20,719.22	21,435.33

\*टिप्पणी:- 524 परिच्छेदों में 250 पीओडीपीओ भी शामिल है। ड्राफ्ट परिच्छेद शामिल नहीं है।

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने इन परिच्छेदों की विशाल संख्या का समायोजन करने हेतु जो विगत 40 वर्षों से लम्बित पड़े थे कोई भी अपेक्षित अनुपालना/ प्रयास नहीं किये थे।

<sup>21</sup> बद्दी, बिलासपुर, कांगडा स्थित धर्मशाला, कुल्लु, शिमला, सिरमौर, सोलन एवं ऊना

### 5.3.14 निष्कर्ष

यात्री व माल कर को राज्य के कर राजस्व के लिए अंशदान में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध मोटर वाहन प्राधिकारियों एवं आबकारी एवं कराधान विभाग के मध्य समन्वयन की कमी तथा समुचित उपायों की कमी के कारण यात्री व माल कर का अपवंचन था। अधिनियम/नियमावली में इस प्रयोजन हेतु समुचित अनुदेश/ प्रावधान विद्यमान नहीं थे जिनके कारण वाणिज्यिक वाहन मालिकों से यात्री व माल कर की वसूली नहीं हुई। अधिनियम की अनुसूची-11 में आवृत मदों पर अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण हेतु विलम्ब से अनुदेश जारी करने के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की सार्थक हानि हुई। राजस्व संग्रहण पर नियंत्रण रखने के लिए अनुश्रवण एवं सतर्कता निष्प्रभावी थी तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली भी मौजूद नहीं थी।

### सिफारिशें

राज्य सरकार विचार कर सकती है:

- माल व यात्री कर के सम्बन्ध में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से अपेक्षित एवं वास्तविक राजस्व के अनुश्रवण हेतु उपयोग में लाये जाने वाली परिवहन विभाग से प्राप्त सूचना पर आधारित आबकारी एवं कराधान आयुक्त के साथ गतिशील मास्टर डाटाबेस का सृजन करना;
- आबकारी एवं कराधान आयुक्त के साथ सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा आवधिक विवरणियां दायर किया जाना निर्धारित करने जिनमें राजस्व संग्रहण के सम्बन्ध में सभी वाणिज्यिक वाहनों की समेकित स्थिति, चूककर्ताओं के विवरण दर्शाते हुए प्रदर्शित थे;
- आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा दैनिक संग्रहण रजिस्ट्रों तथा मांग संग्रहण रजिस्ट्रों के निर्माण का अनुश्रवण सुनिश्चित करना;
- माल व यात्री कर के अंतः एवं भीतरी परिवहन पर यात्री व माल कर/ अतिरिक्त माल कर का अपवंचन रोकने के लिए राज्य की सीमा पर सभी प्रवेश द्वारों पर जांच चौकियां/ बैरियर की पर्याप्त संख्या में निर्माण करना; तथा
- सम्बद्ध सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ-साथ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/ पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों के पास अपना पंजीकरण सहित वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य करना।

## अन्य लेखापरीक्षा VH; (D)यां

## 5.4 विशेष पथ कर/ शास्ति वसूल न करना ( हिमाचल पथ परिवहन निगम )

**5.4.1** हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कर अधिनियम, 1972 की धारा 3-क के अंतर्गत जिसका समय-समय पर संशोधन किया गया है, राज्य में उपयोग में लाये गये अथवा उपयोग हेतु रखे गये सभी परिवहन वाहनों पर राज्य सरकार को विशेष पथ कर मासिक रूप से उद्ग्रहित, प्रभारित अथवा अदा किया जाएगा। विशेष पथ कर प्रत्येक माह की 15वीं तारीख को अग्रिम रूप से अदा किया जाएगा। परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2006 के अनुसार जो 31 जुलाई 2002 से लागू मानी गई है, यदि कोई वाहन मालिक देय विशेष पथ कर का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसकी बात सुनने का अवसर उसे देने के पश्चात देय कर के 25 प्रतिशत वार्षिक दर से मालिक को शास्ति का भुगतान करने का निदेश देगा।

आठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों<sup>22</sup> के विशेष पथ कर रजिस्ट्रों की लेखापरीक्षा जांच (अगस्त 2012 एवं मार्च 2013 के मध्य)में पाया गया कि सकल ₹13.60 करोड़<sup>23</sup> का विशेष पथ कर अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि हेतु न तो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा मांगा गया और न ही हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा मार्च 2013 तक जमा कराया गया। कर जमा कराने में एक महीने तथा 24 महीनों के मध्य का विलम्ब था। मार्च 2013 तक ₹5.24 करोड़ की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्रहण थी जिसका उद्ग्रहण/वसूली नहीं की गई है।

इसे इंगित किये जाने (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013) के पश्चात निदेशक (परिवहन), शिमला ने फरवरी 2013 में सूचित किया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, चम्बा, मण्डी एवं नाहन के मामले में हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बद्ध क्षेत्रीय प्रबंधकों को विशेष पथकर की बकाया राशि को जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिये गये थे, जबकि शेष क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने सूचित किया कि या तो कर जमा करवाने के लिए चूककर्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे अथवा अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

## 5.4.2 विशेष पथ कर का विलम्ब से भुगतान करने हेतु शास्ति का उद्ग्रहण न करना

दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के विशेष पथ कर रजिस्ट्रों की लेखापरीक्षा जांच (अगस्त 2012 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य) से पाया गया कि विशेष पथ कर की सकल ₹12.85 लाख का भुगतान निजि स्टेज कैरिजों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया गया। विशेष पथ कर के भुगतान में विलम्ब 10 से 733 दिनों की अवधि के मध्य था जिसके लिए ₹2.52 लाख<sup>24</sup> की शास्ति यद्यपि उद्ग्रहण थी परन्तु सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा उद्ग्रहित नहीं की गई।

विभाग तथा सरकार को लेखापरीक्षा ने मामला सितम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य सूचित किया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

<sup>22</sup> बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, मण्डी, नाहन, सोलन एवं ऊना

<sup>23</sup> बिलासपुर: ₹1.06 करोड़, चम्बा: ₹1.24 करोड़, धर्मशाला: ₹4.86 करोड़, हमीरपुर: ₹93.92 लाख, मण्डी: ₹3.17 करोड़, नाहन: ₹94.38 लाख, सोलन: ₹55.47 लाख तथा ऊना: ₹83.43 लाख

<sup>24</sup> बिलासपुर : ₹1.24 लाख तथा शिमला: ₹1.28 लाख

## 5.5 निजी स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर की वसूली न करना/ अल्प-वसूली करना

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1999 के अनुसार, उपयोग में लाये गये अथवा उपयोग हेतु रखे गये सभी परिवहन वाहनों पर राज्य में विशेष पथ कर उद्गृहित, प्रभारित तथा भुगतान किया जाएगा तथा प्रति मास की 15वीं तारीख को अग्रिम में भुगतान करना होगा। यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अन्दर देय विशेष पथ कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात देय कर के 25 प्रतिशत की दर से शास्ति का भुगतान करने का मालिक को निदेश देगा। विशेष पथ कर की दरें मार्गों जिन पर वाहन चलाये जा रहे हैं जैसेकि उच्चमार्ग, राज्य उच्चमार्ग, ग्रामीण सड़कें तथा 30 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली स्थानीय बसें/ मिनी बसें के वर्गीकरण पर आधारित होगा। 01 अप्रैल 2005 से विशेष पथ कर की दरें उपरोक्त मार्गों हेतु क्रमशः 6.04, 5.03 तथा 4.03 पैसे प्रति सीट प्रति किलोमीटर हैं।

नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के विशेष पथ कर रजिस्ट्रों के अभिलेखों की सितम्बर 2011 तथा फरवरी 2013 के मध्य की गई लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि नमूना जांच किये गये 704 मामलों में से 172 मामलों में निजी स्टेज कैरिजों के मालिकों से ₹460.32 लाख की राशि का विशेष पथ कर वसूलीय था। 85 मामलों में वाहन मालिकों द्वारा अप्रैल 2008 तथा मार्च 2012 के मध्य की अवधि हेतु ₹332.69 लाख का भुगतान किया गया जबकि 87 मामलों में जुलाई 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य की अवधि हेतु विशेष पथ कर के भुगतान की मांग न तो विभाग द्वारा की गई और न ही वाहन मालिकों द्वारा इसका भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹127.63 लाख के विशेष पथ कर की वसूली नहीं हुई/ अल्प-वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दरों पर ₹21.99 लाख की न्यूनतम शास्ति भी कर अदा न करने के लिए उद्ग्राह्य थी जैसाकि तालिका 5.6 में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.6

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का नाम	अवधि के मध्य की गई लेखापरीक्षा	विशेष पथ कर की अवधि जिसके लिए कर देय था	इंगित किये गये/ नमूना जांच किये गये मामलों की संख्या	विशेष पथ कर की राशि			उद्ग्राह्य शास्ति की राशि
				विशेष पथ कर देय	विशेष पथ कर का भुगतान किया गया	विशेष पथ कर का भुगतान न किया गया/अल्प भुगतान किया गया	
<b>निजी स्टेज कैरिजों से विशेष पथकर की वसूली न करना</b>							
बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला, सोलन तथा ऊना	सितम्बर 2011 तथा फरवरी 2013	जुलाई 2009 तथा मार्च 2012	87 / 427 बसें (निजी स्टेज कैरिज)	86.55	--	86.55	21.99
<b>योग</b>			<b>87 / 427</b>	<b>86.55</b>	<b>--</b>	<b>86.55</b>	<b>21.99</b>
<b>निजी स्टेज कैरिजों से विशेष पथकर की अल्प वसूली</b>							
बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, कुल्लू, शिमला तथा सोलन	अगस्त 2012 तथा फरवरी 2013	अप्रैल 2008 तथा मार्च 2012	85 / 277 बसें (निजी स्टेज कैरिज)	373.77	332.69	41.08	--
<b>योग</b>			<b>85 / 277</b>	<b>373.77</b>	<b>332.69</b>	<b>41.08</b>	<b>--</b>
<b>सकल योग</b>			<b>172 / 704</b>	<b>460.32</b>	<b>332.69</b>	<b>127.63</b>	<b>21.99</b>

इसे इंगित किये जाने (सितम्बर 2011 तथा फरवरी 2013) के पश्चात निदेशक (परिवहन) शिमला ने (फरवरी 2013) बताया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा द्वारा सात वाहन मालिकों से ₹2.65 लाख की राशि वसूली जा चुकी थी जबकि अन्य क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने बताया कि कर की बकाया राशि को जमा कराने के लिए वाहन मालिकों का नोटिस जारी किये गये थे।

हमने विभाग तथा सरकार को मामला सितम्बर 2011 तथा मार्च 2013 में सूचित कर दिया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013)।

## 5.6 करों की अवसूली

### सांकेतिक कर

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत वाहन मालिकों द्वारा सांकेतिक कर का भुगतान त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप में निर्धारित तरीके से अग्रिम में किया जाना है। परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जून 2007 के अनुसार निर्माण उपकरण वाहनों तथा क्रेन सवार वाहनों (अधिकतम निर्धारित भार पर आधारित) के मामले में सांकेतिक कर जून 2007 से ₹8,000 (हल्के वाहनों), ₹11,000 (मध्यम वाहनों) तथा ₹14,000 (भारी वाहनों) वार्षिक की दर पर उद्ग्राह्य था। प्रावधान के अनुसार यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अंदर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात कर के अतिरिक्त देय कर की 25 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करने का निदेश देगा।

लेखापरीक्षा में जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य 19 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों<sup>25</sup> तथा नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों<sup>26</sup> के सांकेतिक कर रजिस्ट्रों एवं 'वाहन' साफ्टवेयर में अनुरक्षित डाटा की नमूना जांच की गई तथा पाया गया कि नमूना जांच किये गये 17,878 वाहनों के अभिलेखों में से 4,031 वाहनों<sup>27</sup> के सम्बन्ध में 2010-11 तथा 2011-12 वर्षों हेतु ₹1.70 करोड़ की सांकेतिक कर की राशि को वाहन मालिकों द्वारा जमा नहीं कराया गया था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे सूचित होता कि चूककर्ताओं से कर वसूल करने के लिए कराधान प्राधिकारियों द्वारा कोई प्रयास किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.70 करोड़ के सांकेतिक कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, कर का भुगतान न करने के लिए निर्धारित दर पर शास्ति भी वसूलनीय थी।

इन मामलों को (जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) इंगित किये जाने के पश्चात निदेशक (परिवहन) ने अक्टूबर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य सूचित किया कि सात पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने 229 वाहनों<sup>28</sup> के सम्बन्ध में ₹9.32 लाख के सांकेतिक कर की वसूली कर ली थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। शेष कराधान प्राधिकारियों ने सूचित किया (जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) कि चूककर्ताओं को कर जमा कराने के लिए या तो नोटिस जारी किये जाएंगे अथवा अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को मामला जुलाई 2012 तथा अप्रैल 2013 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2013)।

<sup>25</sup> अम्ब, अर्की, बंजार, बडसर, चच्योट स्थित गोहर, चौपाल, चुराह, डलहौजी, हमीरपुर, जयसिंहपुर, कांगड़ा, केलांग, मनाली, मण्डी, पालमपुर, परवाणू, रोहडू, सरकाघाट एवं शिमला (ग्रामीण)

<sup>26</sup> बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, मण्डी, नाहन, शिमला, सोलन तथा ऊना

<sup>27</sup> बसें/ स्टेज कैरिजें: 239 मामले: ₹51.89 लाख; निर्माण उपकरण वाहन: 205 मामले: ₹19.82 लाख; माल वाहक/ अन्य वाहन: 2,426 मामले: ₹55.32 लाख; ट्रैक्टर: 540 मामले: ₹11.78 लाख एवं मैक्सी / मोटर कैब: 621 मामले: ₹31.56 लाख

<sup>28</sup> पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी: अम्ब: सात वाहन: ₹64,125, अर्की: 22 वाहन: ₹59,805, चौपाल: दो वाहन: ₹38,000, कांगड़ा: 15 वाहन: ₹42,000, मण्डी: 29 वाहन: ₹52,000, पालमपुर: 14 वाहन: ₹73,350, परवाणू: आठ वाहन: ₹68,418 एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी: चम्बा: 87 वाहन: ₹3.22 लाख, मण्डी: छ: वाहन: ₹21,526, नाहन: 18 वाहन: ₹49,771 एवं शिमला: 21 वाहन: ₹1.41 लाख

## 5.6.2 प्रवेश कर

स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश कर अधिनियम, 2010 की धारा 4(1) के अंतर्गत जारी की गई अक्टूबर 2010 की आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना के अनुसार, राज्य में उपयोग हेतु राज्य से बाहर किसी भी स्थान से खरीदे गये तथा हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पंजीकरण योग्य मोटर वाहनों के बीजक मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर को जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि कोई भी पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे मोटर वाहन का तब तक पंजीकरण नहीं करेगा जब तक कि पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता व्यक्ति निर्धारण प्राधिकारी से इस धारा के अंतर्गत देय कर को जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत न कर दे।

लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य दो पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों<sup>29</sup> के पास अनुरक्षित वाहनों की पंजीकरण फाइलों से पाया गया कि दिसम्बर 2010 से मार्च 2012 तक की अवधि हेतु नौ वाहनों के सम्बन्ध में निर्धारित दर पर ₹6.03 लाख की राशि के प्रवेश कर को वाहन मालिकों द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग के पास जमा नहीं कराया गया क्योंकि वाहनों की पंजीकरण फाइलों में प्रवेश कर को जमा कराये जाने के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाण नहीं पाया गया। सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी ने देय कर की वसूली हेतु न तो कोई कार्रवाई की और न ही वाहन मालिकों को कोई नोटिस जारी किये। इसके परिणामस्वरूप ₹6.03 लाख के कर की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने (दिसम्बर 2012 तथा अप्रैल 2013 के मध्य) के पश्चात पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों ने बताया कि अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

विभाग तथा सरकार को मामला जनवरी तथा अप्रैल 2013 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013)।

## 5.7 प्रयोक्ता प्रभारों का जमा न करना

पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों के कार्यालयों में सभी परिवहन संबन्धी कार्यकलापों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए सितम्बर 2005 से सम्बंधित जिले के सम्बद्ध उपायुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत ई-शासन समितियां कार्य कर रही हैं। समितियां राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोक्ता प्रभारों का संग्रहण करती हैं तथा इन प्रभारों का 25 प्रतिशत सरकारी खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी रोहटू तथा दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों<sup>30</sup> के 'सेवा प्रभार संग्रहण रजिस्ट्रों' से लेखापरीक्षा ने जुलाई 2012 तथा जनवरी 2013 के मध्य पाया कि ई-शासन समितियों ने 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में ₹23.89 लाख एकत्रित किये। तथापि, प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में एकत्रित प्राप्तियों का 25 प्रतिशत ₹5.97 लाख<sup>31</sup> बनता था, जो सरकारी खाते में जमा नहीं कराया गया, जैसाकि अपेक्षित था। इस प्रकार ₹5.97 लाख सरकारी खाते से बाहर रहे जिससे उस सीमा तक के राजस्व की न्यूनोक्ति भी हुई। तथापि, प्रयोक्ता प्रभारों के 25 प्रतिशत आवधिक भुगतान की अनुसूची तथा विलम्बित भुगतानों, आदि के मामले में उद्गृहीत किये जाने वाले ब्याज/शास्ति का सरकार द्वारा निर्धारण नहीं किया गया था।

<sup>29</sup> बडसर एवं चुराह

<sup>30</sup> क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा एवं सोलन

<sup>31</sup> पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी रोहटू: ₹1.57 लाख, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा: ₹1.14 लाख एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन: ₹3.26 लाख

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने (जुलाई 2012 तथा जनवरी 2013) के पश्चात पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी, रोहटू ने सूचित किया कि प्रयोक्ता प्रभारों की राशि को सरकारी खाते में जमा करा दिया जाएगा तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, चम्बा ने बताया कि अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी जबकि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन ने उत्तर नहीं दिया है।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

## अध्याय-छः वन प्राप्तियां

### 6.1 कर संचालन

प्रधान सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग का प्रमुख होता है जिसे 37 क्षेत्रीय मण्डलों में आठ अरण्यपालों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। प्रत्येक अरण्यपाल वन मण्डल अधिकारियों के द्वारा उनके नियंत्रणाधीन किये जा रहे वन कार्यकलापों के दोहन तथा पुनरूत्थान का नियंत्रण करता है। प्रत्येक वन मण्डल अधिकारी अपने क्षेत्रीय मण्डल में वन सम्बन्धी सौंपे गये कार्यकलापों का प्रभारी होता है।

### 6.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2012-13 में वन प्राप्तिओं से सम्बंधित 15 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 100 मामलों में ₹71.97 करोड़ से अंतर्ग्रस्त रॉयल्टी की अवसूली/ अल्पवसूली, ब्याज/ प्रसार फीस का अनुद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं पाई गई जो नीचे तालिका 6.1 में निम्नवत् वर्गों के अंतर्गत आती है:

तालिका 6.1

			(₹ करोड़)
क्रमांक	विवरण	मामलों की संख्या	राशि
1.	रॉयल्टी की अवसूली/अल्पवसूली	14	11.08
2.	ब्याज का अनुद्ग्रहण	07	1.70
3.	प्रसार फीस का अनुद्ग्रहण	01	0.02
4.	अन्य अनियमितताएं	78	59.17
योग		100	71.97

विभाग ने वर्ष के दौरान 109 मामलों में ₹52.97 लाख के अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें विगत वर्षों में इंगित किया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान नौ मामलों में ₹49.84 लाख की राशि वसूल की गई।

सरकारी राजस्व के उद्ग्रहण से सम्बंधित ₹4.14 करोड़ के कुछ मामलों की निम्नवत् परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

### 6.3 वृक्षों का अवैध कटान

राज्य सरकार के अनुदेशों (अप्रैल 1951) के अनुसार वन अपराधों का संज्ञान रखने के उद्देश्य से गश्ती वन रक्षक द्वारा एक क्षति रिपोर्ट शीघ्र तैयार/ जारी की जानी अपेक्षित है। यदि अपराधी अजनबी है तो शीघ्र रूप से क्षति रिपोर्ट बनाई जानी अपेक्षित है तथा नजदीकी लम्बरदार अथवा प्रभावशाली व्यक्ति से हस्ताक्षरित करवाई जानी चाहिए। क्षेत्रीय वन अधिकारी से मामलों की जांच की जानी तथा क्षतिपूर्ति के निर्धारण अथवा अभियोजन की स्वीकृति हेतु वन मण्डल अधिकारी को प्रेषित की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश के अनुदेशों के अनुसार खण्ड अधिकारी/ क्षेत्रीय वन अधिकारी से समय-समय पर वनों का निरीक्षण किया जाना तथा अवैध कटान के प्रति प्रभावी कदम उठाने एवं कार्रवाई करने के लिए उच्चतर प्राधिकारियों को मामला सूचित किया जाना अपेक्षित है। क्षति रिपोर्ट जारी की जानी एवं अपराधी से हस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है यदि वह परिचित है। इन मामलों को पुलिस में पंजीकृत किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने “अपराध मामलों के रजिस्टर” में पाया (फरवरी 2013 तथा मार्च 2013 के मध्य) कि 352.720 घन मीटर के खड़े आयतन के विभिन्न प्रजातियों के 1,172 वृक्षों को अवैध रूप से काटा गया तथा उन्हें अपराधियों द्वारा चुरा लिया गया। लेखापरीक्षा जांच में आगे पाया गया कि इन अपराधों में से किसी भी मामले में न तो क्षति रिपोर्ट (एक मामले के अतिरिक्त) जारी की गई और न ही कोई प्राथमिकी रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज करवाई गई। अपराध किये जाने के शीघ्र पश्चात क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अवैध कटान के मामलों का पता नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार, क्षेत्रीय स्टाफ की ओर से अपराधों का समय पर पता लगाने तथा उन्हें पुलिस को सूचित करने में ढील के परिणामस्वरूप अपराधियों द्वारा अवैध रूप से काटे गये तथा चुरा लिए गये 352.720 घन मीटर के प्रति 333.497 घन मीटर खड़े आयतन की इमारती लकड़ी की कम जब्ती हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹94.69 लाख की सीमा तक के राजस्व की हानि हुई जिसका विवरण तालिका 6.2 में दिया गया है:

तालिका 6.2

₹ लाख								टिप्पणी
मण्डल/वन क्षेत्र	उद्घाटित मामले/ दिनांक	वन/सड़कों का नाम	वृक्षों की संख्या (विभिन्न प्रजाति)	कुल खड़ा आयतन	क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा जब्त की गई	क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा जब्त नहीं गई	जब्त न गई इमारती लकड़ी का आयतन	
चम्बा/ भरमौर (वन्य जीव)	जनता/ 2012-13	गवारी एवं टुडाह डी0पी0एफ0	14	20.65	14.746	5.904	2.38	कोई क्षति रिपोर्ट जारी नहीं की गई
करसोग	अज्ञात/ 2010-11 तथा 2011-12 के मध्य	छतरी से जंजैहली, नरेश से बेगू, सुशान से गोवालपुर व सैज से नांज	89	105.186	शून्य	105.186	35.84	एक मामले में क्षति रिपोर्ट जारी की गई थी। गैर वानिकी उपयोग हेतु वनों के अपवर्तन हेतु मामले एम0ओ0ई0एफ0/भारत सरकार को नही भेजे गये थे।
रामपुर/ रामपुर	अज्ञात/2006-07 तथा 2010-11 के मध्य	नानन से धरोली सड़क	1004	205.246	शून्य	205.246	43.44	अधिसासी अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदनार्थ मामला विलम्ब से भेजा गया जिसे एम0ओ0ई0एफ0 एन0आर0 चण्डीगढ़ द्वारा रद्द कर दिया गया था (अक्टूबर 2011)
शिमला/ भञ्जी, धामी, तारादेवी व कोटी	अज्ञात/2011-12	विभिन्न वन	65	21.638	4.477	17.161	13.03	क्षति रिपोर्ट इन मामलों में से किसी में भी जारी नहीं की गई थी।
योग			1172	352.72	19.223	333.497	94.69	

विभाग तथा सरकार को यह चूक अप्रैल 2013 में इंगित की गई थी। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2013)।

## 6.4 जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के कारण राजस्व का अवरोधन

भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 में जब्त योग्य सम्पत्ति को जब्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। अप्रैल 1951 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार जब्त की गई इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पाद को या तो सपुरदार<sup>1</sup> की सपुरदगी (सुरक्षित अभिरक्षा) में रखा जाना चाहिए अथवा प्रपत्र-17<sup>2</sup> में इसे लेखाबद्ध करने के पश्चात सम्बंधित क्षेत्रीय स्टाफ के पास रखा जाना चाहिए। इस प्रकार लेखाबद्ध की गई इमारती लकड़ी/वन उत्पाद का अपराध के पश्चात या तो समझौता करके उथवा न्यायालय द्वारा मामलों का निर्णय करने पर निपटारा किया जाना अपेक्षित है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने सभी अरण्यपालों को निदेश दिये (अप्रैल 1999) कि जहां पर वन उत्पादों की सपुरदगी अत्यधिक लम्बी अवधि हेतु ली गई है वहां सम्बंधित जांच अधिकारी को ऐसे उत्पादों की निगरानी पर व्यय को कम करने तथा अपकर्ष (खराब होना)/ चोरी से बचाव के लिए 15 दिनों के अन्दर जब्त सम्पत्ति की निलामी हेतु सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त करने को कहा जाना चाहिए।

चार मण्डलों<sup>3</sup> की इमारती लकड़ी के प्रपत्रों की सितम्बर 2011 तथा फरवरी 2013 के मध्य लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि आठ वन क्षेत्रों में विभाग ने अप्रैल 2008 से मार्च 2012 तक के दौरान 276.687 घन मीटर परिमाण की इमारती लकड़ी जब्त की। 2011-12 की बाजार दरों पर जब्त की गई इमारती लकड़ी का मूल्य ₹17.14 लाख के वैट सहित ₹1.42 करोड़<sup>4</sup> आंका गया। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि जब्त की गई इमारती लकड़ी विभाग के विभिन्न डिपुओं में पड़ी थी जिससे यह प्रतीत होता कि क्या सम्बंधित वन मण्डल अधिकारियों/ जांच अधिकारियों ने तय समय सीमा के अन्दर जब्त की गई इमारती लकड़ी के निपटान हेतु कोई ठोस पग उठाये थे अथवा न्यायालय के आदेश प्राप्त किये थे, का उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार पकड़ी गई लकड़ी का निपटारा न करने के फलस्वरूप न केवल इस सीमा तक के राजस्व का अवरोधन हुआ बल्कि निगरानी पर व्यय तथा इमारती लकड़ी का अपकर्ष भी हुआ। शिखर स्तर पर पकड़ी गई/ निपटारा की गई इमारती लकड़ी की मात्रा का अनुश्रवण करने के लिए किसी भी आवधिक विवरणी को निर्धारित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने (फरवरी 2013) के पश्चात वन मण्डल अधिकारी, कुल्लू ने बताया कि उक्त इमारती लकड़ी का संहिता औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात समयहरण कर लिया जाएगा तथा सक्रिय कार्रवाई प्रगति पर थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा करने हेतु विभागीय कर्मचारियों ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की।

विभाग तथा सरकार को मामला अक्टूबर 2011 तथा मार्च 2013 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

## 6.5 विभागीय प्रभागों का जमा न करना

मई 2004 में जारी किये गये प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश, के अनुदेशों के अनुसार विभाग की स्थापना तथा अवसंरचना प्रभागों को आवृत्त करने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के मामले में 17.5

<sup>1</sup> लम्बरदार अथवा उस स्थान का कोई विश्वसनीय व्यक्ति

<sup>2</sup> जब्त किये गये वन उत्पाद का रजिस्टर

<sup>3</sup> कोटगढ़, कुल्लू, लाहौल स्पिति एवं नाहन

<sup>4</sup> कोटगढ़: आयतन: 33.458 घन मीटर: ₹0.16 करोड़, कुल्लू: आयतन: 209.315 घन मीटर: ₹1.10 करोड़, लाहौल स्पिति: आयतन: 23.951 घन मीटर: ₹0.13 करोड़ तथा नाहन: आयतन: 9.963 घन मीटर: ₹0.03 करोड़

प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों को प्रभारित किया जाना था। प्रधान मुख्य अरण्यपाल के मार्च 2003 के पत्र के अनुसार वसूली गई विभागीय प्रभारों की राशि को क्षतिपूरक वनरोपण शीर्ष के बजाय विभाग के राजस्व के रूप में जमा कराया जाना था।

लेखापरीक्षा में जोगिन्द्रनगर वन मण्डल के अभिलेख से मार्च 2013 में पाया गया कि मण्डल ने गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि के अपवर्तन के दो मामलों में ₹5.58 लाख विभागीय प्रभारों सहित क्षतिपूरक वनरोपण के रूप में ₹37.47 लाख की वसूली की। इस प्रकार वसूल किये गये विभागीय प्रभारों को सरकार के राजस्व में जमा कराने के बजाए क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण<sup>5</sup> लेखे में जमा करवाया गया। इसलिए सरकारी खाते में विभागीय प्रभारों को जमा न कराने के परिणामस्वरूप इस सीमा तक के राजस्व की न्यूनोक्ति हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला अप्रैल 2013 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013)।

## 6.6 वन भूमि पर सड़कों के अवैध निर्माण के कारण राजस्व का अनुद्ग्रहण

उपयोक्ता अभिकरण के पक्ष में निवल वर्तमान मूल्य के रूप में एक विशेष राशि की अदायगी करने पर भारत सरकार/ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वनों के अपवर्तन का अनुमोदन प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार के सितम्बर 1991 के अनुदेशों के अनुसार वन भूमि पर खड़े वृक्षों जिन्हें गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए अपवर्तित किया गया है की लागत उपयोक्ता अभिकरणों जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा वन भूमि का अंतरण अनुमोदित किया गया है, से उन्हें वन भूमि क्षेत्र सुपुर्द करने से पूर्व वसूल की जाएगी। उपयोक्ता अभिकरण द्वारा हाथ में ली गई परियोजना के संरक्षण में आने वाले खड़े वृक्षों को चिन्हित किया जाता है तथा उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को दोहन करने हेतु सौंपा जाता है। इसके अतिरिक्त किसी वन अपराध का संज्ञान लेने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों (अप्रैल 1951) के अनुसार किए गए अपराध के लिए वन कार्यक्षेत्र रक्षक द्वारा तत्काल एक क्षति रिपोर्ट<sup>6</sup> तैयार/ जारी करना अपेक्षित होती है तथा इस क्षति रिपोर्ट को अपराधी से स्वीकार करवाना होता है। यदि अपराधी मौके पर गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, तो तत्काल रिपोर्ट करनी अपेक्षित होती है और उसे निकटवर्ती लंबरदार अथवा प्रभावशाली व्यक्ति से हस्ताक्षरित करवाना होता है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत गम्भीर अपराध जिसमें दीर्घकालीन जांच अपेक्षित हो, के मामले में पुलिस की सहायता भी ली जा सकती है।

फरवरी तथा मार्च 2013 के मध्य दो मण्डलीय वन अधिकारियों<sup>7</sup> के अपराध मामलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने 2006-07 तथा 2011-12 वर्षों के दौरान 14.57 हेक्टेयर वन भूमि पर गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपवर्तन हेतु भारत सरकार/पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना छः सड़कों का निर्माण किया था। वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए सड़कों के अनधिकृत निर्माण का कई वर्षों तक पता नहीं लगा सके/ निर्माण बंद नहीं करवा सके। तीन मामलों में न तो कोई क्षति रिपोर्ट जारी की गई और न ही पुलिस के पास मामले ही दर्ज करवाए गए। केवल एक मामले में विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रति ₹4.95 लाख का क्षति बिल जुटाया गया था, किन्तु मार्च 2013 तक इसकी स्वीकृति तथा वसूली लंबित थी। तथापि, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण

<sup>5</sup> क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं प्राधिकरण

<sup>6</sup> क्षति रिपोर्ट उपराध करने की तिथि व समय, वन के नाम तथा कंपार्टमेन्ट, क्षति के विवरण, अपराधी तथा गवाहों अथवा निकटतम गांव लंबरदार, यदि कोई हो, के नाम/आयु तथा पते से समाविष्ट होती है।

<sup>7</sup> करसोग तथा रामपुर

विभाग के अनुरोध पर विभाग ने तीन मामलों में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय/ भारत सरकार के पास अनुमोदन के लिए आवेदन किया था, जिसने स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत अनुमोदन के लिए इंकार कर दिया (19.10.2011 तथा 26.04.2012 के मध्य)। इस प्रकार प्रारम्भिक अवस्था पर सड़कों के अवैध निर्माण का पता लगाने तथा उसे रोकने के लिए जैसा कि अधिनियम तथा अनुदेशों में प्रावधान किया गया है, विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप भारी पर्यावरणीय हानि, वन भूमि की टूटफूट एवं बागान की क्षति के अतिरिक्त वर्तमान निवल मूल्य के संदर्भ में ₹1.01 करोड़ की हानि हुई, जोकि अन्यथा गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अंतरण के अनुमोदित मामलों में विभाग को देय थी। वर्तमान निवल मूल्य पर ₹22.31 लाख के विभागीय प्रभार भी उद्ग्राह्य थे।

(ii) इसके आगे लेखापरीक्षा ने जनवरी 2012 में नाचन वन मंडल के अभिलेखों से पाया कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने भारत सरकार/ पर्यावरण तथा वन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एक सड़क का निर्माण किया था। वन परिक्षेत्र, थाची के खण्ड अधिकारी, डहेर ने एक जांच की तथा सूचित किया (अप्रैल 2011) कि सड़क के निर्माण के दौरान संविदाकार द्वारा निकाले गए 1,878.932 घनमीटर कीचड़/ कूड़ा करकट का चिन्हित क्षेत्रों में निपटान नहीं किया गया तथा उसे अवैध रूप से वन क्षेत्र में निक्षेप कर दिया गया, जो कि भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को कीचड़/ कूड़ाकरकट के अवैध निपटान का पता नहीं लगा तथा उसे नहीं रोका गया तथा अपराध करने के दौरान लोक निर्माण विभाग संविदाकार के विरुद्ध कोई क्षति रिपोर्ट जारी नहीं की गई। तथापि, ₹6.22 लाख का क्षति बिल (मई 2011) जारी किया गया जिसका अपराधी द्वारा स्वीकार करने के अभाव में कोई महत्व नहीं था। इस प्रकार क्षति रिपोर्ट की छानबीन किए बिना क्षति बिल की वसूली सुनिश्चित नहीं की जा सकी तथा इसे विधि न्यायालय में वसूली हेतु पेश नहीं किया जा सका। क्षति बिल की वसूली की आशा बहुत कम थी, जिसके फलस्वरूप राजकोष को ₹6.22 लाख के राजस्व की हानि हुई।

विभाग तथा सरकार के ध्यान में मामला मार्च तथा अप्रैल 2013 के मध्य लाया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

## 6.7 रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण/ अल्पोद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा रॉयल्टी, रेजिन ब्लेजों<sup>8</sup> के दोहनार्थ अनुबन्ध व शर्तों, खड़े वृक्षों तथा अन्य वन उत्पादों की समय समय पर दरों का निर्धारण करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित मूल्य निर्धारण समिति ने फरवरी 2005 में आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम नौ प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान करेगी यदि रेजिन ब्लेजों पर रॉयल्टी की किशतों का भुगतान 15 सितम्बर तथा 15 दिसम्बर तक नहीं किया जाता है। यदि भुगतान 90 दिनों की माफी अवधि के अन्दर कर दिया जाता है तो कोई भी ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा अन्यथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम रॉयल्टी के भुगतान की देय तिथि से ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी है।

मार्च 2013 में तीन वन मण्डल अधिकारियों के रॉयल्टी की भुगतान विवरणों एवं लॉट फाइलों की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि 2008 से 2012 तक के स्राव मौसम के दौरान 4,16,847 रेजिन ब्लेज हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम को दोहनार्थ सौंपे गये। हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा बराबर किशतों में सकल ₹154.80 लाख की रॉयल्टी स्राव मौसम 2008 के लिए 15 सितम्बर 2008 तथा 15 दिसम्बर 2008 एवं स्राव मौसम 2012 के लिए 15 सितम्बर 2012 एवं 15 दिसम्बर 2012 तक भुगतान

<sup>8</sup> रेजिन स्राव के लिए चीड़ के वृक्ष पर काटने का एक चिन्ह

योग्य थी। रॉयल्टी की ₹66.61 लाख की राशि का भुगतान विलम्ब से किया गया तथा ₹88.19 लाख का भुगतान 31 मार्च 2013 तक नहीं किया गया था। रॉयल्टी के भुगतान में 107 एवं 742 दिनों के मध्य का विलम्ब था। नौ प्रतिशत वार्षिक दर पर ₹7.74 लाख का ब्याज यद्यपि उदग्राह्य था जिसे विभाग द्वारा उदगृहीत/ अल्प उदगृहीत किया गया जैसाकि तालिका 6.3 में विवरण दिया गया है:

तालिका 6.3

₹ लाख							
क्रमांक	मण्डल का नाम	दोहन वर्ष / बलेजों की संख्या	रॉयल्टी भुगतान में विलम्ब (दिनों में)	रॉयल्टी राशि	उदग्राहन/उदगृहीत ब्याज	ब्याज का अनुदग्रहण/ अल्पोदग्रहण	के मध्य रॉयल्टी का भुगतान
1.	मण्डी	2008 / 1,37,612 में से 1,21,000 का स्राव किया गया	363 और 740	33.52	4.04 / शून्य	4.04	13 सितम्बर 2009 और 25 सितम्बर 2010
2.	जोगिन्द्र नगर	2008 / 1,19,475	179 और 742	33.09	2.45 / 2.07	0.38	13 मार्च 2009 और 27 सितम्बर 2010
3.	करसोग	2012 / 1,76,372	107 और 198	88.19	3.32 / शून्य	3.32	31 मार्च 2013 तक भुगतान नहीं
योग		4,16,847		₹154.80	₹9.81 / 2.07	₹7.74	

विभाग तथा सरकार को मामला अप्रैल 2013 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2013)

## 6.8 रेजिन ब्लेजों का अनियमित विलोपन

वन कार्य प्रणाली के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् रेजिन लॉटस का रेजिन स्राव कार्य इस प्रयोजन हेतु एकमात्र एंजेट होने के नाते पूर्ण रूप से निगम के पास है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने दिनांक मई 2000 के अनुदेशों द्वारा सभी वन मण्डल अधिकारियों को निदेश दिये कि सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारियों द्वारा स्राव मौसम के अंत तक (15 दिसम्बर तक) प्रति वर्ष ब्लेजों के विलोपन हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाए ताकि आगामी स्राव मौसम (15 मार्च) के आरम्भ होने से ठीक पहले अरण्यपाल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

चार मण्डलों<sup>9</sup> के रेजिन ब्लेजों के अभिलेख से लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी एवं मार्च 2013 के मध्य) कि वर्ष 2008, 2010, 2011 और 2012 के रेजिन स्राव मौसमों के दौरान निगम को स्राव हेतु 62,771 रेजिन ब्लेज हस्तांतरित नहीं किये गये। इन ब्लेजों के विलोपन हेतु अपेक्षित अरण्यपाल का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। इस प्रकार अरण्यपाल का पूर्व अपेक्षित अनुमोदन लिए बिना ब्लेजों का विलोपन अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप ₹34.63 लाख के राजस्व की हानि हुई। इंगित किये जाने पर वन मण्डल अधिकारियों ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

विभाग तथा सरकार को मामला अप्रैल 2013 में सूचित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2013)।

<sup>9</sup> करसोग, मण्डी, शिमला, एवं रेणुकाजी

## अध्याय-सात अन्य कर एवं गैर कर प्राप्तियां

### 7.1 कर संचालन

इस अध्याय में विद्युत क्षेत्र से सम्बंधित परियोजनाओं, खनन, उद्योग, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण विभागों की प्राप्तियों का समावेश है। कर संचालन प्रत्येक विभाग हेतु पृथक रूप से बनाए गए अधिनियमों एवं नियावलियों द्वारा विनियमित किया जाता है।

### 7.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2012-13 में लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित 35 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 93 मामलों में ₹520.85 करोड़ की राशि को सरकारी राजस्व खाते में व्यपगत निक्षेपों का कम क्रेडिट करना/ क्रेडिट नहीं करना तथा अन्य अनियमितताएं दिखाई जो निम्नवत् श्रेणियों के अन्तर्गत पड़ती हैं, जैसा कि तालिका 7.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 7.1

(₹ करोड़)			
क्रमांक	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1.	सरकारी राजस्व खाते में व्यपगत निक्षेपों को क्रेडिट न करना/कम क्रेडिट करना	25	7.06
2.	अन्य अनियमितताएं	68	513.79
योग		93	520.85

विभाग ने वर्ष के दौरान 37 मामलों में ₹511.17 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिन्हें विगत वर्षों में इंगित किया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान 11 मामलों में ₹242.98 करोड़ की राशि वसूल की गई।

₹494.55 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कुछ निदर्शी मामलों की निम्नवत् परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

## क. बहुदेशीय परियोजनाएं तथा विद्युत विभाग

### 7.3 विद्युत शुल्क को सरकारी खाते में जमा न करवाना

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा उपभोक्ताओं को संभरित की गई उर्जा पर विद्युत शुल्क उद्ग्राह्य होता है। पूर्वोक्त नियमावली के अंतर्गत संभरित की गई उर्जा के लिए मासिक बिलों में बोर्ड द्वारा संग्रहीत किया गया शुल्क प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से अर्थात् अप्रैल तथा अक्टूबर में सरकारी खाते में जमा करवाया जाएगा। सरकारी खाते में विद्युत शुल्क जमा न करवाने/विलंब से जमा करवाने के लिए ब्याज/शास्ति का उद्ग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा ने मुख्य विद्युत निरीक्षक के कार्यालय से सूचना एकत्रित की तथा पाया (अप्रैल 2013) कि बोर्ड द्वारा 30 सितम्बर, 2012 तक वसूल किया गया ₹514.41 करोड़ का विद्युत शुल्क मार्च 2013 तक देय था, जिसके प्रति बोर्ड द्वारा 02 अप्रैल 2012 को ₹21.01 करोड़ जमा करवाए गए थे। बोर्ड द्वारा ₹493.40 करोड़ के विद्युत शुल्क की बकाया राशि अप्रैल 2013 तक जमा नहीं करवाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹493.40 करोड़ की राशि के विद्युत शुल्क को सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया गया। इस प्रकार विद्युत शुल्क को विलंब से जमा करने/ जमा ना करने के लिए ब्याज/शास्ति का उद्ग्रहण करने के लिए कोई प्रावधान न होने के कारण बोर्ड सरकारी देयों की अदायगी देय तिथियों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छानुसार कर रहा था। यदि बोर्ड देय तिथियों पर अदायगियां करता तो सरकार 8.42 प्रतिशत की दर (उधार दरें) पर उठाए गए ऋणों पर ₹34.06 करोड़ की न्यूनतम ब्याज दायिता से बच सकती थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने (अप्रैल 2013) पर मुख्य विद्युत निरीक्षक ने सूचित किया (जून 2013) कि इक्विटी तथा टैरिफ प्रत्यापन्नता के रूप में विद्युत शुल्क के प्रति (अक्टूबर तथा नवम्बर 2012 के मध्य) ₹240.00 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन व संस्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई कि बिना किसी रोकड़ लेन-देन के प्रति क्रेडिट के माध्यम से समस्त राशि सम्बंधित राजस्व शीर्ष को अन्तरित की जाएगी। सरकार की कार्रवाई ने वित्तीय नियमावली के प्रावधानों की उपेक्षा की थी जिनमें इसके साथ-साथ यह कहा गया कि सरकारी प्राप्तियों का व्यय हेतु सीधा उपयोग तथा सरकारी खाते में इनका जमा न करना वित्तीय नियमावली का उल्लंघन था। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

सरकार को मामला मई 2013 को प्रेषित किया गया। उनके उत्तर अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

## ख. उद्योग विभाग

### 7.4 अनिवार्य भाड़ा तथा ब्याज की वसूली न करना/ अल्प वसूली करना

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली, 1971 के अनुसार पट्टा क्षेत्र का अनिवार्य भाड़ा<sup>1</sup> अथवा पट्टा क्षेत्र से निष्कासित खनिजों से देय रॉयल्टी जो भी अधिक हो, पट्टाधारी द्वारा देय होगी। भारत सरकार, खनिज मन्त्रालय ने अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त 2009 के द्वारा निम्न मुल्य खनिजों के लिए 13 अगस्त 2009 से चार वर्षों से अधिक की अवधि के लिए पट्टों के संदर्भ में अनिवार्य भाड़े की दरों का संशोधन ₹400 से ₹1,000 प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष किया था। अदायगी की देय तिथि से 60 दिन से अधिक अवधि के लिए रॉयल्टि अथवा अनिवार्य भाड़ा की अदायगी करने में चूक करने के मामले में 24 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज भी उद्ग्राह्य है।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2011 तथा फरवरी 2012 के मध्य दो खनन अधिकारियों (शिमला तथा सोलन) के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि 243.2940 हेक्टेयर के पट्टा क्षेत्र के सात पट्टाधारियों ने 2007-08 से 2010-11 के दौरान किसी उत्पाद का निष्कासन नहीं किया। अतः ये पट्टाधारी ₹2.15 लाख के ब्याज सहित ₹8.88 लाख के अनिवार्य भाड़े की अदायगी करने के लिए उत्तरदायी थे। तथापि, एक पट्टाधारी ने उससे वसूल किए जाने वाले ₹3.78 लाख की बजाय ₹1.51 लाख के अनिवार्य भाड़ा की अदायगी की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹7.37 लाख की राशि के ब्याज सहित अनिवार्य भाड़ा की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने (अगस्त 2011 तथा मार्च 2012) पर विभाग ने जुलाई 2013 में सूचित किया कि चार पट्टाधारियों<sup>2</sup> से ₹3.72 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी थी तथा शेष चूककर्ताओं को अनिवार्य भाड़ा की बकाया राशि जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। वसूली पर आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2013)।

<sup>1</sup> अनिवार्य भाड़ा वो भाड़ा है जो सरकार द्वारा खानों के लिए निर्धारित किया गया है बिना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खानों लाभदायक हैं या नहीं और खानों से खनिज निकाले जा रहे हैं या नहीं।

<sup>2</sup> मैसर्ज कंवर सिंह: ₹28,907, जगदीश चन्द: ₹7,506 तथा कृष्ण चन्द: ₹1.08 लाख तथा एन0एम0डी0सी0 सोलन ₹2.27 लाख

## ग. लोक निर्माण विभाग

## 7.5 व्यपगत निक्षेपों का सरकारी राजस्व खाते में क्रेडिट न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 के अनुसार ऐसे सभी बकायों जिनकी पूर्ण तीन लेखा वर्षों तक कोई मांग नहीं की जाती उन्हें प्रति वर्ष मार्च की समाप्ति पर अन्तरण प्रविष्टि के माध्यम से सरकारी खाते में जमा करवा दिया जाएगा। नियमों में प्राप्तियों का सीधे व्यय हेतु उपयोग करना भी निषेध है।

लेखापरीक्षा ने मई 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य आठ भवनों तथा सड़क मण्डलों<sup>3</sup> के प्रतिभूति/जमा रजिस्ट्रों की जांच की तथा पाया गया कि 1998-99 से 2008-09 के दौरान निक्षेपों के संदर्भ में संविदाकारों के बिलों से 1,879 मदों के संदर्भ में कटोती की गई ₹1.08 करोड़<sup>4</sup> की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई गई जैसा की अपेक्षित था। इस प्रकार ₹1.08 करोड़ राजस्व खाते से बाहर रहे जिसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की न्योनक्ति भी हुई।

इसे मई 2012 तथा फरवरी 2013 में इंगित करने पर सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि 957 मदों की ₹48.98 लाख की राशि का समायोजन किया जा चुका था। वसूली पर आगामी सूचना प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2013)।

शिमला  
दिनांक:

(सतीश लूम्बा)  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)  
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक:

(शशिकांत शर्मा)  
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

<sup>3</sup> चम्बा, देहरा, घुमारवीं, हमीरपुर, जुब्बल, करसोग, कुल्लू-II तथा पधर

<sup>4</sup> 2006-07: 925 मदें: ₹53.40 लाख; 2007-08: 261 मदें: ₹17.63 लाख तथा 2008-09: 693 मदें: ₹36.65 लाख

परिशिष्ट-I

संदर्भ: परिच्छेद-1.10 'लेखापरीक्षा योजना' (2012-13)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयां
1.	बिक्री कर	12
2.	मोटर वाहन कर	39
3.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	62
4.	यात्री एवं माल कर	06
5.	राज्य आबकारी शुल्क	72
6.	वन	15
7.	खनन	00
8.	मनोरंजन शुल्क	00
9.	विलास कर	00
10.	बहुदेशीय बैरियर	00
11.	कर भिन्न प्राप्तियां	35
योग		241

## परिशिष्ट-II

संदर्भ परिच्छेद: 2.9 'अमात्य, डुप्लीकेट और त्रुटिपूर्ण 'सी' फार्मों की स्वीकृति के कारण कर का अपवंचन'

						₹ करोड़
इकाई का नाम	फर्म का नाम मैसर्स	निर्धारण का वर्ष निर्धारण की तिथि	उद्ग्रहण योग्य अंतर कर की राशि छूट प्राप्त कुल बिक्री	हि0प्र0 मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19 (i) के अंतर्गत उद्ग्रहण योग्य ब्याज	कुल	फार्मों की अस्वीकृति के कारण
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बददी	एडवांटेक कोएल्स प्रा0लि0 सोल-III 8669 / 8523	2007-08 7-3-12	1000229 8697643	835191	1835420	दो फार्मों पर दिल्ली का पता था तथा एक फार्म पर विक्रेता व्योहारी का पता नहीं दिया गया था (तीन फार्म)
	अरिहंत उद्योग 8566 / 8422	2007-08	526762 4580539	439846	966608	फार्म अरिहंत जयपुर को जारी किये गए थे पर ओवरराइटिंग द्वारा बददी के लिए अंतरित कर दिए गए। (11+15=26 फार्म)
		2008-09 19.11.11	589101 5122617	385861	974962	
	ग्लेन मार्क फार्मक्यूटिकल्स लि0 8901 / 8788	2008-09 16.06.11	114195 3806484	74798	188993	4 फार्म समीक्षा वर्ष से सम्बंधित नहीं थे।
	स्कॉट इन्वैशन वायर (प्रा0) लि0 02030100764	2006-07 23.07.12	22952 255025	23296	46248	फार्म की अनुलिपि प्रस्तुत कर दी गई थी। (1 फार्म)
	अलंकार स्टेशनरी (प्रा0) लि0 9931 / 8147	2006-07 31.03.12	35100 390000	35627	70727	फार्म की अनुलिपि प्रस्तुत कर दी गई थी। (1 फार्म)
	वी0वी0एल0 इन्वैशन लि0 8215 / 8147	2006-07 29.08.11	7860 87337	7978	15838	फार्म की अनुलिपि प्रस्तुत कर दी गई थी। (2 फार्म)
	वी0डी0एस0 डेकार एवं प्रोजेक्स (प्रा0) लि0 02030100061	2007-08 30.03.12	246819 2146250	206094	452913	फार्म की अनुलिपि प्रस्तुत कर दी गई थी। (1 फार्म)
	शिवा ट्रेडर्स 11412 / 10991	2009-10 24.05.11	2805 140250	1332	4137	फार्म की अनुलिपि प्रस्तुत कर दी गई थी। (1 फार्म)
	हावेल्स इंडिया लि0 8091 / 8028	2007-08 06.01.11	18010 156611	15038	33048	फार्म की अनुलिपि प्रस्तुत कर दी गई थी। (1 फार्म)
	हिमकैम लि0 7698 / 7652	2008-09 29.05.11	8317 277219	5448	13765	फार्म की अनुलिपि प्रस्तुत कर दी गई थी। (1 फार्म)
इनोवा कैपलैब 02030100615	2008-09 02.01.12	35166 1172190	23034	58200	फार्म की अनुलिपि प्रस्तुत कर दी गई थी। (3 फार्म)	
<b>11</b>		<b>2607316 26832165</b>	<b>2053543</b>	<b>4660859</b>		
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन	स्टैंडर्ड पोलिविनाइल 378 / 7044	2007-08 30.08.10	120294 6014714	105859	226153	'सी' (3 फार्म) फार्मस की अपेक्षा विक्रेता ने कच्चा माल विक्रय किया था
		2008-09 19.07.11	98385 9838460	68870	167255	
	<b>1</b>		<b>218679 15853174</b>	<b>174729</b>	<b>393408</b>	
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन	देव रेसिन परवाणू सोल-III 5109 / 5244	2009-10 28.09.11	1615245 53841494	767241	2382486	फार्मस देव रेसिन-बददी को जारी किये गए थे लेकिन देव रेसिन परवाणू द्वारा उपयोग में लाये गए (12 फार्म)
			30664 1533188	14565	45229	
	सिंहल उद्योग सोल-111 10914 / 10762	2008-09 20.03.12	150410 1203283	98519	248929	सुरत स्थित फर्म को 8 फार्म जारी किये गये थे। 3 फार्म अन्य वर्षों से सम्बंधित थे। 2 फार्मों में गैर सत्यापित कटिंग है
<b>2</b>		<b>1796319 56577965</b>	<b>880325</b>	<b>2676644</b>		
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	सुखजीत एगो उद्योग ऊना-III 5141 / 4971	2009-10 2008-09 21.07.11	38226 1274189	19304	57530	बिक्री के प्रति कर की छूट दर मंजूरशुदा थी (4 फार्म) जोकि निर्धारण वर्ष से सम्बंधित नहीं थी।
			39994 1333120	27396	67390	
	<b>1</b>		<b>78220 2607309</b>	<b>46700</b>	<b>124920</b>	एक फार्म में ₹148125 की राशि को ₹1481245 के रूप में लिया गया था (1 फार्म)
	<b>15</b>		<b>4700534 101870613</b>	<b>3155297</b>	<b>7855831</b>	
<b>कुल छूट प्राप्त बिक्री</b>			<b>₹0.47 ₹10.19</b>	<b>₹0.32</b>	<b>₹0.79</b>	

परिशिष्ट-III

संदर्भ परिच्छेद: 2.12 घोषणा फार्मों 'एफ' का दुरुपयोग करने के कारण कर की गलत छूट

₹ करोड़							
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त का नाम	निर्धारण की अवधि	के मध्य निर्धारित किया गया	व्यापारियों की संख्या	'एफ' फार्म के प्रति स्टॉक के शाखा हस्तांतरण पर कर की छूट की स्वीकृति	कर प्रभाव		टिप्पणी
					कर	ब्याज	
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बी0बी0एन0 बद्दी	2006-07 से 2008-09	मई 2011 और मार्च 2012	4	3.95	0.37	0.34	8 'एफ' फार्म क्रय व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किए गए थे। 3 'एफ' फार्मों में आवृत्त लेनदेन एक कलेंडर मास से अधिक के लिए थे और 4 फार्म अनुलिपि प्रतियां थीं।
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा	2009-10	दिसम्बर 2011	1	1.37	0.06	0.02	केवल एक 'एफ' फार्म ₹1.90 करोड़ की सकल कुल बिक्री के लिए पूरे वर्ष के लिए था न कि कलेंडर मास के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। ₹1.37 करोड़ के स्टॉक ट्रांसफर की अपेक्षा ₹10.10 लाख के कर के अनुद्ग्रहण को बचाते हुए ₹1.27 करोड़ के लिए एक एफ फार्म प्रस्तुत किया था।
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन	2008-09 और 2009-10	जून 2011	1	0.21	0.03	0.02	आठ 'एफ' फार्म सोलन के स्थान पर ऊना जिला के व्यापारी के नाम पर थे। अन्य आठ 'एफ'-फार्म अनुलिपि प्रतियां थीं।
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	2005-06 और 2008-09	जुलाई और अगस्त 2011	2	4.74	0.18	0.14	नौ 'एफ'-फार्म अन्य निर्धारण वर्ष से सम्बंधित थे और 9 'एफ'-फार्म डुप्लीकेट कापियां थीं। दो 'एफ' फार्म से सम्बंधित लेनदेन एक कलेंडर मास से अधिक के लिए थे।
<b>योग</b>			<b>8</b>	<b>₹10.27</b>	<b>₹0.64</b>	<b>₹0.52</b>	

## परिशिष्ट-IV

संदर्भ परिच्छेद: 3.3.2.3: रेक्ट्रीफाइड सिट/एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और मेच्योर्ड मॉल्ट सिट का गैर-लेखाकरण

(₹ लाख)							
क्रमांक	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों का नाम	लाईसेंसधारी का नाम	अवधि	अनुज्ञा-पत्र संख्या और तिथि	सिट की प्रकृति/ मात्रा प्रूफ लीटर्स में	आबकारी शुल्क की दर	वसूली योग्य आबकारी शुल्क की राशि
1	कांगडा	मैसर्ज बिंदल एसोसिएट्स, छत्ती	2011-12	19 / 2011-12 22.06.2011	मेच्योर्ड मॉल्ट सिट 1380	₹ 25 प्रति प्रूफ लीटर	34,500
2	मण्डी	मैसर्ज गोवर्धन बोटलिंग प्लांट, प्रा0 गालू	2009-10	5 / 2009-10 01.07.2009	रिक्ट्रीफाइड सिट 26,720	₹ 23 प्रति प्रूफ लीटर	6,14,560
			2009-10	18 / 2009-10 09.02.2010	एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल 33,600	₹ 23 प्रति प्रूफ लीटर	7,72,800
			2011-12	421 / 2011-12 03.08.2011	एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल 20,160	₹ 25 प्रति प्रूफ लीटर	5,04,000
योग		2 लाईसेंसधारी		4 अनुज्ञा-पत्र	मेच्योर्ड मॉल्ट सिट 1,380 26,720 एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल=53,760 योग=81,860		19,25,860 अर्थात् ₹19.26 लाख

परिशिष्ट-V

संदर्भ: परिच्छेद 3.3.6- आसवनी/ बंधक माल गोदामों पर तैनात आबकारी स्थापना के वेतनों की वसूली न करना

(₹ लाख)				
क्रमांक	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों का नाम	लाइसेंसधारी का नाम	अवधि	वसूली योग्य अपेक्षित वेतनों की राशि
1	बी०बी०एन० बद्दी	1) मैसर्ज पी०डी०एम० बद्दी	2011-12	5.81
		2) मैसर्ज सूबैकस, नालागढ़	2011-12	2.45
		3) मैसर्ज हिमालयन गोल्ड, नालागढ़	2011-12	2.68
		<b>3 लाइसेंसधारी</b>		
2	कांगड़ा	1) मैसर्ज बिंदल एसोसिएट्स, छन्नी	2011-12	6.70
		2) मैसर्ज वी०आर०वी०, फूड्स लि०, संसारपुर	2011-12	6.09
		<b>2 लाइसेंसधारी</b>		
3	सिरमौर स्थित नाहन	1) मैसर्ज तिलोकसन्ज ब्रूअरी एवं डिस्टलरी, मन्थापाल	2008-09 to 2010-11 2011-12	26.05 7.09
		2) मैसर्ज यमुना बेवरेज, नरिवाल	2008-09 to 2010-11 2011-12	18.81 2.77
		3) मैसर्ज हिल व्यू डिस्टलरी, शम्भुवाला	2008-09 to 2010-11 2011-12	8.26 5.42
		4) मैसर्ज हिमगिरी डिस्टलरी, मीरपुर कोटला	2008-09 to 2010-11 2011-12	6.51 2.93
		<b>4 लाइसेंसधारी</b>		
4	सोलन	1) मैसर्ज एम०एम० लि०, सोलन ब्रूअरी	2010-11 2011-12	1.94 4.26
		2) मैसर्ज एम०एम० लि०, कसौली डिस्टलरी	2010-11 2011-12	0.84 0.32
		3) मैसर्ज के०एम० डिस्टलरी, परवाणू	2009-11 2011-12	16.42 4.98
		4) मैसर्ज एच०पी०जी०आई०सी०, परवाणू	2010-11 2011-12	5.33 3.93
		<b>4 लाइसेंसधारी</b>		
5	ऊना	1) मैसर्ज रेंजर ब्रूअरी लि०, ऊना	2011-12	13.85
<b>योग</b>		<b>14 लाइसेंसधारी</b>		<b>153.44 लाख</b> अर्थात् ₹1.53 करोड़

## परिशिष्ट-VI

संदर्भ: परिच्छेद 4.3- पटवारियों द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदनों को गलत रूप से तैयार करना

क्रमांक	उप पंजीयक इकाई का नाम	अंतर्ग्रस्त मामलों की संख्या	लागू वास्तविक मूल्य के अनुसार प्रतिफल मूल्य	पटवारियों द्वारा तैयार किये गए मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर लिया गया प्रतिफल मूल्य जिस पर स्थानांतरण विलेख निष्पादित किया गया	घाटे की राशि		योग
					स्टाम्प शुल्क	पंजीकरण शुल्क	
1	बडसर	6	140.15	15.57	6.23	0.36	6.59
2	बंजार	39	275.72	137.83	6.87	1.42	8.29
3	भारवाई	10	98.57	72.71	1.29	0.26	1.55
4	बिलासपुर	20	363.31	292.46	3.53	0.70	4.23
5	फतेहपुर	7	48.09	30.84	0.86	0.18	1.04
6	घुमारवीं	23	189.76	87.21	5.13	0.41	5.54
7	हमीरपुर	16	116.22	91.85	1.22	0.41	1.63
8	झण्डूता	9	59.40	39.22	1.01	0.19	1.20
9	केलांग	2	23.20	7.60	0.78	0.25	1.03
10	कुल्लू	28	270.07	184.68	4.21	0.88	5.09
11	कूपवी	3	4.94	0.54	0.22	0.09	0.31
12	मोरंग	6	26.15	6.29	0.99	0.40	1.39
13	नालागढ़	16	3,263.35	499.49	138.24	0.35	138.59
14	निहरी	17	165.62	64.33	5.06	0.46	5.52
15	पधर	13	90.38	69.63	1.04	0.23	1.27
16	सरकाघाट	1	2.08	1.28	0.04	0.02	0.06
17	शिमला (ग्रामीण)	38	1,490.24	1,178.57	15.58	0.80	16.38
18	सोलन	21	593.48	495.04	4.86	0.27	5.13
19	सुंदरनगर	20	1,616.83	1,454.31	5.49	0.14	5.63
20	सुन्नी	17	202.07	95.77	5.31	0.40	5.71
21	ऊना	19	98.47	66.51	1.60	0.50	2.10
योग		331	9,138.10 अर्थात् ₹91.38 करोड़	4,891.73 अर्थात् ₹48.92 करोड़	209.56 अर्थात् ₹2.09 करोड़	8.72 अर्थात् ₹0.09 लाख	218.28 अर्थात् ₹2.18 करोड़

परिशिष्ट-VII

संदर्भ: परिच्छेद 4.4- संपत्तियों के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण

क्रमांक	इकाई का नाम और लेखापरीक्षा की अवधि	अंतर्ग्रस्त मामलों की संख्या	लागू वास्तविक मूल्य के अनुसार संपत्ति का बाजारी मूल्य	पटवारियों द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर निर्धारित किए गए बाजारी मूल्य	कम राशि		योग
					स्टाम्प शुल्क	पंजीकरण शुल्क	
1	उप पंजीयक बिलासपुर 2011	1	65.49	15.00	2.52	--	2.52
2	उप पंजीयक हमीरपुर 2011	1	310.33	6.50	15.19	0.12	15.31
3	उप पंजीयक इन्दौर 2010	6	136.78	67.14	3.48	0.29	3.77
4	उप पंजीयक कुल्लू 2011	5	51.64	27.09	1.09	0.09	1.18
5	उप पंजीयक निहरी 2010-11	1	75.89	12.00	3.19	0.01	3.20
6	उप पंजीयक नालागढ़ 2011	5	544.27	371.68	8.62	0.05	8.67
7	उप पंजीयक ऊना 2010-2011	5	104.98	44.64	3.02	0.29	3.31
योग		24	₹1,289.37	₹544.05	₹37.12	₹0.85	₹37.97

## परिशिष्ट-VIII

संदर्भ: परिच्छेद 4.5- भूमि वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण स्टांप शुल्क एवं पंजाकरण फीस की अल्प वसूली

उप पंजीयक इकाई का नाम	विलेख संख्या/भू: क्षेत्र	वास्तविक बिक्री/ प्रतिफल के लिए ली गई आवश्यक भूमि का वर्गीकरण	भूमि मुल्यांकन के लिए पटवारियों द्वारा किया गया भूमि वर्गीकरण	लागू वास्तविक मूल्य के अनुसार सम्पत्ति का बाजारी मूल्य	पटवारियों द्वारा तैयार किये गए मुल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर निर्धारित बाजारी मूल्य	रु. लाख		योग	
						कम राशि	योग		
						स्टांप शुल्क	पंजिकरण फीस		
नाहन	<u>69 / 2011</u> 395 बिस्वा	कुहल दोयम बंजर कादिम ना-काबिल	बंजर कादिम	69.24	68.77	0.02	0.0	0.02	
	<u>713 / 2011</u> 12 बिस्वा	बंजर जदीद गैर मुमकिन फैक्ट्रियों का ढांचा	बंजर कादिम	16.51	13.36	0.17	0.05	0.22	
	<u>280 / 2011</u> 285.75 वर्ग मीटर	मकानात घर का नक्शा	कुहल अबाल	157.76	4.63	7.66	0.16	7.82	
	<u>295 / 2011</u> 60 बिस्वा	गैर मुमकिन फैक्ट्रियां गैर मुमकिन रास्ता	बंजर कादिम बंजर जदीद	67.55	34.48	1.65	0.0	1.65	
सोलन	<u>1060 / 2011</u> 01-12 हेक्टर	गैर मुमकिन मकान	बंजर कादिम	4.12	2.08	0.10	0.04	0.14	
	<u>277 / 2011</u> 02-06 हेक्टर	कुहल दोयम गैर मुमकिन मकान	बंजर कादिम	65.57	31.00	1.73	0.0	1.73	
	<u>288 / 2011</u> 00-04-80 हेक्टर	गैर मुमकिन मकान घासनी	बंजर कादिम	10.94	9.86	0.05	0.06	0.11	
	<u>1150 / 2011</u> 127 वर्ग मीटर	गैर मुमकिन मकान घासनी बंजर कादिम	बंजर कादिम	5.40	4.40	0.05	0.02	0.07	
	<u>430 / 2011</u> 5 बीघा	बंजर दोयम गैर मुमकिन टोडा	बंजर कादिम	1.48	0.80	0.03	0.01	0.04	
	<u>1353 / 2011</u> 06 बिस्वा	कुहल बंजर दोयम घासनी	घासनी बंजर कादिम	4.28	2.76	0.08	0.03	0.11	
	<u>1181 / 2011</u> 296 वर्ग मीटर	गैर मुमकिन मकान घर का ढांचा	घासनी बंजर कादिम	15.20	2.86	0.62	0.19	0.81	
	<u>1298 / 2011</u> 09 बिस्वा	गैर मुमकिन मकान गैर मुमकिन टोडा घासनी	बंजर कादिम घासनी	25.14	20.00	0.26	0.0	0.26	
योग				<b>₹443.19</b>	<b>₹195.00</b>	<b>₹12.42</b>	<b>₹0.56</b>	<b>₹12.98</b>	

**परिशिष्ट-IX**

संदर्भ: परिच्छेद 5.3.9.1 (ii) - अतिरिक्त माल कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु फर्मों को प्राधिकृत न करना/ विलम्ब से प्राधिकृत/ पंजीकरण करना

क्रमांक	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त की इकाई का नाम	वर्ष	प्राधिकरण की तिथि मध्य	अतिरिक्त माल कर के संग्रहण के लिए अधिकृत फर्मों की कुल संख्या
<b>वर्ष 2007</b>				
1	बद्दी	2007	14.06.2007	28
2	कांगडा	2007	14.06.2007	19
3	कुल्लू	2007	14.06.2007	5
4	सिरमौर	2007	14.06.2007	5
		<b>योग</b>		<b>57</b>
<b>वर्ष 2011</b>				
1	बद्दी	2011	28.09.2011	28
2	कांगडा	2011	28.09.2011	26
3	सिरमौर	2011	21.01.2011 और 28.09.2011	14
4	सोलन	2011	21.01.2011 और 20.09.2011	9
5	ऊना	2011	21.01.2011	2
		<b>योग</b>		<b>79</b>
<b>वर्ष 2012</b>				
1	बिलासपुर	2012	14.01.2012 और 08.09.2012	3
2	सिरमौर	2012	21.01.2012	2
3	सोलन	2012	21.01.2012	3
		<b>योग</b>		<b>8</b>
<b>सकल जोड़</b>				<b>144</b>